खण्ड-185, अंक-6
सोमवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1879
(12 अगस्त, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 185 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	४४४–४४५
अनुदान संख्या ३६–लेखा शीर्षक ५४–क–प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४–ख–भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते (स्वीकृत) ..	४४५
अनुदान संख्या १२–लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३–लेखा शीर्षक २५–कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (स्वीकृत)	४४६–४८९
अध्यक्ष-दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने के संबंध में सूचना ..	४९०
नत्थियां	४९१–४९३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १२ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३३२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमण सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धी सिंह, श्री

बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेंजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भोखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अवनी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री

रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हीरोलाल यादव, श्री

नोट—माल उपमंत्री श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १२ अगस्त, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

काल्विन हास्पिटल, इलाहाबाद में एक बैंक एकाउण्टेण्ट की मृत्यु

**१—श्री रामलक्षण (जिला बलिया)—क्या यह सत्य है कि काल्विन हास्पिटल, इलाहाबाद में किसी बैंक के एकाउण्टेंट का हार्निया का आपरेशन करते समय देहान्त हो गया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—जी हां।

**२—श्री रामलक्षण—क्या यह सच है कि उसमें पुलिस जांच करना चाहती थी, किन्तु जांच नहीं करने दी गयी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी नहीं।

**३—श्री रामलक्षण—क्या सरकार इस घटना की पूरी-पूरी जांच करके जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस घटना की जांच कराई गई। रोगी की मृत्यु के लिये डाक्टर का उत्तरदायित्व नहीं पाया गया। रिपोर्ट गोपनीय होने के कारण उसका सदन के सामने रक्खा जाना सार्वजनिक हित में न होगा।

श्री रामलक्षण—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आपरेशन के पहले उस एकाउण्टेंट ने, जिसका आपरेशन किया गया, यह कहा था कि मेरा आपरेशन अभी न किया जाय, क्योंकि मैं खाना खा कर आया हूं ?

कृषि मंत्री (श्री टुकुर्मसिंह विसेन)—मुझे तो इत्तला यह है कि उनकी रजामन्दी से आपरेशन किया गया।

श्री रामलक्षण—क्या यह सच नहीं है कि उनके आपरेशन के दौरान में उनकी स्त्री आयी थी और उसने बारहा कोशिश की कि यह बतलाया जाय कि आपरेशन का क्या हुआ तो उसको यह कहा गया कि अभी अभी वे अच्छे हुए जाते हैं और अभी बाहर निकलते हैं, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी ?

श्री टुकुर्मसिंह विसेन—इसकी सूचना मुझे नहीं है।

प्रारम्भिक कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा के लिए आदेश

**४—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कक्षा ६ तक की फीस माफी का आदेश राज्य के सभी स्कूलों को, सरकारी अथवा सरकार से सहायता पाने वाले स्कूलों को, भेज दिया है ? यदि हां, तो कब ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—कक्षा १ से ३ तक तथा कक्षा ४ से ५ तक की शुल्क-छूट के आदेश क्रमशः दिनांक १६ अगस्त, १९५६ तथा २५ जून, १९५७ को समस्त जिलाधीशों, शिक्षा संचालकों तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिये गये। कक्षा ६ में शुल्क-छूट के आदेशों के निकट भविष्य में निर्गत होने की आशा है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ श्री नागेश्वर द्विवेदी ने पूछा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कक्षा १ से लेकर कक्षा ५ तक जो छट दी गयी है उससे सरकार को कुल कितना नुकसान होगा ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इसके फीगर्स तो इस वक्त हमारे पास नहीं हैं, लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि करीब ३५ लाख रुपये का नुकसान होगा। ऐसा स्मरण आता है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आदेश भेजा गया है, उस आदेश के पहुंचने के पहले जो फीस वसूल करली गयी है उसकी वापसी के लिये भी कोई आदेश जारी किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कक्षा १ से ३ और कक्षा ३ से ५, इनमें तो कोई वसूली का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि आदेश जा चुका है। कक्षा ६ के लिये कोई आदेश गया ही नहीं है। बजट पास हो जाने के बाद वह आदेश जा सकेगा। आदेश जब जायगा तो जिस तारीख से वह छूट दी जायगी, उस तारीख से वह लागू होगा। इसलिये वापस करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या यह सही है कि सरकार ने यह पहले घोषणा की थी कि कक्षा ३ तक बिना फीस शिक्षा रहेगी और इस प्रकार के घाटे की पूर्ति सरकार करेगी, लेकिन अब सरकार द्वारा केवल २ आने प्रति विद्यार्थी अनुदान दिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कक्षा १ से ३ और ३ से ५ तक के लिये एजूकेशन कोड में जो फीस रखी गई है, उम्मीद है कि चूंकि यह सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल्स हैं, वही फीस ली जाती होगी और उस फीस को हमने माफ कर दिया है।

हाथ करघे के बने कपड़ों पर कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बिक्री पर छट

**५---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथ करघे के बने हुए कपड़े की कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बिक्री पर फी रुपया क्या रिबेट दिया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---एक आना ६ पाई अथवा ९ नये पसे फी रुपये की दर से रिबेट दिया जाता है।

टेहरी-गढ़वाल की पट्टी बड़ियारगढ़ के वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

**६---श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल के पट्टी बड़ियारगढ़ में जुलाई, १९५७ के पहले हफ्ता में हुई अतिवृष्टि के कारण कितनी क्षति हुई ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)---पट्टी बड़ियारगढ़ में जुलाई, १९५७ के पहल हफ्ते में हुई अतिवृष्टि से आठ गांवों की २० प्रतिशत भूमि तथा फसल नष्ट हो गई। २२ और गांवों में भी मामूली क्षति पहुंची। वर्षा के कारण ३ मकान भी गिरे।

**७---श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---सरकार की ओर से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को क्या-क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---जिले के क्षतिग्रस्त लोगों को १,५०० रुपये इमदाद बांटी जा चुकी है और ५,००० रुपये अहेतुक सहायता के लिये तथा १०,००० रुपये तकावी बांटने के लिए स्वीकृत किये गये हैं। ६० कम्बल व २ बैग कपड़े भी बांटे गये।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहती हूं कि हमारे यहां जो ५० हजार रुपया बांटने के लिये दिया गया है, यह कब तक बांटा जायगा ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---इस ५० हजार की सूचना तो इस समय नहीं है। माननीय सदस्य अगर इसके बारे में प्रश्न दें तो उत्तर आ सकता है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---यह इसमें दिया है कि क्षतिग्रस्त लोगों को ५० हजार रुपया अनुदान बांटा जा चुका है और ५० हजार रुपया अहेतुक सहायता के लिये जो दिया जायगा, उसके लिये क्या फिर आपके पास सूचना भेजनी पड़ेगी या इसी को माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष---इसमें जरा पढ़ने में गड़बड़ी हो रही है। यह आप ५ हजार को शायद ५० हजार पढ़ रही हैं। तो यह ५ हजार है, ५० हजार नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ये कम्बल किस एजेंसी द्वारा बांटे गये ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---इसकी सूचना इस समय तो मेरे पास नहीं है। मगर साधारणतः जो सरकार के अहलकार हैं, उन्हीं के द्वारा बांटे गये होंगे।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि ये कम्बल बांटे ही नहीं गये ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---जो सरकार के पास सूचना है उससे तो यह स्पष्ट है कि बांटे गये हैं। अगर माननीय सदस्य को ऐसी सूचना है कि नहीं बांटे गये तो उसको हमारे दफ्तर में देने की कृपा करें तो उसकी जांच की जायगी।

विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेन्शन विभाग, लखनऊ का कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ को पत्र

**८---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेंशन विभाग, लखनऊ की ओर से आजमगढ़ जिले के कुछ राजनीतिक पीड़ितों के पास अप्रैल, मई एवं जून, सन् १९५७ में इस प्रकार का पत्र भेजा गया है कि उनका प्रार्थना-पत्र जिला कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ के प्रधान के पास प्रतिवेदन के लिये भेजा गया है, वहां से रिपोर्ट शीघ्र भेजवाने की कृपा करें ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां। जब किसी और सूत्र से ठीक ज्ञात नहीं होता तो जिला कांग्रेस कमेटी, प्रजा समाजवादी दल आदि संस्थाओं को कभी-कभी रिपोर्ट के लिए कागज भेजे जाते हैं और उसके पश्चात् विशेष पदाधिकारी का निर्णय होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी और प्रजा समाजवादी दल के पास कितनी-कितनी दरख्वास्तें भेजी गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश---संख्या के लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन दरख्वास्तों पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र रहता है उन दरख्वास्तों को जिला कांग्रेस कमेटी और प्रजा समाजवादी दल के पास भेजने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या यह सही है कि जो दरख्वास्तें जिला कांग्रेस कमेटी के पास प्रतिवेदन के लिए भेजी गयी थीं वे सभी की सभी दरख्वास्तें रद्द कर दी गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना तो इस समय हमारे पास है नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर रिपोर्ट पूरी आ जाती है, नियमानुसार जितनी चाहिये, तो वे दरख्वास्तें रद्द नहीं की जातीं, मंजूर की जाती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ के पास वही दरख्वास्तें भेजी गयी हैं, जिन पर अधिकतर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पोलिटिकल सफरर का प्रमाण-पत्र है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अवश्य उसकी जांच करा लूंगा, अगर उन सज्जनों के नाम भी आप दे दें जिनके सम्बन्ध में सूचना आपने दी है। यह हो सकता है कि अगर कोई विवरण पूरा न हो, जो नियमानुसार होना चाहिये तो उस दरख्वास्त को रद्द किया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या जिन आवेदन-पत्रों का जिक्र माननीय सदस्य ने प्रश्न ८ में किया है, ये आवेदन-पत्र जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के ही पास भेजे गये या जिला कांग्रेस कमेटी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दोनों के पास भेजे गये ?

श्री कैलाशप्रकाश---ये पत्र जिला कांग्रेस कमेटी के पास भेजे गये, क्योंकि जो प्रार्थी थे उनसे जो सूचना मांगी गयी थी वह स्वयं नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि यह सूचना जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्राप्त करने की कृपा करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और किस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के पास भेजे जाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जो स्वतंत्रता सैनिक इस बात को कहते हैं कि यह सूचना उनको प्रजा समाजवादी दल से प्राप्त हो सकती है, उनके वह पत्र प्रजा समाजवादी दल को भेजे जाते हैं और जो यह कहते हैं कि उनकी सूचना जिला कांग्रेस कमेटी से प्राप्त हो सकती है तो वह जिला कांग्रेस कमेटी के पास भेज दिये जाते हैं। ये जो प्रार्थना-पत्र भेजे जाते हैं, ये तो प्रार्थियों की सुविधा के लिए भेजे जाते हैं, जब वे पूरा ब्यौरा यहां नहीं दे सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रतिवेदन के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के पास दरख्वास्तें गयी हैं उनके प्रतिवेदन क्या विशेषाधिकारी के कार्यालय में आ गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कौन-कौन पत्र यहां आ गये हैं और कौन-कौन नहीं आये हैं। अगर आप नोटिस देंगे तो सूचना मंगाई जा सकती है।

बदायूं जिले के कुछ गांवों में फैली लैथरिज्म बीमारी के सम्बन्ध में सिविल सर्जन की रिपोर्ट

**९---श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं के सिविल सर्जन ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट सरकार को दी है कि परगना सलेमपुर, जिला बदायूं में रामगंगा की दो धारों के बीच में जो ग्राम स्थित हैं, उनमें से ग्राम शेरपुर तथा अन्य निकटवर्ती ग्रामों में एक बीमारी जो लकवे की तरह है, संक्रामिक रूप में फैल रही

है ? उस रिपोर्ट में सिविल सर्जन ने इस बीमारी के क्या कारण बताये हैं ? क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां, सिविल सर्जन की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि भूमि में वहां के किसान एक ऐसा अनाज पैदा करते हैं जिसमें १५ प्रतिशत चना और ८० प्रतिशत अकरा अनाज, मसूर और कस्सी (एक प्रकार की मटर) मिला रहता है। यह अनाज जो बेझड़ कहलाता है उसका आटा यह खाते हैं और उसी से जहां तक अभी तक अनुमान होता है, यह बीमारी होती है। इसकी और भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट बहुत लम्बी है। उसका सारांश संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९१-४९२ पर)

**१०---श्री हरिश्चन्द्रसिंह---सरकार इस रोग को रोकने के लिये क्या योजना बना रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इस रोग के कारण और बचाने के उपाय एक किताब में छाप कर किताब मुफ्त बांटी जा रही है, जिसकी प्रतिलिपि† संलग्न है। स्वास्थ्य विभाग के Nutrition Survey Officer भी इसकी और जांच कर रहे हैं और आशा की जातीहै कि पूर्ण सुझाव इसको रोक के शीघ्र सरकार के सामने आ जायेंगे, तभी अन्तिम निश्चय होगा।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाज बाज घर ऐसे हैं जिनमें पूरे के पूरे आदमी इस रोग से ग्रसित हो गये हैं और कोई कमाने वाला नहीं रह गया है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---अभी तक तो मुझे २२ आदमियों के बीमार होने का पता चला है।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह---जिस घर में छः आदमी हैं उसमें ६ आदमी बीमार हो गये हैं और कोई कमाने वाला नहीं रह गया है तो ऐसी हालत में सरकार उनके खाने का कोई प्रबन्ध करना उचित समझती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी इत्तला आने पर सरकार विचार करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बीमारी का नाम क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लैथरिज्म।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जब बीमारी का नाम मालूम हो गया है तो सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी कि जिनकी वजह से इस बीमारी की रोकथाम में दिक्कत हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तो और पता लगाने की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बीमारी का नाम मालूम हो गया है तो डायगनोसिस के बाद और क्या पता लगाने की जरूरत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब सरकार बिल्कुल मुतमैय्यन हो जायगी तब करेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस अनाज के कारण यह बीमारी फैली है, उसके बोने या इस्तेमाल करने पर रोकथाम लगाने के लिये कोई आदेश जारी किये गये हैं ?

---

† छापी नहीं गयी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी यह कतई तौर से कहना ठीक नहीं है कि इसी अनाज से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर विचार कर रही है कि किस तरह से इस बीमारी के बारे में मजीद जानकारी हासिल करे और उसकी रोकथाम की कोशिश करे।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने परिवार इस रोग के शिकार हो चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन सा नया अनाज अब पैदा होने लगा है जो पहले नहीं होता था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बड़ा पुराना अनाज है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बीमारी के पूरे कारणों की जांच के लिये और उसके प्रतिरोध के उपाय के लिये सरकार कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं सोच रहा हूं कि जिलाधीश को लिखूं कि एक मरीज यहां भेज दें बलरामपुर अस्पताल में, जहां उसकी परीक्षा की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन को सीधे पत्र न लिख कर जिलाधीश बदायूं को क्यों लिख रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसा मुनासिब समझेंगे करेंगे, यह बताने की जरूरत नहीं है कि किस के जरिये से खत भेज रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर जिले में सिंचित भूमि

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में प्रथम पंच वर्षीय योजना से पूर्व सरकारी साधनों (नहर, ट्यूब वेल) द्वारा कुल कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसमें कितनी वृद्धि की गई ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—मुजफ्फरनगर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व कुल ४,७६,३६३ एकड़ सिंचाई की भूमि (irrigable area) थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसमें ४०,२९७ एकड़ भूमि की वृद्धि हुई।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४०,२९७ एकड़ प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सिंचाई बढ़ी है, उसमें कितनी वर्तमान सिंचाई के साधनों से बढ़ी है और कितनी नये सिंचाई के साधनों से बढ़ी है ?

श्री राममूर्ति—इसमें हमारे कुछ नलकूप बनाये गये, उनकी वजह से १६ हजार १ सौ ४८ एकड़ भूमि की सिंचाई बढ़ी कुछ गंगा नहर की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से हुई और कुछ गंगा नहर में नालियां बढ़ायी गयीं।

*२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*३-४—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—[अस्वीकृत किया गया।]

*६-७---श्री रामहेर्तासिह---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शाहजहांपुर के स्टेट बैंक का स्थानांतरण

*१०---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार शाहजहांपुर में स्टेट बैंक को चौक बाजार से हटा कर कचहरी में स्थापित करने के प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही करने का विचार करती है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---जी नहीं ।

*११---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---[२ सितम्बर १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२-१३---श्री झारखंडेराय---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१४-१५---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६-१७---श्री नारायणदत्त तिवारी---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

बिजली विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन

*१८---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजली विभाग के इन्स्पेक्टर व उनके क्लर्कों को कितनी तनख्वाह मिलती है ?

श्री धर्मसिंह---विद्युत विभाग में लाइन इन्स्पेक्टरों को १२०-६-१६२-ई० बी०-६-२१०-ई० बी०-१०-२५० रुपये मासिक वेतन तथा २५ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (कंपन्सेटरी एलाउन्स) मिलता है । इनके साथ काम करने के लिये कोई क्लर्क नहीं दिया जाता है ।

*१९---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि हाइडिल के सुपरिन्टेन्डेन्ट, हेड असिस्टेंट व स्टेनों को क्या तनख्वाह मिलती है ?

श्री धर्मसिंह---विद्युत विभाग के कार्यालयों में सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं होते । हेड असिस्टेन्ट तथा स्टेनो को निम्नलिखित वेतन मिलते हैं---

	हेड असिस्टेन्ट	स्टेनो
(१) चीफ इंजीनियर का कार्यालय ..	३००-२०-४०० रु० प्रति मास	१००-५-१५०-ई० बी०-१०-२००-ई० बी०-२०-२४० रुपये प्रतिमास
(२) सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर का कार्यालय	२००-१०-२५० रुपये प्रतिमास	१००-५-१५०- ई० बी०-५-१६०-ई० बी०-१०-२०० रुपये प्रतिमास
(३) एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का कार्यालय ..		७५-४-६५-ई० बी० -५-१५० रु० प्रति मास ।

नोट---तारांकित प्रश्न १० श्री रामस्वरूप वर्मा ने पूछा ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में जो वेतन का अन्तर है, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---वह तो अलग-अलग ड्यूटीज हैं और भिन्न-भिन्न कार्यालयों में काम करते हैं इसलिये ग्रेड्स में अन्तर है।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि दोनों कार्यालय के लोग एक ही विभाग के अन्तर्गत काम करते हैं ?

श्री धर्मसिंह---वे सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के यहां काम करते हैं और वे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में काम करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जो लोग सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के दफ्तर में हैं वे समान प्रकार के काम करते हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसका तो उत्तर दे दिया गया है। अलग-अलग कार्यालय है और अलग-अलग काम हैं, इसलिये अलग-अलग ग्रेड्स हैं।

*२०-२१---**श्री गौरीशंकर राय**---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का वितरण

*२२---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की तहसील सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, खुर्जा व अनूपशहर में अलग-अलग कितने-कितने गांवों में रोशनी के लिये बिजली पहुंचाई जा सकी है ?

श्री धर्मसिंह---बुलन्दशहर जिले की निम्नलिखित तहसीलों में उनके सामने दी हुई संख्याओं के गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है :---

तहसील	गांवों की संख्या
१---सिकन्दराबाद	२४
२---बुलन्दशहर	१०२
३---खुर्जा	११
४---अनूपशहर	२५

*२३---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार यह बतायेगी कि दादरी टाउन एरिया, जिला बुलन्दशहर में वह बिजली लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी तहसील सिकन्दराबाद के गांवों की सूची को यहां पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---सूची नहीं है, केवल नम्बर ही दिया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गांवों की सूची है उनमें ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है ?

श्री अध्यक्ष---उनके पास जब सूची नहीं है तो जवाब कैसे दे सकते हैं, यह सवाल उठता नहीं है।

मैनपुरी जिले के नलकूप

*२४--श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं और उनमें से कितने ट्यूबवेल पानी नहीं दे रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---मैनपुरी जिले में इस समय तक ९५, नलकूप बनाये गये हैं, इनमें से एक नलकूप पूरक (supplementary) नलकूप है, यह सभी नलकूप चालू हैं।

*२५---श्री झारखंडेराय---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

बरेली जिले में कृशर लगाने के लिए सहायता न मिलना

*२६---श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में पिछले तीन सालों में कितने व्यक्तियों के लिये किन-किन स्थानों पर कृशर लगाने के लिये कितना-कितना रुपया दिया गया ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---इस जिले में कृशर लगाने के लिए गत तीन वर्षों में किसी को कोई रुपया नहीं दिया गया।

*२७---श्री शिवराजबहादुर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने व्यक्तियों ने रुपया पाने के बाद अब तक कृशर नहीं लगाये ?

श्री रऊफ जाफरी---प्रश्न नहीं उठता।

*२८---श्री शिवराजबहादुर---सरकार ने कृशर के लिये दिये गये रुपये की वसूली का क्या तरीका रखा है ?

श्री रऊफ जाफरी---प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवराज बहादुर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तीन सालों में कितने व्यक्तियों ने कृशर के लिये रुपया मांगा ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री शिवराजबहादुर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया गवर्नमेंट को इन ३ सालों में कृशर लगाने के लिये देना था ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा कि कहा गया इन ३ सालों में कोई रुपया कृशर लगाने के लिए नहीं दिया गया।

गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी, लखनऊ में माइक्रोप सेक्शन के कारीगरों के वेतन के सम्बन्ध में शिकायत

*२९---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि गवर्नमेंट प्रिसीजन फैक्टरी लखनऊ में माइक्रोप सेक्शन व अन्य सेक्शनों में कुछ कारीगरों को, जो जूनियर हैं, अपने से सीनियर वर्कर्रों से, जो वही काम करते हैं, अधिक तनख्वाह मिलती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं।

रेलवे इन्जिन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिए वाराणसी जिले के गांव कुकुरमुत्ता में भूमि लेने का निश्चय

*३०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंडुवाडीह रेलवे इंजन पुर्जा कारखाना वाराणसी क्षेत्र के हजारों किसानों तथा ग्रामीण नागरिकों की केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकार उत्तर प्रदेश तथा लोक सभा के सदस्य और विधान सभा के सदस्यों के नाम प्रकाशित अपील उन्हें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां। सरकार ने यह निश्चय किया है कि रेलवे इंजन पुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिये मौजा कुकुरमुत्ता (वाराणसी) सबसे उपयुक्त स्थान है। पर इसके लिये कम से कम भूमि प्राप्त की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कारखाने के लिए कुल कितनी जमीन की जरूरत है और इस गांव की कितनी जमीन ली जा रही है?

श्री रऊफ जाफरी--कारखाने के लिये तो करीब-करीब ३०० एकड़ की जरूरत होगी और यह कि इस गांव का रकबा क्या है इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कुकुरमुत्ता गांव की कितनी जमीन इस कारखाने के लिये ली जा रही है?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के किसानों को उनकी जमीन लिये जाने पर मुआवजा किस रेट से दिया जायगा?

श्री रऊफ जाफरी--मुआवजे के लिये यह तय हुआ है कि उनको काफी मुनासिब मुआवजा दिया जायगा। रकम का निश्चय अभी नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां यह कारखाना खोला जा रहा है उसके पास में महाराजा बनारस का कोई बड़ा शिकारगाह है और किसान चाहते हैं कि इस काम के लिये वहां की जमीन ली जाय?

श्री रऊफ जाफरी--जैसा कि बतलाया गया, उसके करीब और जमीनें भी हैं। हो सकता है कि उनकी जमीन भी हो, लेकिन जब इस गांव के किसानों का रिप्रेजेन्टेशन आया तो उसके बाद एक मीटिंग हुई और देखा गया कि हर हैसियत से यही जमीन कारखाने के लिये मुनासिब है। फिर यह तय हुआ कि जितनी कम से कम जमीन की जरूरत हो कारखाने के लिये वह ली जाय। उसमें नर्सरी और आबादी जो है वह न ली जाय और जितने लोग हैं, उनको जमीन के लिये मुनासिब मुआवजा दिया जाय। यह सब फैसला हो गया है।

श्री झारखंडे राय--क्या उद्योग मंत्री जी बतलायेंगे कि इन गांव वालों की तरफ से जो डेपुटेशन सरकार से मिला था और उस ने दूसरी जगह के लिये जो सुझाव दिया था, उस जगह पर कारखाना स्थापित करने में सरकार के लिये क्या अड़चनें थीं?

श्री रऊफ जाफरी--दूसरी जगह, जो उन्होंने बतलायी थी वह मुनासिब नहीं मालूम हुई।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां की जो जमीन ली जा रही है वह कितने किसानों की ली जा रही है?

श्री रऊफ जाफरी--उसमें काफी किसान हैं। सही तादाद इस वक्त नहीं बतला सकता।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो जमीन कम्पेन्सेशन पर ली जा रही है उसके बदले में जो शिकारगाह है उसमें जमीन को मक्तरुआ करार कर वह किसानों को देना ठीक नहीं समझती ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, उस जगह महाराजा बनारस का कोई शिकारगाह नहीं है।

गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, चुर्क की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का विचार

*३१--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार कोई और नई सीमेंट फैक्टरी चुर्क सीमेंट फैक्टरी की बगल में बनाने वाली है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये वर्तमान गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क का ही प्रसार किया जा रहा है।

*३२--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*३३-३४--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

भटनी चीनी मिल को पुनः चालू करने की प्रार्थना

*३५--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भटनी चीनी मिल इस वर्ष चालू हो जायेगी ? यदि हां, तो उसकी कौन सी व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) भटनी मिल के इस वर्ष चालू होने की उम्मीद नहीं मालूम देती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले में नल-कूपों के लिए बिजली की दर कम करने का सुझाव

*३६--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में ट्यूबवेल चलाने के लिये प्रति यूनिट बिजली क्या लिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह--फैजाबाद जिले में सरकारी नल कूपों को बिजली देने का मूल्य प्रति यूनिट १२·९ पाई से १४·५ पाई तक है। (मूल्य लोड फैक्टर के अनुसार घटता-बढ़ता है।)

फैजाबाद जिले में तालाबों और कुंओं से सिंचाई पर रोक की शिकायत

*३७--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में नल-कूपों के आसपास जो किसान तालाब अथवा कुआं से सिंचाई करते थे उन कुओं और तालाबों से सिंचाई करना नलकूप विभाग द्वारा रोक दिया गया है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है। नलकूपों के कमान्ड का काफी क्षेत्र अब भी तालाबों व कुओं से सींचा जाता है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सिंचाई मंत्री महोदय बतलायेंगे कि एक कुयें का कमान्ड एरिया कितना है और आप कितना सींच पाते हैं ?

श्री राममूर्ति--प्रत्येक कुयें का कमान्ड ६०० से लेकर १,००० हजार एकड़ तक रखा जाता है। पुराने जमाने में, सन् ३५ के बाद से १,००० एकड़ रखा जाता था, लेकिन इधर आबपाशी की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा हो गया है, इसलिये हमने कमान्ड को घटा दिया है और अब ६००, ७०० एकड़ रहता है। जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है, क्योंकि पूर्वी इलाके में, जिस इलाके का माननीय सदस्य सवाल कर रहे हैं अभी तक लोगों की रुचि कुयें के इस्तेमाल की तरफ पूरी तरह नहीं हो रही है तो वहां पर अभी ज्यादा से ज्यादा १००, २०० एकड़ लोग सींच लेते हैं, लेकिन पश्चिमी जिलों में जहां पर लोग ज्यादा पानी देना जानते हैं वहां पर ४००, ५०० एकड़ में एक कुयें से सिंचाई हो जाती है और साल भर में ४, ५ हजार घंटे तक कुयें चल जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सिंचाई मन्त्री जी को सूचना है कि बिजली का जो रेट है इसका पर यूनिट ज्यादा चार्ज होने की वजह से जो उस कमान्ड एरिया के रहने वाले लोग हैं वे ट्यूबवेल का लाभ नहीं उठाते और सिंचाई पूरी नहीं कर पाते ?

श्री राममूर्ति--ऐसा हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो क्या सरकार का यह सिंचाई विभाग और बिजली विभाग मिलकर कोई ऐसी योजना बनायेंगे, जिससे बिजली की यूनिट का रेट और सिंचाई का रेट दोनों मिलकर किसानों पर वाजिब तरीके पर लागू हो सके और किसान सिंचाई का लाभ उठा सकें ?

श्री राममूर्ति--सरकार इस बात पर विचार कर रही है।

सिंचाई विभाग के ओवरसियरों को मोटर साइकिल एलाउन्स

*३८--श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सिंचाई विभाग के ओवरसियरों को मोटर साइकिलों का एलाउन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना और कितने मील के वर्क पर ?

श्री राममूर्ति--जी हां, सिंचाई विभाग के ओवरसियरों को, यदि वे मोटर साइकिल रक्खें तो, २५ रुपया महीना मोटर साइकिल एलाउन्स दिया जाता है। वर्क की दूरी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

झांसी जिले में विलीन रियासतों के पेन्शनर्स को मंहगाई भत्ता देने की प्रार्थना

*३९--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में विलीन हुई रियासतों के पेन्शनर लोगों को महंगाई का भत्ता दिया जाता है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री लक्ष्मण राव कदम--जब कि सरकार वहां के अन्य कर्मचारियों को अपने कर्मचारियों की तरह सभी सुविधा तथा स्केल आदि दे रही है, तो क्या वह पेन्शनर्स को महंगाई देने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने इस बात पर विचार किया और उसको रिजेक्ट कर दिया

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार इसके कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---जिन लोगों को पैंशन मिल रही थीं उनके स्टेट के अलग नियम थे और हमारे अलग थे, वे मिन्गिल नहीं हो सकते थे ।

श्री झारखंडेराय---कितने ऐसे पैंशनर हैं जिन्हें पैंशन देनी पड़ती है ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनको ग्रेड रियासतों के दिये जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश के ?

श्री धर्मसिंह---जो स्टेट में पैंशन या ग्रेड के नियम थे वही लागू किये गये हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या इस पैंशन के अन्तर में समानता लाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

*४०---श्री लक्ष्मणराव कदम---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

भरौली बाजार और बांस देवरिया में बिजली कार्यालय के कर्मचारियों के निवास स्थान के लिये ली गई जमीन का मुआवजा न मिलना

*४१---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया खास के कुछ काश्तकारों की जमीनें सरकार द्वारा बिजली कार्यालय बनाने के लिये ली गई ? उसका मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---कर्मचारियों के निवास स्थान बनाने के लिये जो भूमि भरौली बाजार और बांस देवरिया में ली गई है, तत्सम्बन्धी पत्रादि मार्च, १९५५ में स्पेशल लैन्ड एक्वीजिशन आफिसर रायबरेली को समुचित कार्यवाही के लिये कलेक्टर देवरिया ने भेजे थे । ये पत्रादि लैन्ड एक्वीजिशन आफिसर, गोरखपुर के कार्यालय स्थापित होने पर अगस्त, १९५५ में रायबरेली से गोरखपुर स्थानान्तरित कर दिये गये । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लैन्ड एक्वीजिशन आफिसर गोरखपुर के कार्य में विशेष रूप से वृद्धि हो जाने के कारण इस मुकदमें में कार्यवाही पूर्ण रूप से अब तक नहीं हो सकी है । तुरन्त मुआवजा देने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में एक लैंड एक्वीजीशन आफिसर पहले से ही है तो ये कागजात गोरखपुर क्यों भेजे गये ?

श्री धर्मसिंह---उसका आफिस तोड़ दिया गया था, इसलिये गोरखपुर भेजे गये ।

*४२---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३-४५---श्री नन्दकुमारदेव वशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६-४७---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

अमरीकन इन्फार्मेशन सर्विस के लोगों द्वारा रिह्न्द बांध के चित्र लेना

*४९--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या यह सत्य है कि गत मार्च में अमरीकन इन्फार्मेशन सर्विस के कुछ व्यक्ति रिह्न्द बांध देखने गये थे, यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उन्हें आवश्यक आज्ञा बांध देखने के लिये दी थी ?

श्री धर्मसिंह--कुछ चुने हुये भारतीय संवाद-दाताओं को रिह्न्द बांध दिखलाने के लिये यूनाइटेड स्टेट्स इनफारमेशन सर्विस ने प्रबन्ध किया था और राज्य सरकार को इसकी सूचना थी।

*५०--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार को ज्ञात है कि ऊपर कहे गये व्यक्तियों ने बांध के कुछ चित्र भी लिये थे ?

श्री धर्मसिंह--भारतीय संवाद-दाताओं की पार्टी ने जिसको विभाग के उच्च अधिकारियों ने बांध-स्थल दिखलाया कुछ चित्र लिये थे।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चुने हुए भारतीय संवाद-दाताओं को रिह्न्द बांध दिखाने का यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विस ने क्यों प्रबन्ध किया ?

श्री धर्मसिंह--उन्होंने चीफ इंजीनियर, इलैक्ट्रिसिटी, को सूचना भेजी थी कुछ दिन पहले ही कि हम देखना चाहते हैं। चीफ इंजीनियर ने सरकार से मालूम किया और उसके बाद निर्णय किया कि वे देख सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--मैंने यह प्रश्न पूछा कि यह प्रबन्ध उनकी ओर से क्यों किया गया था ?

श्री धर्मसिंह--इसका कारण एक तो यह है कि वे कुछ थोड़ी सी एड देते हैं और कायदे में उनको सैन्ट्रल वाटर ऐन्ड पावर कमीशन के द्वारा इत्तला देनी चाहिये थी, लेकिन चूंकि समय कम था, इसलिये चीफ इंजीनियर ने सरकार के द्वारा निर्णय कर लिया कि वे देख सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विस जो बांधों के चित्र आदि लेती है उनको अमेरीकन इन्टैलीजैन्स डिपार्टमैंट को भेज देती हैं, तो क्या सरकार इसे रोकने का कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--यह केन्द्रीय सरकार से संबंधित है, इसके लिये नहीं कहा जा सकता कि क्या करती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या प्रदेशीय सरकार ने विदेशी संवाद-दाताओं या पर्यवेक्षकों के लिए प्रदेश के विकास के कार्यों को देखने के लिये नियम बनाये हैं ?

श्री धर्मसिंह--भारतीय सरकार बनाती है और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं।

श्री झारखंडेराय--जो चित्र व रिपोर्ट वे बाहर भेजते हैं उसकी प्रति प्रदेशीय सरकार को भी वे देते हैं या नहीं और क्या सरकार लेने की अपेक्षा करती है ?

श्री धर्मसिंह--इस केस में ऐसा नहीं किया गया है और यदि आवश्यकता पड़ी तो भारतीय सरकार को लिखा जायगा कि प्रतिलिपि भेज दी जाय।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--जो चित्र अमेरिकन्स ने लिये, क्या वे भारतीय संवाद-दाताओं के पास ही हैं या यूनाइटेड इन्फार्मेशन के पास भेज दिय गये हैं ?

श्री धर्मसिंह--नोटिस की आवश्यकता है ।

*५१-५२--श्री गज्जूराम---[२० अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ८५-८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फिरोजाबाद के कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स को कोयला न मिल सकना

*५३--श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता के आधार पर फिरोजाबाद की जनता ने जो एक कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स खोलने का निश्चय करके उसकी विधिवत् रजिस्ट्री आदि भी करा ली थी उसे चालू करने के लिये कोयला आदि का कोटा अब तक क्यों स्वीकृत नहीं किया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी---कांच की चूड़ियां बनाने के हेतु कोयले आदि की मांग प्रस्तुत करने पर उल्लिखित ग्लास वर्क्स को सलाह दी गई कि फिरोजाबाद में चूड़ी के अत्यधिक कारखाने होने के कारण वे कांच का अन्य माल बनावें । उन्होंने इस सलाह को मान लिया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि जब वे अपना कारखाना चालू करें तो सूचना दें, ताकि उनकी कोयले आदि की मांग पर विचार किया जाय, परन्तु बाद में उक्त ग्लास वर्क्स ने फिर चूड़ी बनाने के लिये कोयले आदि की मांग पर जोर दिया, जो स्वीकार नहीं की जा सकी ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इस कोआपरेटिव ग्लास वर्क्स को दूसरे कांच के सामान के लिये अब भी कोटा देने के लिये तैयार है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह आश्वासन तो उन्हें पहले ही दे दिया गया था ।

*५४-५५--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ६-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

सोहावल बिजली घर से नलकूपों को पर्याप्त बिजली न मिलना

*५७--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि सोहावल का बिजलीघर इतनी बिजली नहीं दे पाता कि जिले के नल-कूप आवश्यकता के अनुसार जल खींच सकें ?

श्री धर्मसिंह--नल कूपों को बिजली इस समय रोस्टरिंग (rostering) से दी जाती है, लेकिन जिस समय फैजाबाद का स्टीम का बिजली घर (Steam Power Station) तैयार हो जायगा नलकूपों को पूरी बिजली दी जायगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फैजाबाद का स्टीम बिजली घर कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह--अक्तूबर के अन्त तक उम्मीद की जाती है ।

टांडा नहर चलाने के लिए पम्पिंग सेट्स

*५८--श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा नहर में कितनी पानी खींचने वाली मशीनें लगेंगी और कितनी मशीनों के मंगाने का प्रबन्ध किया जा चुका है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ५७-५८ भी रामस्वरूप वर्मा ने पूछे ।

श्री राममूर्ति---ठांडा नहर को चलाने के लिए ६० क्यूसेक्स शक्ति वाले कुल ६ पम्पिंग सेट्स की आवश्यकता है। इनमें से २ पम्पिग सेट्स प्राप्त हो चुके हैं, शेष ४ पम्पिग सेट्स के लिए डाइरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज, कानपुर से टेन्डर प्राप्त हो चुके हैं, जो अभी विचाराधीन हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ४ जो बाकी रह गये हैं वे कब तक मिल जायंगे ?

श्री राममूर्ति---आशा की जाती है कि मार्च तक मिल जायेंगे।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नहर कब खोदी गई और कितने साल के बाद और मशीन के लिये कब इंडेंट हुआ ?

श्री राममूर्ति---गालिबन ५४ के बाद इसका खोदना शुरू हुआ, लेकिन यह मुझे नहीं मालूम कि मशीन के लिये कब लिखा गया।

इटावा जिले के नहर विभाग में अमीन व पतरौल के चुनाव में परिगणित जाति के व्यक्ति न लेने पर आपत्ति

*५६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५६ में और ३० जून, सन् १९५७ तक इटावा जिले में नहर विभाग के कितने अमीन व पतरौल चुने गये ? उनमें क्रमशः पिछड़े वर्ग व परिगणित जातियों के लोगों की संख्या क्या है ?

श्री राममूर्ति---सन् १९५६ में ११ आदमी पतरौल के पद के लिये चुने गये। इनमें से ३ व्यक्ति पिछड़ी जातियों के हैं। सन् १९५७ में ३० जून तक अमीन और पतरौल के पद के लिये कोई भर्ती नहीं हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये तीनों व्यक्ति पिछड़ी जातियों के ही हैं या उनमें कोई परिगणित जाति का भी है ?

श्री राममूर्ति---तीनों पिछड़ी जातियों के ही हैं, परिगणित का कोई नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---संविधान के अनुसार १८ प्रतिशत उनको मिलने के नियम का इसमें ध्यान क्यों नहीं रखा गया और क्या कारण है कि परिगणित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं लिया गया ?

श्री राममूर्ति---सरकार की बराबर यही कोशिश है कि बैकवर्ड और परिगणित जातियों के लोग ज्यादा से ज्यादा लिये जावें। अनुपात से अधिक संख्या भी लेने की कोशिश की जाती है, परन्तु दरख्वास्तें काफी नहीं आ पाती हैं। कई बार हिदायतें कर दी गई हैं कि बैकवर्ड और परिगणित जातियों के लोग ज्यादा लिये जावें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---पतरौलों की दरख्वास्तों में परिगणित जाति के लोगों की दरख्वास्तें थीं या नहीं ? अगर थीं, तो कितनी और उनके व्यक्ति क्यों नहीं लिये गये ?

श्री राममूर्ति---इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है ? दोबारा यदि प्रश्न कर दिया जाय तो पूरी जानकारी मंगाकर पेश कर दी जायगी।

मिर्जापुर जिले में नलकूपों की आवश्यकता

*६०---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि मिर्जापुर जिले में कितने नलकूप इस वर्ष लगने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति---मिर्जापुर जिले में इस वर्ष कोई नलकूप लगाने का विचार नहीं है।

*६१-६२--श्री रघुनाथसहाय यादव (जिला फतेहपुर)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

हिन्दू-मुस्लिम बताशा एसोसिएशन नूरी दरवाजा का प्रार्थना-पत्र

*६३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या हिन्दू-मुस्लिम बताशा एसोसियेशन नूरीदरवाजा की तरफ से बताशों को बिक्रीकर से बरी करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है ? अगर हां, तो सरकार ने उसके संबंध में क्या कार्रवाई की ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। सरकार को २० जुलाई, १९५७ को एक अभिवेदन (रिप्रेजेन्टेशन) प्राप्त हुआ था जो विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इस संबंध में सरकार का फैसला कब तक हो जाने की संभावना है ?

श्री धर्मसिंह--इसको हम एक्जामिन करा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाय।

*६४--६५--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६६--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

रिहन्द डैम के इंजीनियरों की गाड़ियों पर व्यय

*६७--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि १९५६ में रिहन्द डैम (Rihand Dam) के इंजीनियरों के पास कितनी-कितनी सरकारी गाड़ियां थी ? उस वर्ष में उन पर कितना रुपया पेट्रोल , मरम्मत और रख-रखाव में व्यय हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

हैण्डीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने का विचार

*६८--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या राज्य सरकार प्रदेश में हैण्डीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिये कोआपरेटिव सोसायटीज कायम करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उनकी क्या रूप-रेखा होगी और किन-किन जिलों में ये सोसाइटियां स्थापित होंगी।

श्री रऊफ जाफरी--ऐसी सहकारी समितियां स्थापित करने का प्रयास सरकार की औद्योगिक सहकारी योजना के अन्तर्गत प्रथम ही से किया जा रहा है और निर्धारित नियमानुकूल उनकी रजिस्ट्री भी की जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के लगभग हर जिले में सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक किन-किन जिलों में ये सोसाइटीज कायम की जा चुकी हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--यह फेहरिस्त में दिया हुआ है। फिर भी ३० जून तक ५२७ समितियां कायम हुईं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार की ओर से इन सोसाइटीज को कोई आर्थिक सहायता भी दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री रऊफ जाफरी--सहायता दी जाती है, लेकिन कितनी, यह उनकी जरूरत, उसके बारे में जांच के नतीजे पर मुनहसिर रहता है और इस पर भी कि वे कैसा काम करती हैं ।

*६९-७१--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाइज एसोसियेशन की ओर से मांगें

*७२--श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से मजदूरों की लिखित मांगें आई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सरकार के पास समय-समय पर ऐसोसिएशन की ओर से विभिन्न विषयों पर मांगें आई हैं । ये मांगें मुख्यतः वेतन व मंहगाई भत्ते की वृद्धि, शिफ्ट ड्यूटी के घंटों में परिवर्तन आदि से सम्बन्धित हैं । अधिकांश मांगे व्यक्तिगत हैं, जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनका विवरण सदन में देना सम्भव नहीं है । यदि सदस्य महोदय किसी विशेष मांग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो नोटिस देने पर सूचना दी जा सकती है ।

*७३--श्री जवाहरलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुख्य मागों पर, जैसे वेतन में वृद्धि, टास्क-वरकर्स की छुट्टी देने के नियमों में परिवर्तन, टास्क वरकर्स को बोनस इत्यादि पर कर्मचारियों के पक्ष में सरकारी निर्णय हो चुके हैं, शेष उन मांगों पर जिनका सम्बन्ध किसी कर्मचारी विशेष से है, सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

*७४--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया ।]

*७५-७६--श्री रघुवीरसिंह--[२ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये ।]

हल्द्वानी तहसील में जलकष्ट निवारणार्थ कार्य

*७७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हल्द्वानी तहसील, जिला नैनीताल में भावरी काश्तकारों के हेतु जलकष्ट के निवारणार्थ वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री राममूर्ति--हलद्वानी तहसील में जलकष्ट के निवारणार्थ निम्नलिखित कार्य हुए हैं--

(अ) गौलावार क्षेत्र की नहरों की मरम्मत हाल ही में कर दी गई है । पानी की सुविधा के लिये गौला हैडवर्क्स की भी काफ़ी मरम्मत कर दी गई है ।

(ब) गौलावार क्षेत्र की जो नहरें रेत से पटी थीं, उन्हें गत वित्तीय वर्ष (१९५६-५७) में साफ करा दिया गया है और अब यह नहरें पूरी मात्रा में जल वितरण कर सकेंगी । इसके अतिरिक्त बेरीघाट बरसाती के पास एक रेगुलेटर इस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि फिर इस क्षेत्र की निचली नहरों को अविरल जल मिल सके एवं बेरीघाट बरसाती की भी यथोचित मरम्मत कर दी गई है ताकि वह ठीक प्रकार से पानी दे सके ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन उपायों से कितना क्यूसेक पानी गौला नहर में बढ़ा है ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास इसकी इस वक्त सूचना नहीं है। अगर इसके बारे में फिर से कोई प्रश्न कर दिया जाय तो मैं उसका जवाब डिटेल में मंगा लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास भविष्य में कोई ऐसी योजना है कि जो यहां पर जलकष्ट है वह दूर हो सके ?

श्री राममूर्ति---अभी जो मरम्मत की गयी है उससे नहर की खराबी को दूर कर दिया गया है और अब इससे नहर को पूरी कैपेसिटी में पानी मिलेगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि जो बैरीघाट बांध बना है वह इस तरह से बंधा है कि गोलापार की सतह ऊंची हो जाने से पानी उसमें नहीं जा सकता और उसके कारण किसानों को धान के लिये पानी नहीं मिलता ?

श्री राममूर्ति---यह तो मालूम नहीं है, लेकिन पहले जो खराब हालत थी उसके मुकाबले में अब हालत बहुत अच्छी है। अब पानी अच्छी तरह मिलना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वहां पर जलकष्ट है, जिसमें पीने का पानी भी शामिल है, उसके हेतु उन्होंने क्या उपाय किया है ?

श्री राममूर्ति---वैसे हलद्वानी में सरकार ने एक ट्यूबवेल बनवाया है, ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन

*७८---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन निर्माण के बाद प्रतिवर्ष क्या रहा ? उसमें अब तक कितना रुपया लग चुका है ?

श्री रऊफ जाफरी---

१९५४-५५	८४,४५९	टन
१९५५-५६	१,७७,९५५	,,
१९५६-५७	१,९६,३५०	,,
कुल लागत	४६७.६६	लाख
	या ४६८	लाख

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस लागत में कितना व्यय आवर्त्तक और कितना अनावर्त्तक है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह जो बताया गया है यह सब कैपिटल एक्सपेंडीचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न का आधे भाग का जो उत्तर छूट गया है, क्या उस का भी उत्तर देने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि व्यावसायिक आधार पर हिसाब लगाने पर यह फैक्टरी लाभ में चल रही है या हानि में चल रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---लाभ में।

नोट:---तारांकित प्रश्न ७८ श्री जगदीशप्रसाद ने पूछा।

श्री जगदीशप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले वर्ष इसका लाभ क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह फीगर मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन शायद नौ लाख रुपये के करीब हुआ था।

राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं मंत्रियों के निवास स्थानों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का वेतन

*७९---श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं मन्त्रियों के निवास भवनों की देख-रेख करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन किस दर पर दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह---राजभवन, विधान भवन, विधायक निवासों एवं मंत्रियों के निवास भवनों की देखरेख के लिये १९३ कर्मचारी नियुक्त हैं। उनके वेतन का ब्योरा नत्थी किये गये नक्शे में है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९३ पर)

श्री श्रीनाथ---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारियों से कभी कभी काम करने के निर्धारित समय के अतिरिक्त भी काम लिया जाता है? यदि हां, तो क्या उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह---वह तो जो नियम बना है काम करने का, उसी के अनुसार किया जाता है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें ऊंचे से ऊंचे किस दर्जे के कर्मचारी हैं और नीचे से नीचे किस दर्जे के कर्मचारी हैं ?

श्री धर्मसिंह---जो लिस्ट है उसके अनुसार ऊंचे दर्जे के तो वर्क सुपरवाइजर हैं और नीचे दर्जे के खलासी, फर्राश, कुली इत्यादि हैं ।

*८०-८१---श्री जगदीशशरण अग्रवाल---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

राप्ती-सरयू कटाव निरोधक उपायों की आवश्यकता

*८२---श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि राप्ती-सरयू कटाव निरोधक योजना इस पंचवर्षीय योजना में लागू होगी ?

श्री राममूर्ति---ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामजीसहाय---क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले में बरहज का कटाव शारदा और नगवा से और करकोल का कटाव राप्ती से तेजी से हो रहा है, जिससे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की हानि की संभावना है ?

श्री राममूर्ति---जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया, सही हो सकता है, लेकिन सरकार की दिक्कत यह है कि इन दरियाओं में ढाल बहुत ज्यादा है और यह कटाव का काम हर साल हुआ करता है। तखमीना यह हुआ है कि अगर इनके ऊपर स्पर्स बनाये जायं तो करीब एक करोड़ रुपया हर मील में खर्चा होगा। यह इतनी ज्यादा कीमत है कि जिसकी वजह से सरकार कोई ऐसा काम करने की योजना बनाती नहीं।

नोट---तारांकित प्रश्न ८२ श्री रामजीसहाय ने पूछा।

*८३-८५---श्री जगद्दीशशरण अग्रवाल---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

१---श्री वीरेन्द्र वर्मा---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले के रामपुर में धुनौली गांव में भुखमरी से अभिकथित मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब हमारे सामने कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं । पहला प्रस्ताव श्री श्री झारखंडेराय और श्री चन्द्रजीत यादव का है । वह इस प्रकार है---

"आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट थाना रामपुर-धनौली गांव की हरिजन बस्ती के मेल्हू हरिजन की एक सप्ताह तक उपवास करने के बाद गत ८ अगस्त को भुखमरी से मौत तथा उसके पूरे परिवार की अर्द्ध-भुखमरी की हालत में आज भी जीवनयापन की स्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

झारखंडे राय जी स्वयं गये हुए थे और उन्होंने इसकी जांच करके, इस तरह की घटनाओं का जिक्र उसमें किया है ।

मैं जानना चाहूंगा सरकार की तरफ से कि इसमें क्या वास्तविकता है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे अभी आध घंटा हुआ मिला है। इसकी तहकीकात नहीं कर सका। बहरहाल, अगर आप हुक्म देंगे तो आज दिन भर में पुछवा लूंगा कि क्या सूरतहाल है । मैं कल कोई बयान दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---जांच के बाद इसके बारे में आप इत्तला सदन को दे दें ।

जहां तक इस कामरोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं उसके बारे में निर्णय तो दिये देता हूं, क्योंकि अभी बजट का विवाद चलता ही जाता है और आज जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बजट भी है, मेरा खयाल है कि उस विवाद में यह सवाल उठाया जा सकता है और तब तक आप पता भी लगा लें । अब इसके सिलसिले में अगर कोई टीका टिप्पणी बजट अनुदान के विवाद में हुई तो माननीय मुख्य मंत्री जी उसका जबाव दे सकते हैं । इस लिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री सैयद अली जहीर---परसों मेरा बजट भी होने जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष---तो उसमें भी जिक्र आ सकता है, लेकिन आपको सही वाकयात की इत्तला सदन को दे देना है ।

आजमगढ़ शहर में बम विस्फोट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव सर्वश्री झारखंडेराय तथा चन्द्रजीत यादव जी का है जो इस प्रकार है—

"आजमगढ़ शहर में एक सप्ताह के भीतर तीन बार गत मंगलवार ६ अगस्त को रात ९ बजे एक तथा गत शुक्रवार ९ अगस्त को रात ९ बजे दो बम-विस्फोट तथा इस विषय

[श्री अध्यक्ष]

में पुलिस की अब तक कुछ भी पता लगा सकने में असफलता से उत्पन्न जन आतंक, व्याप्त असंतोष, बेचैनी तथा तनाव के वातावरण पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

इस पर भी थोड़ा बहुत आज जिक्र हो सकता है । २२ तारीख को पुलिस अनुदान भी आयेगा, उस में भी जिक्र हो सकता है और तब तक शायद उसकी जांच भी हो जायगी, लेकिन माननीय मंत्री जी अगर यह अपेक्षा कर रहेहैं कि शायद मैं उनसे कहूं कि वह अब तक की सूचना सदन को दे दें तो मैं उन्हें अनुमति दे दूंगा ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--थोड़ी सी सूचना मैंने मंगा ली है जरूर, क्योंकि साढ़े दस बजे के बाद यह मिला तो कोशिश इस बात की की कि टेलीफोन से वहां के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके पता लगा लूं । जो सूचना मिल सकती थी अभी वह यह है । ६ अगस्त को एक दूकान में रात को किसी ने फेंकर फेंका, उससे उस दूकान के दरवाजों को कुछ जरूर नुकसान पहुंचा और किसी को कोई चोट नहीं लगी । इसके बारे में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इनवेस्टीगेशन हो रहा है । और ९ अगस्त को फिर किसी ने एक ऐसा ही पटाखा फेंका, जिसमें एक आदमी गिरफ्तार किया गया है। यह बात सही नहीं है कि ९ अगस्त की रात को २ बम कहीं फटे । पटाखे जरूर फटे, जिसमें एक आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी जांच हो रही है। और यह साधारण सी घटना थी, लेकिन पुलिस इसका पता लगाने की चेष्टा कर रही है । और आजमगढ़ शहर में या जिले में सौभाग्य से न कोई आतंक व्याप्त है, न असंतोष, न बेचैनी है ।

श्री अध्यक्ष--मैं तो सूचना देने के लिये आप से कह रहा था ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना ही दे रहा हूं मान्यवर, और कुछ नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--कौन पटाखा बम है और कौन बम पटाखा है इसकी जानकारी कैसे हो ?

श्री अध्यक्ष--यह तो राय का सवाल है। इसके जो माहिर हैं बम वाले, उनसे पूछिये ।

प्रतापगढ़ जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा जी का है :

"प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार तथा खाने में गड़बड़ी व गन्दगी के विरोध स्वरूप ३१ जुलाई से सोशलिस्ट सत्याग्राहियों ने भूख हड़ताल प्रारम्भ की । ३ अगस्त, सन १९५७ को अचानक जेल अधिकारियों ने सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर बरबर्तापूर्ण लाठी चार्ज करवाया, जिसमें अनेक सत्याग्रहियों को चोटें आयीं । फलस्वरूप जेल तथा प्रदेश के नागरिकों में रोष तथा असन्तोष का वातावरण फैल गया है ।

अतः इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

यह भी जेल के अनुदान के समय आ सकता है और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान में भी आ सकता है । दोनों में इसका जिक्र किया जा सकता है । मैं इसे इतने महत्त्व का नहीं समझता हूं कि सदन का काम रोका जाय, जबकि बजट का अनुदान चालू है । दूसरे एक बात और है कि ३ अगस्त को यह चार्ज किया गया और आज है तारीख १२ तो सदन उस वाकय क बाद बैठा था । इस बीच में यह प्रस्ताव क्यों नहीं लाये ? इससे

मालूम होता है कि माननीय सदस्य स्वयं उसकी अर्जेंसी कबूल नहीं करते हैं, फिर मैं कैसे कबल करूं ? यह अर्जेंट नहीं मालूम होता । इसलिये अस्वीकृत करता हूं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैं यह कह रहा था कि इस विषय में सूचना जरूर लेट प्राप्त हुई, लेकिन सूचना की इतनी पुष्टि है, इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष---आप उसका जिक्र कर सकते हैं बजट के डिस्कशन में । लेकिन सब बजट का काम छोड़कर इसी के ऊपर बहस करें, इसके लिए मैंने रोका है ।

बलिया जिले में घाघरा नदी से होने वाले कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री गौरीशंकरराय का है :

"बलिया जिले के द्वाबा परगने से सुरेमनपुर स्टेशन के पास प्रायः एक मील की लम्बाई में घाघरा नदी का कटाव रेलवे बांध के निकट आ गया है । यह रेलवे बांध द्वाबा परगना की रक्षा करता रहा है । इस को बचाने का प्रयास केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी करती रही है । इस बांध के एक स्थान पर कटान से प्रभावित होने के कारण रेलवे का आवागमन पिछले दस दिन से रुका है । कल ११-८-५७ को घाघरा नदी के कटान ने रेलवे बांध को पूरी तरह से काट दिया है । इस बांध के कट जाने से द्वाबा परगना की हजारों एकड़ भूमि के कट जाने और बह जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यह बांध रेलवे के साथ-साथ बलिया जिले के द्वाबा परगने की भी रक्षा करता रहा है । इसके रक्षार्थ राज्य सरकार की ओर से अलग व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि राज्य सरकार भी इसी बांध की रक्षा का प्रयास करती रही है । इस गम्भीर आवश्यक एवं सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्न पर विचारार्थ सदन आज का कार्य स्थगित करता है ।"

अब यह तो स्वयं वह कबूल करते हैं कि राज्य सरकार इस बांध की रक्षा के लिए बराबर कोशिश करती रही है । केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, तिस पर भी यह सरकार भी अपना काम करती रही है । तो इसके ऊपर जब वह अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं तो सुझाव तो माननीय सदस्य दे सकते हैं, लेकिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह नहीं आ सकता । एक तो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है विषय और दूसरे सरकार इमदाद कर ही रही है, यह जिक्र प्रस्ताव में किया गया है.....

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, उसके टूट जाने से एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है कल और उसके बाद कोई प्रयास नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---तो यह तो बात प्रस्ताव में दी नहीं है...

श्री गौरीशंकरराय---मैंने उसके साथ लिख के अलग से दिया है । मैं स्वयं गया था.....

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव में वह नहीं है । तो इसके ऊपर जिक्र आप अभी नहीं कर सकते ।

श्री गौरीशंकरराय---माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसके ऊपर आप माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके यह आज्ञा देंगे कि इसपर कुछ बात हो जाय सदन में ?

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में अगर कुछ जानकारी हो मन्त्री जी के पास और वे वह सूचना देना चाहें तो दे दें ।

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)---थोड़ी सी सूचना मैं दे दूं। शायद उससे माननीय सदस्य को सन्तोष हो जाय। बांध वहां दो बने हुए हैं। एक तो जिस पर इस वक्त रेल की लाइन चलती थी और एक बांध उससे थोड़ा हट कर रेलवे वालों ने बनाया था कुछ समय पहले, इस विचार से कि यदि आवश्यकता होगी तो दूसरे बांध पर रेल की लाइन को घुमा लेंगे। तो पहला बांध जिस पर कि रेल चलती थी वह अवश्य कट गया है। उसके लिए दो तीन साल से प्रयास किया जा रहा था कि वह न कटने पावे। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे विभाग की तरफ से लाखों रुपया रोजाना के हिसाब से खर्च हो रहा था। उसका कारण यह है कि उससे थोड़ी दूर हट कर एक पुल है रलवे का, जो करीब डेढ़ करोड़ रुपये का बना हुआ है। तो रेलवे को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है उसको बचाने की और उसके लिये प्रयास रेलवे की तरफ से चल रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे हजारों बीघे के कट जाने का डर है, ऐसी कोई सम्भावना नहीं है। अव्वलन तो जो दूसरा बांध बना था वह मौजूद है। यदि दोनों नाकामयाब रहे तो थोड़ी बाढ़ या (फ्लड) आ सकता है। भूमि के कटने या न कटने का वर्तमान बांध से कोई संबंध नहीं है। यह सूचना मेरे पास थी सो मैंने दे दी। जो भाग कट गया है उसको भी भरने की रलेवे की तरफ से कोशिश की जा रही है और कलेक्टर बलिया भी जागरूक हैं। अगर हमारे कुछ करने की आवश्यकता होगी तो वह हमें सूचना देंगे।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह पेश करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ३६ गिलोटिन कर दी जाय अर्थात् इस पर बिना किसी वाद-विवाद के मत ले लिया जाय और आज अनुदान संख्या १२ और १३ के लिए ३ घंटे और बाकी समय अनुदान संख्या ४० के लिए रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---अनुदान संख्या १२ और १३ एक साथ ले लिये जायं ?

श्री सुरथबहादुरशाह---जी हां, और कल अनुदान संख्या ४३-योजना और एकीकरण ले लिया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह सुझाव देना चाहता था कि सामान्य प्रशासन के जो १२ और १३ अनुदान हैं उनको आज ही ले लिया जाय, तमाम दिन, और ४३ और ४० को कल।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति है ?

श्री सुरथबहादुरशाह---यह तो सुविधा के हेतु कहा गया था। मेरे विचार से कल का दिन यदि प्लानिंग के ऊपर दिया जाय तो बड़ा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष---तो आप उनकी बात स्वीकार नहीं करते ?

श्री सुरथबहादुरशाह---मुझे इसमें ताम्मुल है।

श्री अध्यक्ष---तो वही रहे जिसमें आपको सुविधा है।

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---अनुदान संख्या ४० अगर कल हो तो अच्छा है, क्योंकि यह मालूम नहीं था कि आज होगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, उसको आखिर में रख दें।

श्री अध्यक्ष––आपका कहना सिर्फ यह है कि ३ घंटे के बाद अनुदान ४० की शुरुआत हो जानी चाहिये और तीन घंटे के बाद पौन घंटे का समय रहता है, वह आप अनुदान ४० को देना चाहते हैं। तो पौन घंटे का समय कल आखिर में ४० को दे दें और ४३ को आज शुरू कर दें। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री सुरथबहादुरशाह––जी नहीं।

श्री अध्यक्ष––तो यही रहा कि ३ घंटे अनुदान १२ व १३ पर बहस होगी और इसके बाद ४३ ले लिया जायगा और प्रारम्भ होने के बाद वह कल दिन भर करीब-करीब चलेगा और जितना समय ३ घंटे के बाद आज का बच रहेगा वह समय ४० के लिए कल दिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)––आज १२–१३ दिन भर होंगे ?

श्री अध्यक्ष––१२–१३ तीन घंटे होंगे। फिर ४३ शुरू हो जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाई साहब को कुछ कठिनाई न हो तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाय कि आज के दिन १२–१३ ही चलें।

श्री अध्यक्ष––वह चाहते हैं कि प्लानिंग के लिए पूरे एक दिन का समय लिया जाय। अगर आज १२–१३ को लेते हैं तो ४३ के लिए एक घंटे का समय बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आपत्ति तो नहीं है ?

श्री सुरथबहादुरशाह––मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष––तो कल एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय। आज १२–१३ ले लिया जाय और कल पहले प्लानिंग ले लिया जाय और वह दिन भर चलने के बाद समय बढ़ा कर अनुदान संख्या ४० को लिया जायगा।

अनुदान संख्या ३६––लेखा शीर्षक ५४–क––प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४–ख––भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६––प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशने तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते-लेखा शीर्षक ५४–क––प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशने तथा ५४–ख––भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते के अन्तर्गत ११,१२,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६––प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते––लेखा शीर्षक ५४–क––प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४–ख––भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते के अन्तर्गत ११,१२,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,८४,२२,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(कुछ ठहर कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय-लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,०६,४८,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन सौभाग्य या दुर्भाग्य से उन विभागों में नहीं है, जिनकी गणना विकास मूलक डेवलपमेंट के विभागों में होती है। इस विभाग में नई बातें प्रायः बहुत कम होती हैं। आंकड़ों में भले ही थोड़ी बहुत कमोबेशी होती रहे, परन्तु बजट पेश करते वक्त मंत्री भी पुरानी बातों को दुहरा जाता है और यदि पिछले कई वर्षों की प्रोसीडिंग्स को देखा जाय तो इन मदों के सिलसिले में जो शिकायतें की जाती हैं, जो बातें कही जाती हैं, वे भी प्रायः पुरानी ही होती हैं। ऐसी अवस्था में तो शायद यह उचित होता कि इन मांगों को पेश करते समय, मैं अपनी तरफ से कुछ भी न कहता, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि दो तीन बातें ऐसी हैं, जिनकी कुछ चर्चा होनी चाहिये ।

एक तो विषय वह है कि जिसको विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने अपने सामान्य विवाद वाले भाषण में महत्व का स्थान दिया, लेकिन समयाभाव के कारण माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर देते समय उसका कुछ जिक्र न कर सके । यह मर्यादा की बात है। हर तरह से उचित है कि जिस चीज को विरोधी दल के नेता इतने महत्व का स्थान दें, हमारे पक्ष की ओर से उसके संबंध में जरूर ध्यान रखा जाय ।

दूसरे के विषय में मैं समझता हूं कि काफी गलतफहमी है, इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी । मैं संकेत कर रहा हूं मंत्रियों के वेतन और उनके सफर के भत्ते के सिलसिले में ।

कुछ निवेदन करने के पहले मैं माननीय नेता विरोधी दल से कुछ शिकायत के रूप में और कुछ अपील के रूप में जरूर कहना चाहता हूं । इस सदन में न तो हमेशा वे रहेंगे और न हमेंशा हम रहेंगे, लेकिन सदन रहेगा और मैं समझता हूं कि हमारी और उनकी, सबकी इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि इस सदन की एक खास मर्यादा बनी रहे । यहां जो वाद-विवाद होता है वह एक खास स्तर पर हो, यही एक खास शोभा की बात है । जो कुछ हम कहेंगे, सुनेंगे वह तो है ही, लेकिन यह हम एक बड़ी भारी सेवा इस प्रदेश की कर जायंगे, यदि हम यहां एक अच्छी नींव डाल सकें । यदि कोई विषय इतने महत्त्व का है कि विरोधी दल के नेता उसको एक खास स्थान देते हैं तो फिर उसके ऊपर जो विचार हो वह एक गम्भीरता के साथ ही होना चाहिये । मंत्रियों के वेतन का जिक्र करते हुये माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक मजाहके का रूप धारण किया और मुझको ऐसा विश्वास है कि उसके बाद जो चीज हुई उससे उनको भी दुःख हुआ होगा । एक खास आदमी जो बात कहता है उसकी नकल और लोग भी करते हैं । उसकी खसूसियत, उसकी विशेषता और उसकी अच्छाई की बात नकल तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इत्तफाक़ से उससे कोई गलत काम हो जाय तो उसकी नकल की जा सकती है । उन्होंने मंत्रियों के वेतन और टी० ए० का जिक्र किया । उनके पीछे बैठने वाले एक सज्जन

---

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक कदम और आगे बढ़े और कहा कि मंत्रियों को नुकरई और तिलाई यानी सोने और चांदी के बर्तन भी मिला करते हैं। बात हवाई थी, गलत थी और मेरा भी ऐसा विश्वास है कि माननीय त्रिलोकी सिंह को भी इस बात का अफसोस हुआ होगा कि नाहक उन्होंने एक गलत दरवाजा खोल दिया, जिससे इस सदन के अन्दर इस क़िस्म की गलत बातें कही गयीं।

इस सिलसिले में एक बात की और चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये मंत्री लोग १,२०० रुपये वेतन लेते रहे हैं अब तक, और फ्री आफ इन्कम टैक्स (free of income tax) और अब एक बड़े भारी त्याग का नाटक कर रहे हैं कि १०० रुपये छोड़ दिये और १,१०० लेने लगे। जहां तक त्याग की बात है, सन् १९२१ से १९४२ तक महात्मा जी के साये में रह कर और उन्हीं दिनों में माननीय त्रिलोकी सिंह जैसे महापुरुषों के साथ काम करने का मौका मिलने पर भी जब हमने त्याग नहीं सीखा तो इस उम्र में क्या सीखेंगे। त्याग की बात तो हम करते नहीं। हम संसारी आदमी त्याग क्या जानें। लेकिन हां, कुछ व्यावहारिकता की बात मैं जरूर रखना चाहता हूं। इसी सदन में सन् १९४६ की २७ अप्रैल को एक बिल पेश हुआ था, जिसको उस वक्त के मिनिस्टर आफ़ जस्टिस डाक्टर काटजू ने पेश किया था।

(इस समय १२ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

उस बिल का आशय यह था कि मंत्रियों को १,५०० रुपये वेतन दिये जायं। उस दिन की प्रोसीडिंग मेरे पास हैं। इसमें जिन लोगों ने उसका विरोध किया उनका भी जिक्र है और जो पक्ष में बोले उनका भी जिक्र है। उदाहरण के लिये प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता श्री गोपाल नारायण सक्सेना खास तौर से इसके ऊपर बोले और उन्होंने कहा––

"मैं कुछ ज्यादा नहीं कहता। मैं इस बिल की ताईद करता हूं और मैं समझता हूं कि यह बिल बिल्कुल सही है और इसको इसी तरीके से पास होना चाहिये।"

उस दिन की प्रोसीडिंग देखने से पता लगता है कि जो और लोग मौजूद थे उनमें माननीय त्रिलोकीसिंह भी थे। यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने उस बिल का समर्थन इसलिये किया कि वे कांग्रेस पार्टी में थे, क्योंकि वे और उस तरफ के दूसरे माननीय सदस्य भी अक्सर इधर के लोगों से कहा करते हैं कि आप लोग कायरता न दिखलाइये, कमजोरी न दिखलाइये, जिस बात को उचित समझते हैं उसको हिम्मत के साथ कहा करिये।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)––मैं ऐसा नहीं कहता।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––यह तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह जी तो जरूर बहादुर आदमी हैं, महज पार्टी डिसिप्लिन के डर से नहीं चुप रहे होंगे। उन्होंने इस बिल को उचित समझा ही होगा। उस वक्त जो सूरत रही हो, लेकिन आज की सूरत में एक सोचने की बात है। इस सदन में १९४६ में जब हमने मंत्रियों को १,५०० रुपया देना तय किया था, उस समय उसमें से १५० रुपया इनकम टैक्स का जाता था। मिनिस्टरों की जेब में कुल १,३५० रुपये आते थे। दो वर्ष तक कोई प्रस्ताव सदन ने नहीं किया। खुद मिनिस्टरों ने तय किया कि हम १,३५० में से १५० रुपया छोड़ देते हैं। वह छोड़ दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि मिनिस्टरों को कुल मिलने लगा १,२०८ रुपया। यह १,२०८ रुपया कुल इनकमटैक्स कट कटा कर मिलता था। यह कटौती मिनिस्टरों ने खुद अपने से की थी। सदन की तरफ से किसी ने इसके लिये कुछ नहीं कहा। कानून वही बना हुआ था कि जिसके हिसाब से सदन ने मिनिस्टरों को १,५०० रुपये देना मंजूर किया था। हम अपने से कुल १,२०८ रुपया लेते थे और कुछ इनकमटैक्स देना पड़ता था। वह हम अपनी तरफ से देते थे।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नयी मिनिस्टरी के जमाने में हमने सोचा कि १,२०८ रुपया हम को मिलता है, इनकम-टैक्स देना पड़ता है हम को अपने पास से। इसके बजाय हमने यह तय किया कि कुल १,२०० रुपया हम लेंगे और जो इनकमटैक्स होता है वह हमारे पास से कटने के बजाय सरकारी खजाने से कटे। तो पहले १,५०० जाता था, फिर १,२०० रुपया जाता था, उस जमाने में कुल १,२९४ रुपया सरकारी खजाने से जाता था। सदन ने १,५०० रुपया देना मंजूर किया था, लेकिन हमारे पास आया कुल १,२०० रुपया। हम १,२०० रुपया लेते या १,३०० रुपया, वह करीब एक ही बात होती। सदन तो १,५०० रुपया देने के लिये तैयार था, लेकिन इस वक्त हमने तय किया कि हम १,१०० रुपया ही लेंगे। इस पर करीब ८० रुपया इनकमटैक्स का होता है। तो इस तरह से कुल १,१८० रुपया सरकारी खजाने से जायगा। जिन मिनिस्टरों पर सदन ने १,५०० रुपया फी मिनिस्टर खर्च करना तय किया था उन पर अब १,१८० रुपया फी मिनिस्टर खर्च होगा। ३२० रुपये की बचत हुई। इसमें क्या शिकायत की बात है? त्याग की बात मैं नहीं करता, लेकिन सदन खुद देखे कि उसने क्या देना मंजूर किया था? मिनिस्टरों ने खुद अपनी तरफ से यह कमी मंजूर की। इसमें शिकायत की क्या बात हो सकती है?

एक बात कही जा सकती है कि यह १,१०० रुपया भी ज्यादा है। इस सम्बन्ध में मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य एक महीने में करीब २०० रुपये के वेतन लेते हैं और जिस वक्त सदन की बैठक होती है कुछ डेली एलाउन्स भी उनको मिलता है। किसी एक तरफ के सदस्य की बात मैं नहीं कहता, चाहे वह इधर के हों अथवा उधर के, यहां पुराने सदस्य भी हैं और नये सदस्य भी। मैं उनसे पूछता हूं कि २०० या ५०० रुपये जो कुछ भी उनको मिलते हैं उसमें से कितने लाख रुपया उन्होंने बचा लिया है? कितना रुपया सदस्यों को बचता है, यह सोचने की बात है। अपने घर पर चाहे हम एक कोठरी में ही रहते हों, घर पर नमक रोटी ही खाते हों, वहां कोई देखने नहीं आता, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य यहां रहते हैं, न मालूम उनका खर्चा कितना बढ़ जाता होगा? उनके यहां मिलने मेहमान आते होंगे, बाहर के लोग भी मिलने आते होंगे, पब्लिक काम से लोग आते होंगे और इस तरह से उनका कितना पैसा इस तरह की मेहमानदारी में खर्च होता होगा। मैं नहीं जानता कि पिछले सदस्यों में कोई कह सके कि उसने १० या २० हजार रुपया कमाया है। जो नये सदस्य हैं उनको ३–४ महीने हो गये, वे बतलायें कि कितना रुपया उन्होंने बचाया है। जब सदस्यों का इतने कम समय यहां रहने पर इतना रुपया खर्च होता है तो सोचिये कि जो मिनिस्टर यहां सदा ही रहते हैं उनका कितना खर्च होता होगा। सेन्ट्रल के मिनिस्टर्स केवल सम्प्चुअरी एलाउन्स का ५०० रुपया महीना लेते हैं अपने मेहमानों को खिलाने पिलाने के लिये। उत्तर प्रदेश का कोई मिनिस्टर कोई सम्प्चुअरी एलाउन्स नहीं लेता। यहां की मेहमानदारी की एक खास मर्यादा रही है, उस को जहां तक हमसे बन पड़ा है निभाने की कोशिश की है और करते हैं, लेकिन अब यह हमारे बस के बाहर की बात होती जा रही है। हम नहीं कह सकते कि आगे कैसे चलेगा। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। मेहमानों पर जो भी खर्च होता है वह मिनिस्टरों पर पड़ता है, जो अब हमारी शक्ति के बाहर हो जाता है। हम उसको अब बरदाश्त नहीं कर सकते। हम भी सोच रहे हैं कि हम कोई स्टेट गेस्ट हाउस कायम करें। सोचने की बात है कि जब आप लोगों को कुछ समय रह कर यहां इतना खर्च पड़ता है तो जिन को बराबर यहां रहना पड़ता है उनको कितना खर्च पड़ता होगा? जब यहां पर इस बात को कहा जाय तो यह भी देखा जाय कि ज्यादा क्या है और कम क्या है। अगर वह यह चाहते हों कि उत्तर प्रदेश में कोई आदमी बाहर से आता है तो उसकी सेवा न की जाय और उसको होटल में ठहराया जाय तो यह दूसरी बात है। लेकिन मैं और जगह गया हूं और वहां की हालत को भी जानता हूं। मैंने देखा है कि वहां मिनिस्टर किसी को ठहराते नहीं हैं। वहां पर गेस्ट हाउस बने हैं। वहां पर उनको ठहरा दिया जाता है। हमारे

यहां अभी तक ऐसा नहीं था, परन्तु अब सदन को ऐसा करना होगा और उनके लिये कोई प्रबन्ध इस प्रकार से ठहरने का करना होगा।

अब जब कभी यहां पर सैलरी वगैरह की चर्चा होती है तो इस बात का जिक्र भी जरूर आजाता है कि इन चपरासियों को देखिये कि ये कितना कम लेते हैं और ये मिनिस्टर १,१०० रुपये ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप इन चपरासियों से मुकबला करना चाहते हैं तो जरूर कीजिये। यूं तो चपरासियों से ज्यादा मेम्बर साहबान को जो एलाउन्स वगैरह मिलता है वह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस वक्त आप चपरासियों से मुकाबला करते हैं तो आप इस बात पर भी विचार कीजिये कि जिस वक्त सन् १९४६ में, जिस बिल का मैंने जिक्र किया, उसके अनुसार १,५०० रुपया मिनिस्टरों के लिये मंजूर किया गया था उस वक्त चपरासी की १५ से ले कर २० रुपये तक तनख्वाह थी। उस समय तनख्वाह का चौथाई मंहगाई भत्ता उनको मिलता था यानी १५ रुपये पर ३ रुपये १२ आने। इसके अलावा दो चीजें उनको और मिलती थीं। एक तो २ रुपया सिटी एलाउन्स उनको मिलता था और २ रुपया सेक्रेटेरियट एलाउन्स। इस प्रकार से सब मिलाकर उनको २२ रुपया १२ आना मिलता था जब कि मिनिस्टर्स के लिये १५ सौ रुपया मंजूर किया गया था। आज चपरासियों की तनख्वाह २५ रुपया हो गई है। १९५५ से २ रुपया और बढ़ गया है। सेक्रेटेरियट का एलाउन्स ज्यों का त्यों कायम है और सिटी एलाउन्स भी वैसे ही है और २५ रुपया उनको मंहगाई भत्ता दिया जाता है और ५ रुपया इस साल बढ़ गया है। कुल टोटल ६१ हो गया है। अब आप इस पर विचार कीजिये कि जहां चपरासी की तनख्वाह में और एक मिनिस्टर की तनख्वाह में १ और ६६ का अनुपात सन् १९४६ में था वहां आज इनका अनुपात १ और १८ का हो गया है। बार बार यहां पर चपरासियों का जिक्र किया जाता है। जरूर उनसे मुकाबला किया जाय। इस बात को जान लेने पर आप समझ सकते हैं कि मिनिस्टरों की सैलरी कितनी घटी है और चपरासियों की तनख्वाह कितनी बढ़ी है। महज एक हमदर्दी हासिल करने के लिये एक ऐसी चीज, जिसका कुछ आधार न हो, यहां पर कहना कुछ फायदेमन्द नहीं होता।

हमारा जो लो पेड गवर्नमेंट सर्वेण्ट है उसकी तनख्वाह बहुत कम है। सेण्ट्रल गवर्नमेंट के जो आदमी हैं वे बहुत ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। हमारे यहां के आदमी से उसका मुकाबला किया जाय तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसी शहर में एक क्लर्क सेन्ट्रल गवर्नमेंट का रहता है और एक क्लर्क हमारा भी रहता है। उनका क्लर्क बहुत ज्यादा तनख्वाह पाता है, उनका चपरासी हमारे चपरासी से बहुत ज्यादा तनख्वाह पाता है। मेरा ऐसा खयाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हमारे आदमी के मुकाबले में कम काम करते हैं और हमारे आदमियों के मुकाबले में तनख्वाह ज्यादा पाते हैं। मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है। हम इस चीज को बराबर लिखते रहते हैं कि यह ज्यादती है और इससे हमारी सर्विसेज पर बहुत दबाव पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करें यह हमारे बस की बात नहीं है। अब जब हड़ताल की बात चली तो सेण्ट्रल पे कमीशन बिठाने की बात थी। हमने उस पर एतराज किया। हमने कहा कि आप अपने आदमियों को कुछ भी दे दें इसमें हमको एतराज नहीं है, लेकिन जो पे कमीशन बिठाया जा रहा है उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि आप के यहां सर्विसेज की तनख्वाह बढ़ेंगी। इसमें सन्देह नहीं है कि जितनी तनख्वाह आपके यहां बढ़ेगी उतनी ही हमारे आदमियों के बीच में डिस्पैरिटी बढ़ेगी। हमारे सोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। प्लान में हम देर नहीं कर सकते। एक एक पैसा हमारा प्लान में बंधा हुआ है। प्लान को बन्द कर के इस काम को हम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हम अपने यहां तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप के यहां लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो हमारे आदमियों की तनख्वाह बढ़ाने में आप हमारी मदद करें। हम तो नोट

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नहीं छाप सकते । हमारे पास दूसरे साधन नहीं हैं । हमारे पास आदमी बढ़ाने के साधन नहीं हैं । अगर डिस्पैरिटी कायम रहेगी तो हमारे आदमियों में असन्तोष बढ़ेगा और उस असन्तोष को मैं समझ सकता हूं और उस असन्तोष के साथ मुझे सहानुभूति हो सकती है । मैं जरूर समझता हूं कि अगर असन्तोष है तो कोई ठीक काम नहीं हो सकता है लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि यह असन्तोष गलत चीज है, क्योंकि हमारे बस की कोई बात नहीं है । हम सेण्ट्रल गवर्नमेंट से बराबर कहते रहते हैं कि जैसे भी हो इस खाई को पाटने की कोशिश कीजिये, लेकिन साथ ही इससे जो ग़लत किस्म का मुकाबला हो जाता है, महज़ हमदर्दी हासिल करने के लिये और बार बार चपरासियों का नाम ले लिया जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है और जो काम करना भी चाहते हैं, उसमें भी कोई मदद नहीं मिलती ।

अभी हाल में सेक्रेटेरियट का रिआर्गेनाईजेशन किया गया है । उसके सम्बन्ध में कुछ कागजात माननीय सदस्यों की मेज पर रख दिये गये हैं । उनसे उनको कुछ अन्दाजा हो जायगा, लेकिन ५ मिनट में उसके सम्बन्ध में मैं समझा दूं तो कुछ आसानी हो जायगी । मौजूदा सूरत यह है कि मान लीजिये एजूकेशन डिपार्टमेंट कोई स्कीम जारी करना चाहता है, किसी न किसी के दिमाग़ में वह चीज आयी और एक स्कीम बनी । अब १०–१५ जो भी आफिसर्स एजूकेशन विभाग में होंगे उन्होंने उस पर नोटिंग किया । किसी ने उस की हिस्ट्री बतलायी, किसी ने बताया कि पहले यह मामला कब उठा था और क्यों छोड़ दिया गया, कोई बतायेगा कि दुनिया के किस देश में वह लागू है, कोई बतायेगा कि उससे विभाग को क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा तथा उसमें कितना रुपया खर्च होगा, इन सब बातों से एक मोटी फाइल बन जायगी ।

अब आजकल जो कायदा है वह यह है कि इतना सब कुछ हो जाने पर डायरेक्टर आफ एजूकेशन एक खत उसके बारे में एजूकेशन सेक्रेटरी को लिखेगा कि वह अपने यहां फलां-फलां स्कीम चाहते हैं । वह पत्र १–२ पेज का होगा । अब एजूकेशन सेक्रेटरी के यहां कोई डिटेल्ड फिगर्स नहीं हैं । उनको फिगर्स इकट्ठा करने में ४–६ महीने लग जाते हैं और यदि कोई सूचना उनको मांगनी होती है तो वह भी एजूकेशन डायरेक्टर से मांगते हैं । इस प्रकार जब वह फाइल तैयार हो जाती है तब वह सेक्रेटरी अथवा मिनिस्टर के सामने जाती है । अब यह होगा कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन के यहां से पूरी फाइल यहां आजायगी और सेक्रेटरी अथवा मिनिस्टर के सामने जल्दी पहुंच जायगी । इस प्रकार जो तरीका है उसमें वक्त भी जाया होता है और एफीशियेंसी भी कम ही रहती है । इसके अलावा जो लोग यहां नोटिंग करते हैं वे प्रायः अनुभवी नहीं होते, फील्ड वर्क का उनको अनुभव नहीं होता । जब कि डिपार्टमेंट वालों को लोगों के बीच में रह कर काम करना होता है और यहां जो लोग होते हैं वे काग़जों के बीच में ही काम करते हैं । अब एजूकेशन डायरेक्टर के दफ्तर में जो फाइल तैयार होगी वह पूरी फाइल सेक्रेटरी के दफ्तर भेज दी जायगी । इससे जो काम दुबारा होता था वह न होगा । इतिहास, भूगोल और रुपये पैसे आदि की बात भी दुबारा न होगी और उसकी जानकारी आसानी से मिल जायगी । इसका नतीजा यह होगा कि जो काम महीनों में होता था वह १०–५ दिन में ही हो जायगा । इस प्रकार से समय की बचत होगी, आगे चल कर रुपये की भी बचत होगी और जो व्यर्थ का नोटिंग होता है वह भी बच जायगा ।

दूसरा रिआर्गेनाईजेशन का पहलू यह हुआ कि कहने को एक ही सेक्रेटेरियट था, लेकिन वास्तव में उसमें तीन थे । एक जनरल सेक्रेटेरियट, दूसरा फाइनेंस सेक्रेटरियट और तीसरा पी० डब्ल्यू० डी० सेक्रेटेरियट । तीनों में एक ही लियाकत के आदमी चुने जाते थे, लेकिन अलाहिदा रहने का नतीजा यह होता था कि फाइनेंस में लोगों को जल्दी-जल्दी तरक्की मिल जाती थी । अब तीनों को मिला कर एक कर दिया गया है । इससे जो एक सी काबिलियत के आदमी हैं उनको एक साथ तरक्की मिलेगी । इन्हीं दो बातों को लेकर रिआर्गेना-

जेशन किया गया है। इससे हमें आशा है कि सेक्रेटेरियट के काम में और गवर्नमेंट के काम में काफी सुधार होगा और आखिर में जाकर इन सब कामों की वजह से खर्च में भी कमी होनी चाहिये।

मैंने कटौती के प्रस्तावों को देखा। कुछ विवाद के लिये रक्खे गये हैं। उसके बाबत मैं क्या कहूं। विवाद एक अच्छी चीज है। कुछ आलोचना और सुझाव देने के लिये रक्खे गये हैं। जो आदमी काम करता है वह अपनी समझ से तो अच्छा ही करता है, लेकिन फिर भी आलोचना अच्छी चीज होती है। जो भी सुझाव दिये जायेंगे वे हमारे सिर माथे हैं। मैं आलोचना और सुझावों का स्वागत करूंगा। उनके बारे में जो कुछ अर्ज करने की जरूरत होगी, बाद में अर्ज कर दूंगा और यह भी बता दूंगा कि कहां तक हम उन सुझावों और आलोचनाओं को मान सकते हैं और कहां तक उनका मानना मुनासिब नहीं होगा। इन शब्दों के साथ जो मांग मैंने प्रस्तुत की है, मैं आशा करता हूं कि यह सदन उसको मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तक माननीय सदस्यों का इस बारे में कोई सुझाव नहीं आया कि कटौती प्रस्ताव को पेश करने वाले कितने समय तक भाषण करेंगे और अन्य लोग कितने समय तक भाषण करेंगे। पहले यह था कि कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले २० मिनट और अन्य सदस्य १० मिनट बोलते थे और अगर पार्टी के नेता बोलें तो उनको १५ मिनट का समय मिलता था। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो यही चलने दिया जाय।

(आवाजें—ठीक है) तो वही पुरानी प्रथा रही।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय और अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय, इन दोनों अनुदानों में एक—एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं।

महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि सामान्य प्रशासन एक ऐसा विभाग है जिसमें आम तौर से कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुआ करती है, चाहे बजट में थोड़ा बहुत फर्क हो जाय। यह बात सही है, लेकिन वहीं यह भी सही है कि सामान्य प्रशासन इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसका प्रदेश के, राज्य के हर विभाग से घनिष्ठ सम्पर्क होता है और जिससे निकली हुई किरणों की छटा हर विभाग के ऊपर पड़ती है। आज हमारे प्रदेश की शासन—व्यवस्था क्या है, आज हमारे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर कैसा बढ़ रहा है, आज शान्ति और व्यवस्था की क्या दशा है, आज प्रदेश के अन्दर हम किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, इन सारी बातों का सामान्य प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक वर्ष के बाद आज हमें इस बात को पुनः देखने का अवसर मिला है कि स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे प्रदेश के शासन का रुख क्या है, शासन किस दिशा की ओर बढ़ा रहा है। जैसा कि सरकारी बेंच की ओर से बार बार घोषणा की गयी है कि किस वर्ष में कल्याणकारी समाज की स्थापना हुई, किस वर्ष में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना हुई। तो आज हमें इस बात को देखना है कि वस्तुतः आज का शासन इस कसौटी पर कहां तक खरा उतरवा है। कोई भी शासन जो जनवादी शासन होने का दावा करता है उसकी तीन चार प्रमुख कसौटियां हुआ करती हैं।

पहली कसौटी यह है कि शासन के अन्दर जिस मशीनरी पर शासन चलता है वह मशीनरी कहां से निकली है और उसका जनता से क्या सम्पर्क होता है, कैसा सम्बन्ध होता है। हमारे देश में जब कि अंग्रेजी हुकूमत थी, तब जो मशीनरी हमारे शासन प्रणाली में थी, वह ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी थी, वह पूंजीवादियों और साम्राज्यवादियों के हित के लिए ही काम करती थी। आज हमें इस बात को देखना है कि उस मशीनरी के सरकारी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

ढांचे में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। मुझे आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि १० वर्ष के बाद भी हमारे प्रदेश के अन्दर ब्यूरोक्रेसी दिन पर दिन मजबूत होती चली जा रही है, जो शासन आज है वह जनता से दूर हटता चला जा रहा है और साधारण जनता की पहुंच के बाहर होता चला जा रहा है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंत्रियों के वेतन के सम्पर्क का प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा है कि नेता विरोधी दल ने सदन में इस बात पर बड़ा जोर दिया कि मंत्री लोग बहुत बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। बहुत सही है, जनता का यह कर्त्तव्य है कि वह देखे कि उसका एक-एक पैसा किस तरह से खर्च होता है और कहां-कहां खर्च होता है। जनता यह देखती है कि जो सरकार उसके ऊपर शासन कर रही है उसने कुछ वादे किये थे, उन वादों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि महात्मा गांधी के साथ रह कर एक बहुत लम्बे अरसे में भी वे त्याग और तपस्या नहीं सीख सके, माननीय नेता विरोधी दल के साथ में रह कर वे त्याग तपस्या नहीं सीख सके, इस बात का उन्हें खेद है। गांधी जी ने कहा था कि जब देश आजाद होगा तो हमारे देश का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, जो सबसे बड़ा हाकिम होगा, जो उस वक्त गवर्नर जनरल कहलाता था, उसकी तनख्वाह ५०० रुपये होगी और वह नित्य एक घंटे का समय निकाल कर खेतों में भी काम करेगा।

आज हम क्या दशा देखते हैं? जो दशा हमारे प्रदेश की है, मैं अपने देश की स्थिति में नहीं जाना चाहता--हमारे यहां जो राज्यपाल महोदय हैं उनको ६६,००० रूपया वार्षिक तनख्वाह मिलती है और उनके साज-सज्जा के ऊपर इतनी बड़ी रकम खर्च की जाती है जितनी कि अंग्रेजों के जमाने में खर्च होती थी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी हम बजट में देखते हैं कि इस वर्ष उनके दौरे पर १,२०,४०० रुपया खर्च होगा, आज हम देखते हैं कि उनके भवन के लिये पर्दे के नवीकरण पर २३,६०० रुपया खर्च होगा और उनके सजावट के समान के नवीकरण पर १८,००० रुपया खर्च होगा। हमें अफसोस के साथ इस प्रश्न को उठाना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि लखनऊ में रहने का स्तर ऐसा है जिसको हर माननीय सदस्य जानते हैं कि वह अपने वेतन में से कुछ भी नहीं बचा पाते हैं, उसी तरह से मंत्री भी जिसका स्थान ऊंचा हो जाता है उसका भी खर्च बढ़ जाता है, लेकिन क्या यही कसौटी होती है प्रजातंत्र सरकार के कामों के आंकने की? क्या हम इस पर ही ध्यान देंगे कि ऊपर के लोगों की सुखसुविधा का क्या प्रबन्ध है या यह भी देखेंगे कि आज जो नीचे हैं, जिनकी जिन्दगी की जरूरतें पूरी नहीं होती उनको पूरा करने के लिये हम क्या कर रहे हैं। मंत्रियों के वेतन में कटौती हुई, दूसरे प्रदेशों में दस प्रतिशत हुई, वह अच्छा हुआ, लेकिन सबसे अधिक केरल हमारे धन्यवाद का पात्र है जहां के मंत्रियों ने केवल ३५० रुपया मासिक वेतन लेना तय किया है, वह इतने में गुजर कर सकते हैं, वहां पर मासिक भत्ता भी केवल २५ रुपये से ६० तक ही मंत्री बनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री जो २६ हजार की कार पर चलते हैं और जो शानदार सरकारी बंगलों में एशोआराम के साधनों के साथ रहते हैं वे थोड़े से वेतन में नहीं रह सकते। मैं समझता हूं कि यह चीज मुनासिब नहीं है और हमें अफसोस के साथ इस प्रश्न को उठाना पड़ता है और हम इसको बार बार उठायेंगे क्योंकि जनता देखती है और समझती है कि यह व्यय अनावश्यक है और हमारे शासकों को ऐशोआराम की तरफ ले जा रहा है।

अब मैं संक्षेप में बताऊंगा कि क्या हमारे सूबे की जनता का जीवन स्तर पिछले दस साल में ऊंचा उठा है, क्या यहां की शासन व्यवस्था पहले से अच्छी हो गई है, क्या हमारे प्रदेश में लोगों को न्याय पहले से अधिक सुलभ हो गया है, क्या यहां के लोगों को शिक्षा पहले से ज्यादा अच्छी और सस्ती मिल रही है? यह सब बातें हैं जो सामान्य प्रशासन से सम्बन्ध रखती हैं।

जहां तक शान्ति व्यवस्था का प्रश्न है, जो पुलिस रिपोर्ट हमें मिली है उसमें स्वीकार किया गया है कि इस साल पूरे प्रदेश में क्राइम बढ़े हैं, डकैतियां, रहजनी वगैरह बढ़ी हैं। जहां सन् ५५ में ८४४ डकैतियां हुई थीं वे सन् ५६ में बढ़कर ९३२ हो गयीं। रहजनी जो ४१४ हुई वे सन् ५६ में बढ़ कर ५६२ हो गईं। सेंध लगाने की घटनायें ५५ में १६,५०९ हुई और सन ५६ में वह बढ़ कर १९४२० हो गईं। इसके लिये सरकार की ओर से प्रमाण दिया जाता है कि चूंकि हमने क्राइम को छिपाया नहीं है, इसलिये यह तादाद बढ़ गई है। मुझे यह चीज पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ, आज भी जनता का हर आदमी जानता है कि डकैतियां दर्ज नहीं होती हैं और थानों में उनको चोरियों में दर्ज किया जाता है, ऐसी शिकायत आम तौर से लोगों को है। अगर इस का विश्वास माननीय गृह मंत्री जी को न हो तो वे जनता के बीच में जाकर पता लगायें, कितनी ही ऐसी शिकायतें आये दिन होती हैं और संगीन क्राइम भी दर्ज नहीं होते।

शान्ति-व्यवस्था की हालत यह है कि कानपुर में प्रजा सोशलिस्ट नेता की मूंछें उखाड़ी गईं। एक पार्टी के नेता, जो जनता के लिये लड़ते हैं, आज आप की पार्टी की सरकार है, कल हमारी पार्टी की सरकार हो सकती है और परसों किसी और पार्टी की सरकार प्रजातन्त्र में हो सकती है, तो जनता के एक नेता की ऐसी हालत करना कहां तक ठीक है? आप ने स्वतंत्रता आन्दोलन के जमाने में एक पाठ पढ़ाया था, एक नारा लगाया था कि हमें जनमत की कद्र करनी चाहिये, लेकिन इस सरकार में होता यह है कि उन्नाव में एक बारात पर पुलिस ने शर्मनाक हमला किया और इसको माननीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया। आजमगढ़ में पुलिस के मारने से एक आदमी मर गया और इस पर कहा जाता है कि हमारे सूबे में शान्ति व्यवस्था अच्छी हो रही है। इसलिए जहां तक शान्ति-व्यवस्था का प्रश्न है हम कह सकते हैं कि इसमें काफी अवनति हुई है।

अब प्रश्न यह है कि यहां जीवन–स्तर जनता का उठा है या नहीं? अपनी जनता के जीवन–स्तर को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी शासन की होती है। अखबार में समाचार आया था वह मैं आपके आदेश से सदन को बता दूं कि पंडित जवाहरलाल जी ने, जो हमारे प्रधान मंत्री हैं, एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उत्तर प्रदेश में ४८–४९ से ५४–५५ तक मनुष्यों का जीवन-स्तर कितना गिरा है। प्रति व्यक्ति आय में कमी होती गयी है। १९४८–४९ में २४९.४ रुपये थी। १९४९–५० में २५१.३ रुपये थी। १९५०–५१ में २५९.५ रुपये थी। १९५१–५२ में २४४.५ रुपये थी। १९५२–५३ में २४४.६ रुपये थी। १९५३–५४ में २३३ रुपये थी और १९५४–५५ में २१२.७ रह गयी। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रति व्यक्ति की आय हमारे प्रदेश में गिरती गयी है। लोगो की जिन्दगी दूभर है। हम तो यूं सरकारी आंकड़ों में विश्वास नहीं करते, हम जानते हैं कि सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करती है बड़े विश्वसनीय आंकड़े नहीं हुआ करते। हम सीधे जनता के बीच में जाते हैं और देखते हैं कि जनता की जिन्दगी में कोई तब्दीली हुई है या नहीं। उसकी जिन्दगी बेहतर हुई है या नहीं हुई है। हम देखते हैं। कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज भी भुखमरी है। लोग भूख की ज्वाला में मरते हैं। हम इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हैं कि आज प्रदेश में आय बढ़ी है और प्रदेश में खुशहाली बढ़ रही है।

महोदय, किसी भी राज्य के लिए यह नितान्त आवश्यक है जब कि उसमें प्रजातन्त्रीय ढंग पर काम होता है, उसमें सरकार का पहला कर्त्तव्य होता है–शिक्षा में सुधार करना। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के मस्तिष्क को बदलती है। जब एक नया समाज बनता है तो उस समाज को अपने लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए नयी प्रेरणा देती है। अंग्रेजी शासन ने शक्ति को मजबूत करने के लिए अंग्रेजी की शिक्षा कायम की। जब चीन में

[श्री चन्द्रजीत यादव]

नयी जनवादी सरकार बनी तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया, ताकि वहां की जनता यह समझे कि नयी व्यवस्था के अन्दर नये समाज का कैसे निर्माण किया जाता है। मुझे अफसोस है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा में एक्सपेरीमेंट्स तो बहुत किये गये, लेकिन सरकार कोई निश्चित नीति आज तक कायम नहीं कर सकी। आज भी यह सरकार कनफ्यूजन आफ पालिसी के अन्दर भटक रही है। हमारे प्रदेश की शिक्षा आटोक्रैसी पर निर्भर है। हमारे प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं, जहां केवल बड़े लोगों के बच्चों को ही शिक्षा सुलभ हो सकती है। लखनऊ के अन्दर जो ऐसे स्कूल है, चाहे कनवेंट या अन्य किसी तरह के स्कूल हों, उनमें बड़े लोगों के बच्चों को ही शिक्षा सुलभ हो सकती है। साधारण आदमी का बच्चा वहां शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

चूंकि समय कम है मैं दो तीन बातें ही और बताना चाहूंगा।

एक विभाग है हमारे प्रदेश में इकोनामिक और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट. जो सौभाग्य से हमारे मुख्य मंत्री के अंडर काम करता है। इस विभाग का काम यह है कि वह आंकड़े तैयार करे और उनका प्रयोग प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ठीक-ठीक किया जाय। इस विभाग के अन्दर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो सुस्ती, लापरवाही इस विभाग के अन्दर फैली हुई है वह इस बात का प्रमाण है कि मुख्य मंत्री के अधीन जो विभाग काम कर रहा है उसकी हालत यह है तो दूसरे विभाग कैसा काम करते होंगे। इस विभाग में जातिवाद चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। विभाग के अध्यक्ष एक उच्चाधिकारी हैं उनके भतीजे, सम्बन्धी सब इस विभाग में काम करते हैं जबकि सरकार का यह नियम है कि विभाग के उच्चाधिकारी का कोई भी सम्बन्धी उस विभाग में काम नहीं करेगा। इस विभाग को सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण काम, रूरल इनकम इनक्वायरी, कास्ट आफ कल्टीवेशन सौंपे। इसके लिए १९४८ में एक समिति बनी। फैमिली बजट के लिए एक समिति सरकार ने बनायी, ताकि प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करने में कहां कमी रह गयी है उसका निदान हो सके। यह १९४८ में एक कमेटी बनी थी। उसने १९५७ में दस वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसको १७ गांवों का सर्वे करने को कहा गया था। बड़ी मुश्किल से वह रायबरेली के सूची गांव का सर्वे कर पायी और रिपोर्ट दी। सरकार १९४८ में जानना चाहती थी कि क्यों कास्ट आफ लिविंग बढ़ रही है। उस निष्कर्ष पर पहुंच कर सरकार आगे काम करना चाहती थी, लेकिन दस वर्ष के बाद कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी उस रिपोर्ट का कोई अर्थ नहीं रह गया।

इसी प्रकार से यह विभाग जिसकी चर्चा मैंने अभी की, इसके अन्दर मुख्य मंत्री जी बतायेंगे आज भी सबसे अधिक अपील और रिप्रेजेन्टेशन्स हुए हैं। लोगों में घोर असंतोष व्याप्त है।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय इस वक्त समाप्त हो गया।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदानों पर कटौती प्रस्ताव को पेश करते हुए जो भाषण दिया गया उसको मैंने बड़े गौर से सुना। मेरे साम्यवादी भाई ने सबसे पहले यह बताया कि हमारा जो ढांचा था ब्यूरोक्रेटिक था, साम्राज्यवाद की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये बनाया गया था। उनकी यह बात सही है, लेकिन उसी ढांचे को आज डेवलपमेंट के काम में इस्तेमाल किया गया। हो सकता है जितनी हमें आशा इस बात की हो सकती थी कि हम उसको बदल देने में कामयाब होंगे उतना न हुआ हो, फिर भी एक क्रेडिट की बात है कि वह ढांचा जो कतई दूसरे काम के लिये बनाया गया उसको काफी हद तक विकास के कार्यों में यह सरकार लगाने में कामयाब हुई है। उन्होंने, गवर्नमेंट हाउस की बात कही, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने

यह कहा है कि जब तक विधान के अन्दर गवर्नर का स्थान है तब तक वह रहेगा ही। हमको अधिकार है कि हम संविधान को बदल दें तभी वह जगह खत्म हो सकती है। मैं भी उन लोगों में से हूं जो इसको ठीक नहीं समझते। लेकिन जब तक संविधान में गवर्नर है तब तक उसकी एक डिग्निटी है, शान है, वह हेड आफ दि स्टेट है, उसको कुछ मान मर्यादा रखनी पड़ती है। मगर साथ-साथ यह भी सही है कि गवर्नमेंट हाउस में, जिस तरफ मेरे साम्यवादी भाई ने इशारा किया, इस तरह के खर्चों में कमी होनी चाहियें और जिसके अन्तर्गत गवर्नमेंट हाउस हो उनको इस पर ध्यान देना चाहिये।

आज का युग आस्टेरिटी का है। अभी हमारे साम्यवादी भाई ने केरल के मिनिस्टरों से यहां के मिनिस्टरों का मुकाबला किया। मैं चाहता था कि मुकाबला न होता तो अच्छा था। उसकी वजह यह है कि ३५०रु० की बात कहीं जबकि उन्होंने स्वयं ५०० रु० माहवार पास किया है। उसके पहले कांग्रेस मिनिस्टरी भी ७०० रु० माहवार लेती थी। मगर उसके बाद भी वहां के मिनिस्टर १ रु० प्रति मील के हिसाब से अपना माइलेज लेते हैं। मैं इस बात को कहना उचित नहीं समझता था लेकिन जब जिक्र किया गया तो मजबूर हूं। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम १००रु० की कटौती की। मुझे इस बात का ऐहसास है कि इस कटौती से हमारे प्रदेश के बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है लेकिन एक साइकोलोजीकल चीज तो है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वह इस कदम को और आगे बढ़ायें और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अपील होनी चाहिये और आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी आवाज कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि वक्त का तकाजा है, खासतौर से उनसे जो ५०० रु० माहवार से ज्यादा पाते हैं, कि १० प्रतिशत की कटौती करें। अगर यह नहीं किया तो हो सकता है कि हमको, इस भवन को जो कानून बनाने का अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना पड़े।

यह सही है कि हमको जो एक ढांचा अंग्रेज छोड़ गये थे ब्यूरोक्रेसी का, उसी से काम लेना पड़ता है। रूस में १९१७ की क्रान्ति के ४० साल बाद आज वहां की पार्टी के सबसे ऊंचे व्यक्ति, श्री खुश्चेव ने इस बात को मन्जूर किया है कि आज भी रूस के अन्दर ब्यूरोक्रेसी है, डिपार्टमेंन्टलिज्म है और उन्होंने ३१ मिनिस्ट्रीज को लिक्वीडेट किया और ९ लाख आदमियों को चेक किया गया। मैं मानता हूं उनके अन्दर एक स्ट्रगिल है, आज हमारे मुल्क में भी वह स्ट्रगिल है। ब्यूरोक्रेसी की बात एक बड़ी समस्या है। हम सबको सोचना है कि डेमोक्रेसी के अन्दर ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से ठीक रखें। मैं इस बात को भी महसूस करता हूं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है। मैं यह भी समझता हूं कि इस कदर डेवलपमेंट का काम चारों तरफ से छेड़ दिया गया कि गवर्नमेंट को इस बात का मौका नहीं मिला कि वह कोआरडीनेट कर सके और जो नई-नई पोस्ट्स आये दिन क्रिएट होती जा रही हैं किस तरह से उसको ठीक किया जाय। अब समय आ गया है कि जो आये दिन बड़ी बड़ी पोस्ट्स पैदा होती जा रही हैं इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये और उनको रोकना चाहिए। हर विभाग में गजटेड आफिसर की संख्या बढ़ती जाती है इसकी तरफ भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक नियम है हमारी सरकार का, सेक्रेटरिएट के लिए भी है और और जगहों के लिए भी है कि जो आफिसर एक स्थान पर तीन साल से ज्यादा रहा हो उसको हमें बराबर शिफ्ट करते रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा नियम है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू में काफी तेजी से इस तरफ कदम उठाया भी था और आज भी मैं समझता हूं वह इस बात की कोशिश करेंगे कि जो आफिसर एक स्थान पर तीन साल से अधिक समय से है उनको दूसरी जगह भेजा जाय। कारण साफ है कि एक

[श्री नवल किशोर]

ही जगह पर बराबर रहने से कोई भी व्यक्ति वहां पर अपना गुट बना लेता है और इंट्रीग्ज शुरू हो जाती है। हमारे यू० पी० सेक्रेटरिएट में भी इस बात की शिकायत है।

अब मैं एक बात स्पेशल पे के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे यहां स्पेशल पे का बहुत बड़ा सवाल है और उसके साथ-साथ कम्पेनसेटरी (compensatory) एलाउन्स का भी है। मेरा अपना मत यह है कि स्पेशल पे और सम्प्चुअरी एलाउंस की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जिन लोगों को यह दी जाती थी उनका यह पैदाइशी हक नहीं था। यह जिन लोगों को ऐसे स्थानों पर भेजना पड़ता था जहां कि ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते थे या जो अनहेल्दी जगहें थीं, उनके लिए था। लेकिन आज यह एक रूटीन सा हो गया है। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बहुत जगह इसको कम किया है और बहुत सी जगह खत्म भी किया है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि हमारे सेक्रेटेरिएट में वह ढाई सौ से बढ़ कर तीन सौ हो गया है। इधर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि विभिन्न कर्मचारियों के जीवन के अन्दर जो एक डिस्पैरिटी है वह घटे न कि दिन पर दिन वह बढ़ती चली जाय।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा और उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों से यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का नाज है कि हमारे सूबे के अन्दर हमारे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स बड़े काबिल हैं और इसीलिए उनकी सब जगह से मांग होती है। लेकिन काबलियत के साथ साथ हमारी जिन्दगी के सोशल और मारल स्टैंडर्ड भी ऊंचे होने चाहिए। अभी हमने गौतम पल्ली नाम से एक कालोनी बसाई। एक महापुरुष के नाम से हमने उस स्थान को बनाया। मगर जिन सिद्धान्तों का उस महापुरुष ने प्रतिपादन किया उसकी कोई झलक वहां रहने वाले हमारे सरकारी कर्मचारियों के जीवन में नहीं दिखाई पड़ती। मुझे अफसोस होता है इस बात को जान कर कि बड़ी-बड़ी काकटेल पार्टीज वहां आर्गेनाइज की जाती हैं। एक तरफ तो भुखमरी और गरीबी का तांडव नृत्य हो और दूसरी तरफ हमारे सरकारी कर्मचारी काकटेल पार्टी आयोजित करें, यह किसी तरह भी उचित नहीं है। मैं आपके द्वारा उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों को हमारे देश की जनता अधिक समय तक बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसलिए अच्छा हो कि वह वक्त के सिम्प्टम्स को पहचानें और दीवारों पर लिखे लेख पढ़ें और अपने जीवन को उसी तरह से ढालने की कोशिश करें।

एक बात यह भी है कि हमारे आई०सी०एस० और आई०ए०एस० आफिसरों की कुछ इस तरह की टेंडेंसी है उनको कुछ बात का मुगालता है कि कुछ पोस्टें ऐसी हैं कि जिन पर उनकी मोनोपली है, और वह उनके लिये रिजर्व की गई हैं। मैं चाहता हूं कि यह भावना भी दूर होनी चाहिये। जो लोग भी नीचे से उठकर आयें, जिनके अन्दर काबलियत हो उनको भी वह जगहें दी जायं।

एक बात यह है कि जब किसी को हम प्रोमोशन देते हैं या ऐडीशनल रेस्पांसिबिलिटी देते हैं तो फौरन मांग होती है कि ऐडीशनल पे देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी को प्रोमोशन भी दें और साथ ही साथ ऐडीशनल पे भी दें। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी भी परिस्थिति का कुछ अजीब सा खेल है। जब मैं यह देखता हूं कि गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, फादर 'आफ दी दी नेशन' थे, ब्यूरोक्रेसी के लिये उनका यह मत था कि यह मर्डर्स हैं, पंडित नेहरू भी जो हमारे प्रधान मंत्री हैं प्रायः कहा करते थे कि यह हाल्टिंग, जर्किंग, शेकिंग मशीनरी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हमारे देश के अन्दर हैं और आज भी हम उसको देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को जिस हद तक अपने आपको मोल्ड करना चाहिये था, कुछ तो उसने मोल्ड किया, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट के लिये और एक सोशलिस्ट स्टेट के लिये

जिस हद तक उसे अपने का मोल्ड करना चाहिये था वह उसने नहीं किया और न हम करा ही पाये। जहां तक रिआर्गेनाइजेशन आफ सेक्रेटेरियट की बात मुख्य मंत्री जी ने हमारे सामने कही, उसके ऊपर कोई बात कहना ठीक नहीं होगा, मगर मैं यह आशा करता हूं कि जिस भावना को लेकर पुनर्संगठन हो रहा है उसमें शब्दों में चाहे कुछ हो, लेकिन उन्हीं भावनाओं को लेकर उसको पूरा किया जायगा।

अन्त में मैं उन सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो बड़ी ईमानदारी और नेकी के साथ इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं और यह अपील करता हूं कि हम सभी, इस दल और उस दल के अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और सही मानों में प्रदेश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की चेष्टा करें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस सदन के सामने एक रुपये की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस विषय पर बोलने की प्रेरणा माननीय मुख्य मंत्री जी की जो आज भाषण की शैली थी उससे मिली है।

मैं यह मानता हूं कि जब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान पर बहस होगी या किसी प्रकार के बजट संबंधी जनरल विवाद होंगे, तो उसमें मंत्रियों की तनख्वाहों का जो विषय होता है वह एक प्रमुख रूप धारण कर लेता है। मैं इस बारे में जो उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी का सुन चुका हूं उसके संबंध में कुछ अपना निवेदन करना चाहता हूं। जब हम चीन और रूस के हेड्स आफ स्टेट्स का उदाहरण अपने समने रखते हैं, जब हम केरल की मिनिस्टरियों का उदाहरण अपने सामने देखते हैं, हम अपने ही सदन में अपने उपाध्यक्ष द्वारा अपनी तनख्वाह में की हुई कटौती का उदाहरण देखते हैं, तो हमें और अधिक दलीलें देने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि मंत्रियों ने अपनी तनख्वाहों में स्वेच्छा से सौ रुपये की कटौती का जो प्रस्ताव किया है वह कहां तक संगत मालूम पड़ता है और क्या यह जनता की जो ऐस्पीरिशंस हैं और गांधी जी ने स्वराज्य की लड़ाई लड़ते वक्त जो हमें बताया था कि हमें देश के शासक ऐसे चाहिये, किसानों की ही भांति जीवन व्यतीत करने वाले हों, क्या उनके आदर्श वाक्यों को हम मूर्तरूप होते पाते हैं, जब हम मंत्रियों द्वारा अपनी तनख्वाहों में सौ रुपये की कटौती का प्रस्ताव देखते हैं। हम इस अनुदान के संबंध में अपने विचारों को प्रकट करते वक्त आप से फिर अपील करते हैं कि अपोजीशन की तरफसे, विरोधी पक्ष की तरफ से इस संबंध में जो सुझाव आ जाते हैं या जो आलोचनायें होती हैं, उन पर झुझला के नहीं, बल्कि उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आप सही स्पिरिट में सोचिये। अपोजीशन वही कहता है जो जनता के हृदय की बात है। अगर आप उस पर आज गौर नहीं करेंगे तो कल या परसों करना होगा।

दूसरी बात मुझे इनफारमेशन डायरेक्टोरेट के संबंध में कहनी है। आपने इस अनुदान में उसके लिये व्यवस्था की है। हम उस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इंफारमेशन डाइरेक्टीरेट की सूचना संबंधी जो गाड़ियां हैं, जो सिनेमा स्लाइड्स वाली गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल एलेक्शंस से पहले और आज तक यह देखने को मिला है कि जनता की जानकारी कराने के लिये नहीं बल्कि राजनैतिक कारणों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता है। हम इस अनुदान के संबंध में मुख्य मंत्री से निवेदन करेंगे कि आप इस विभाग के संगठन को इस प्रकार कीजिये कि यह जो विभिन्न राजनीतिक दलों की आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बनता है, वह न बन पाये। इस संबंध में अधिक सख्ती बरती जानी चाहिये।

[श्री मदन पांडेय]

तीसरी बात हमें डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के संबंध में कहनी है, जोकि आज इस अनुदान में दिखलाई पड़ी। जिला गजेटियर उस समय का बना हुआ है जब यहां अंग्रेज शासक थे। उन्होंने अपनी मरजी के मुताबिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का निर्माण कराया। आज आपने जो अनुदान मांगा है उसमें डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के संबंध में भी रुपये मांगे गये हैं। हमें उसके देने में जरूर खुशी है। हम यह कहते हैं कि रुपये की कटौती सम्पूर्ण अनुदान में की जाय तो गजेटियर के संबंध में न की जाय बल्कि और विभागों में से कर ली जाय, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गजेटियर अगर फिर से रिआर्गेनाइज्ड रूप में निकले तो हमें फिर से मालूम हो कि हम कहां थे और आज कहां हैं और कहां जा रहे हैं। लेकिन एक सुझाव इस संबंध में हमारा है कि जो पुरानी सरविसेज हैं उनके ऊपर निर्भर रहकर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स का निर्माण कराने से जनता जो चाहती है वह उसको नहीं मिलेगा। हमारे देश में अच्छे से अच्छे इतिहासकार हैं और ऐसे लोगों की जानकारी से ज्यादा फायदा उठाया जाना चाहिये। इस विभाग का कार्य ऐसे आदमी को मिलना चाहिये जो इतिहास के संबंध में अच्छी से अच्छी जानकारी रखता हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने चपरासियों के वेतन से मंत्रियों के वेतन की तुलना बड़े अच्छे ढंग से की है। उन्होंने बताया है कि आज उनमें १ और १८ का अनुपात है। हमें चपरासियों की तनख्वाह ६१ रुपये बताई जाती है। उसी के बराबर केंद्रीय सरकार के दूसरे विभागों में काम करने वाले चपरासियों के वेतन में मंहगाई भत्ता वगैरा मिलाकर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे सामने थोड़े दिन हुये चपरासियों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों का इस तरह की बात पर डिमोंसट्रेशन हुआ था कि केंद्र और प्रांत का भत्ता एक हो, हमें उनकी यह मांग उचित मालूम पड़ती है। आज भले ही मुख्य मंत्री जी तथा अन्य मंत्रिगण अपनी तनख्वाहों में १०० रुपये की कमी कर रहे हैं, लेकिन जो विषमता इन कर्मचारियों के वेतन में है वह ऐसी है कि सरकार को उसे दूर करना होगा। अगर सरकार इसको दूर नहीं करेगी तो असंतोष उग्र से उग्रतर होता जायगा। इसलिये मंत्रियों की तनख्वाहों की तुलना को अलग रखा जाय और कर्मचारियों के वेतन में जो विषमता है उसको पहले लिया जाय .....

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय सदस्य अपने भाषण को समाप्त करें। उनके ६ मिनट हो गये हैं, ४ मिनट वह बाद में बोलेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री गेदा सिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदन पांडेय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे लिये केवल ४ मिनट है इसलिये अब जिन प्रश्नों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है उनको केवल गिनाने भर का ही मौका है।

जिला प्रशासन के लिये जो अनुदान मांगा गया है उसके संबंध में मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि सरकारी सर्विसेज जिनके लिये आपने हमसे यह अनुदान मांगा है उन पर आपका अनुशासन ढीला हो गया है। अर्थात्, दूसरे शब्दों में वे मंत्रिमंडल के ऊपर या सरकार की नीति के ऊपर हावी हो गये हैं ऐसा प्रतीत होता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि इस अनुशासन को कुछ अधिक कड़ा करें। इससे लोगों में आशा बढ़ेगी और जो भ्रष्टाचार की शिकायत चारों तरफ से आती है वह दूर होगी। भ्रष्टाचार के संबंध में एक सुझाव मेरा यह भी है कि क्लास १ और २ के जो अफसर हैं उनकी जायदाद की गुप्त जांच कराई जाय और उस जांच का जो परिणाम हो वह

सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित किया जाय और जो लोग उसमें शुबहा वाले पाये जायं, अगर उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही न हो सके तो कम से कम डिपार्टमेंटल कार्यवाही तो अवश्य होनी चाहिये।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि आपके इस अनुशासन की ढिलाई का परिणाम यह होता है कि यहां से जो आदेश जाते हैं कर्मचारी उनकी हुकुमअदूली बड़े ठाठ से करते हैं और अगर कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करता है तो वे उसकी परवाह नहीं करते। जैसे पिछले दिनों बाढ़ वाले और बिना बाढ़ वाले क्षेत्रों में पूर्वी जिलों में कुछ छूट की आज्ञा दी गयी थी लेकिन जब वहां वसूली जारी रही और वह छूट नहीं दी गयी उसकी शिकायतें माननीय मंत्रियों के सामन रखे जाने पर भी वह हुकुमअदूलियां बराबर जारी रहीं। यदि इस तरह की गलतियां होती रहीं तो यह केवल अपोजीशन के लिये या सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के लिये ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के लिये भी कोई बड़े गर्व की बात नहीं होगी।

तीसरी बात यह है कि इसमें माघ मेले के संबंध में भी अनुदान मांगा गया है। माघ मेले का जिक्र आते ही हमारे सामने कुम्भ दुर्घटना का वह दृश्य घूम जाता है। हम मंत्री जी से यह अनुरोध करेंगे कि भले ही कुछ पैसे और इसमें लग जायं लेकिन उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जिनकी याद करके भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह इन्तजाम बाकायदा और समुचित होना चाहिये।

चौथी बात पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में मुझे निवेदन करनी है। उसमें हम इतनी-लम्बी लम्बी तनख्वाहें देते हैं। चेयरमैन को ढाई हजार और दूसर सदस्यों को दो हजार रुपये मासिक देते हैं और उनका काम भी बड़ी जिम्मेदारी का है। लकिन जब हम उसके परसोनेल को देखते हैं तो रिटायर्ड और घिसे पिटे आदमी ही इस कमीशन में लिये जाते हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध है कि उसमें नया ब्लड लिया जाय और उत्साही व्यक्ति लिये जायं। आशा है वह इसे स्वीकार करेंगे।

पांचवी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जो सरकारी सर्विसेज हैं, जिनके लिये हमसे अनुदान मांगा जा रहा है, उनका कभी-कभी इलेक्शंस में जो रुख होता है वह बड़ा निन्दनीय होता है। सरकार की नीति भी उनकी तब्दीली वगैरह के सिलसिले में इस प्रकार की है जिससे लोगों को शुबहा और अविश्वास करने का मौका मिलता है कि वे इन चुनावों के ऊपर प्रभाव डालने के लिये किये जाते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं गोरखपुर जिले के एक परगनाधीश के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि एलेक्शन से करीब चार महीने पहले से ही उनके ट्रांसफर की अफवाहें फैलती रहीं और वह कनफर्म होती रही, लेकिन आखिर में तीन-तीन बार उनका ट्रांसफर होते-होते रुक गया और इस कारण लोगों को सहज ही विश्वास करने का मौका मिल गया कि इलेक्शंस पर प्रभाव डालने के लिये यह सब किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने जो सुझाव दिये हैं उनपर ध्यान देंगे और उनपर कार्य कराने की कृपा करेंगे।

*श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय अधिष्ठाता, महोदय जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज प्रातः कहा कि सामान्य प्रशासन के आय-व्ययक की मदों में कोई ऐसी बातें नहीं होतीं जिनपर बहुत कुछ कहने का स्कोप हों लेकन स्वभावतः जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

समय हम इस पर विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी अंगों पर पड़ जाती है। हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश ने उन्नति की है किन्तु हमें यह भी प्रतीत होता है कि प्रगति की घड़ी की सुई जिस रफ्तार से चल रही है वह सर्वथा संतोषजनक नहीं कही जा सकती। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सुन्दर महल जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी आधारशिला उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम कदाचित् कल्पना करते हैं। मैं इस संबंध में एक दो बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा।

आज सबसे अधिक जोर सहकारिता पर है। सरकार और उसको बनानेवाली पार्टी यह घोषणा कर चुकी है कि हम भावी भारत का ढांचा सहकारिता के आधार पर बना रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में ५५,६३८ सहकारी समितियां भी हैं और उनमें ३८,००,००० के करीब सदस्यों की संख्या भी है। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि इन समितियों की दशा बहुत असंतोषजनक ही नहीं दुखप्रद भी है। आज हम यह कहने के लिये मजबूर हैं कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट अपने प्रारम्भिक काल में ही फेल होता सा नजर आता है। यदि यही आधारशिला बनी तो हम जिस आधारशिला पर भावी भारत का निर्माण करने जा रहे हैं वह ढांचा कमजोर बनेगा। आज गांवों में और शहरों में भी इस आन्दोलन के प्रति हम वह श्रद्धा और उत्साह नहीं पैदा कर सके हैं, जो हमें करना चाहिये था। भ्रष्टाचार की बात समय समय पर की जाती है। उसके विषय में मैं बाद में निवेदन करूंगा किन्तु इस प्रसंग में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के प्रारम्भिक स्टेज पर ही इतनी अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि बिना उसमें से गुजरे हुये आदमी आगे बढ़ नहीं पाता। इसका परिणाम यह होता है कि वह भावी ढांचा जिसको हम बनाने जा रहे हैं उसके बनने में संदेह उत्पन्न होने लगता है। जो लोग इन समितियों को बनायेंगे वे उस में फिट नहीं बैठ सकते। तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि यह न दिया गया तो यह नींव कमजोर सी दिखाई पड़ रही है।

श्रीमन्, अभी मंत्रियों के वेतन का भी यहां जिक्र था। मैं यह समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के बहुत सारे नेता जब महात्मा गांधी के ५०० रुपये वाले प्रस्ताव का जिक्र करते हैं तो, वे आंकड़ों के पूरे पंडित हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि उस वक्त के ५०० रुपये तथा आज के १,००० रुपये में क्या फर्क है। आज के १,००० रुपये उस वक्त के ५०० रुपये से कम ही हैं ज्यादा नहीं। यह तो रही वेतन की बात। लेकिन श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहांतक और दूसरी चीजों का संबंध है, उनके बंगलों के लिये फरनीचर का, उनकी कार्स का, अभी गवर्नर महोदय के राज भवन के लिये परदों का जिक्र था, उस संबंध में हमारी नीति में परिवर्तन होना चाहिये। मुझे पिछले बजट के दौरान में भी यह कहने का इत्तफाक हुआ था। उस वक्त १८,००० या २०,००० रुपया परदों के लिये रखा गया था, वह खर्च हुआ। यहां आज फिर हम २२,००० रुपये की रकम देखते हैं। इसी प्रकार उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिये ५,००० रुपये की फरनीचर की मद हम देखते हैं। श्रीमन्, मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस विषय में जरूर हम कमी कर सकते हैं। हमारा क्राइटेरियन यह होना चाहिये कि जहां आवश्यकता हो, वहां खर्च किया जाय। हम एफीशियेंसी और नेसेसिटी को सैक्रीफाइस न करें लेकिन जो मान-मर्यादा के लिये या सुसज्जा के लिये हम सामग्री रखें उसके लिये हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके बिना हमारा काम चल सकता है या नहीं, जनता किस चीज का मान करती है और किस चीज से मर्यादा बढ़ती है। मेरा तो यह विनम्र निवेदन है कि मर्यादा पैसे के अपव्यय से नहीं बढ़ती। अगर हम पैसे का अच्छा व्यवहार करें और उसको कम से कम खर्च करें तो कदाचित् उन पदाधिकारियों की मर्यादा जनता में अधिक बढ़ सकेगी बनिस्बत उनके जो पैसे को अधिक से अधिक खर्च करने में बनिस्बत अपव्यय समझते हैं।

फिर इस भवन में करप्शन की बात आती है। आज भी उसका जिक्र आया और दूसरे अनुदानों के समय भी उसका जिक्र आया। मेरा मत तो यह है कि यह करप्शन की बात ऐसी हो गई है कि जिसे विरोधी दल के लोग अपना एक राजनीतिक हथियार बना चुके हैं। हर समय, वक्त और बेवक्त, करप्शन की बात बार-बार कहने से और हर एक के लिये स्वीपिंग एलीगेशन करप्शन के लगाने से करप्शन दूर हो सकता हो, ऐसा मैं नहीं समझता। दूसरी ओर श्रीमन्, जिस विभाग के बारे में करप्शन की बात कही जाती है, ऐसा देखने में आता है कि उसके अधिकारी यह समझते हैं कि उनकी आलोचना करना ही कहने वालों का मुख्य ध्येय है। तो यह दोनों ही तरीके करप्शन को दूर नहीं कर सकते। मेरा तो अपना मत यह है कि करप्शन हमारे समाज में आ कर रुक चुका है। इट हैज टु कम स्टे (it has come to stay) और मेरा यह विचार है कि यह एक नेशनल मैलाडी (national malady) है। यह एक बड़ा प्रश्न है जिसको कि उसी तरीके से हल करना पड़ेगा। अगर हम इसका बार-बार चर्चा करते रहें और यह समझ लें कि यह तो है ही और इसका कोई उपाय नहीं, तब काम नहीं चल सकेगा। अगर हम केवल निन्दा करते रहें और कोई सुझाव हमारे न हों तब भी काम नहीं चलेगा। मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि आज वह समय आ चुका है कि जब शासन की ओर से एक सर्वदलीय राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस या सारे दलों का एक सम्मेलन बुलाया जाय। एक ऐसी कमेटी हो कि जिसमें सारे दलों के नेता और रिप्रेजेंटेटिव शरीक हो सकें और उन सबों के सुझाव लेकर एक बड़ी नेशनल मैलाडी (national malady) के लिये हम जोरों से मुकाबिला करने के लिये तैयार हों।

मैं यह नहीं मानता कि इसका उपाय हो ही नहीं सकता। अभी जब पी०डब्लू०डी० के बजट पर बहस हो रही थी तो मैं सुन रहा था कि रेता ज्यादा लगता है और सीमेंट कम लगता है। मैं समझता हूं कि इसका भी उपाय हो सकता है। उदाहरणार्थ अभी तक ऐसे प्राविजन्स हैं कि हम ठेकेदारों से एक सेक्योरिटी लेते हैं जो ६ महीने के बाद रिफंड होती है इसलिये कि अगर काम खराब हो तो उसे हम जब्त कर लें। यह एक साधारण व्यवस्था है। इसको विस्तार रूप में किया जा सकता है। हम यह कर सकते हैं कि सारे सदस्यों का कोआपरेशन लें और सारे सदस्यों से प्रार्थना करें कि जहां-जहां उनके क्षेत्र में काम हुआ हो उसको वह देखें और यदि उनमें खराबी हो तो केवल यहां आ कर अपने को आलोचना करने तक ही वह सीमित न रखें वरन् उनके बारे में ठोस इत्तला विभागीय अधिकारियों को दें और उस इत्तिला के आधार पर उस विभाग के जो कर्मचारी हों उनके प्रति कड़ी कार्यवाही हो। ओवरसियर इंजीनियर और जो भी संबंधित हों उनको जिम्मेदार ठहराया जाय और ठेकेदार को भी डिसकंटीन्यू किया जाय। तब जाकर वह करप्शन दूर हो सकता है।

मोटरकारों के लिये एक छोटी सी बात यह कहना चाहता हूं कि जिस विभाग की जितनी मोटर कार हों या जितने कन्वेयन्स हों उनपर उस विभाग का नाम डाल दिया जाय तो भी उसका दुरुपयोग बहुत कम हो सकता है। इसी तरह की अनेक बातें हो सकती हैं जिनके द्वारा वह कमी दूर हो सकती है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आगया है कि इस तरह की एक कमेटी बिठायी जाय जो सब विभागों को देखे। जितने भी अनावश्यक व्यय हैं उनको रोका जाय। आज ३० लाख रुपये से नया सेक्रेटरियट बनाने की स्कीम है। वह कमेटी इस पर विचार करे कि क्या इस काम को रोककर यह रुपया नहीं बचाया जा सकता है। इस रुपये से सेक्रेटेरियट की स्कीम चलने पर लोगों को कठिनाई होगी। जो लोग रहने के लिये मकान बनाना चाहते हैं उनको सीमेंट और लोहा मिलने में भारी

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

कठिनाई होगी और वह इससे वंचित हो जायेंगे क्योंकि इसको प्रायोरिटी दी जायगी। तो सरकार एक परमानेंट कमेटी बनाये जो हर डिपार्टमेंट को देखे कि क्या कोई ऐसा खर्चा है जो रोका जा सकता है। अगर इस प्रकार के खर्चे रुक सकते हैं तो उससे बहुत बड़ी धनराशि बच सकती है और प्रदेश के और दूसरे जरूरी काम हो सकते हैं।

इस निवेदन के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में किसी भी देश या प्रदेश में वहां के सामान्य प्रशासन और जिला प्रशासन को सम्पूर्ण शासन की इकाई का केन्द्र बिन्दु माना जा सकता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत अनुदान समस्त अनुदानों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

इस अनुदान का विश्लेषण करते हुये हमें यह प्रतीत होता है कि इसमें बहुत सी ऐसी मदें रखी गयी हैं जिसका वास्तव में सामान्य प्रशासन से सीधा सम्बन्ध नहीं है। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले वर्ष सूचना विभाग का बजट इसी अनुदान के अन्तर्गत रखा गया था लेकिन इस बर्ष से सम्भवतः हम लोगों के सुझाव पर सूचना विभाग का बजट एक अलग शीर्षक से रखा गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि लैंड रिफार्म कमिश्नर और बोर्ड आफ रेवेन्यू के सम्बन्ध की जो मदें हैं वह इसी सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत आती हैं। मेरा विचार है कि यह लैंड रिफार्म कमिश्नर की मद और लैंड रेवेन्यू की मद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से हटाकर लैंड रेवेन्यू की मद में आना चाहिये क्योंकि लैंड रिफार्म कमिश्नर और बोर्ड आफ रेवेन्यू के कार्यों का जहां तक सम्बन्ध है उनका सम्बन्ध रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है। यहां पर उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिये। हां बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा कलेक्टोरेट के आर्गनाइजेशन के मुताल्लिक जो अधिकार कलेक्टर को दिये गये हैं वह अधिकार मुझे इतना अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य महसूस करता हूं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा इस प्रकार के अधिकार कलेक्टर को दिये जाना उचित नहीं है। सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू और हमारे बोर्ड आफ रेवेन्यू में बहुत फर्क है। बोर्ड आफ रेवेन्यू में एक अफसर का जुडिशियल फंक्शन भी होता है और सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू का जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शन नहीं है। सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू एक पब्लिक डीलिंग करने वाला है जो कि बोर्ड आफ रेविन्यू नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो नये अधिकार बोर्ड आफ रेवेन्यू को दिये गये हैं उन पर पुनः विचार होना चाहिये।

जहां तक जिला प्रशासन का संबंध है, यह बात सही है कि पिछले दो वर्षों में इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ने ध्यान दिया है। लेकिन हमारे समाजवाद का जो अन्तिम रूप होने वाला है यह उसको कन्फर्म नहीं करता। जैसे मिसाल के लिए जिला प्रशासन में कलेक्टर है। कलेक्टर, मैं समझता हूं कि सोशलिस्टिक एकानामी के लिये एक प्रतिगामी नहीं होता लेकिन कलेक्टर खुद, जिस प्रकार से ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ने यह शासन बनाया उसमें वह फिट इन नहीं करता और इन डेमोक्रेसी में फिट इन करता है। जिले की सारी मशीनरी कलेक्टर के हाथ में होती है। फिर डिवीजनल कमिश्नरों की तादाद बढ़ती जा रही है जब कि आज से ३ ४ वर्ष पहले इनकी संख्या कम की जा रही थी। मैं इसके बारे में भी जानना चाहूंगा।

मेरा यह भी मत है कि फाइनेंस मिनिस्टर को किसी खर्च करने वाले महकमे का मिनिस्टर नहीं होना चाहिये। मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री जी को यह बतलाने में दिक्कत होगी कि क्योंकि उसके हाथ में बिजली का या इसी प्रकार का दूसरा विभाग दिया जाय और क्यों एक मिनिस्टर के हाथ में केवल कोआपरेटिव का ही विभाग हो। बहुत से सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो ६, ६ विभागों के सचिव हैं और कई केवल एक ही विभाग के हैं। तो जितने मिनिस्टर हों उतने सेक्रेटरी होने चाहिये। जिला प्रशासन में जिले की व तहसीलों की हदों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बारे में मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था। मैं नहीं जानता कि उस ओर क्या प्रगति सरकार ने की है। एस० डी० एम्स० को तहसील में रखने का सवाल भी था और मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष यह नीति कार्यान्वित नहीं की गई। इसी तरह से एफीशियेंसी आडिट का सवाल है, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे राज्य के कार्यालयों में कितना चेकिंग हुआ है? कोई सर्वे किसी किस्म का कराने की कोशिश की गई? मेरे विचार से पिछले २, ३ वर्षों में इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। समय कम होने से मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जगन्नाथदास पे कमीशन या इसी प्रकार के कमीशन से यह होगा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के मुक़ाबले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सुविधायें बढ़ेंगी। ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका उपाय यह नहीं है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से कहे कि तुम पे कमीशन न बैठाओ या इस प्रकार का टर्म्स आफ रेफ़रेन्स मत करो। अगर राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से मांग करे कि यह कमीशन इस सम्बन्ध में भी सिफारिश करे.....

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––यही हमने किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––और राज्य सरकार स्वयं भी पे कमेटी बैठावे। इससे सरकार यह न समझे कि सारा दायित्व उसके ऊपर ही आना है। हम प्रान्तीय सरकार की वित्तीय कठिनाइयों को जानते हैं। अगर आज राज्य सरकार चाहे तो केन्द्रीय सरकार को मजबूर कर सकती है कि यहां पर प्रत्येक राज्य कर्मचारी को वही वेतन भत्ता मिल सके जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को मिलता है। यह पत्र-व्यवहार से होने वाला नहीं है। पत्र-व्यवहार में सैकड़ों मामले चलते रहते हैं लेकिन उसका महत्व केन्द्रीय सरकार महसूस नहीं करती है। मेरा स्पष्ट मत है कि राज्य सरकार के वर्तमान मंहगाई के स्तर को देखते हुये और विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के बीच में विभिन्न विभागों में जो वेतन में भेद हैं उसे दूर करने के लिये अविलम्ब एक सेकेन्ड पे कमेटी का निर्माण करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले जो २ या ५ रुपये वेतन वृद्धि की बात कही गई, बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां आज तक यह २ या ५ रुपये की वृद्धि नहीं हुई है। सन् ५५ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया था कि २ रुपये वह बढ़ा रहे हैं परन्तु जंगलात के फारेस्ट गार्ड्स के आज तक ये २ रुपये नहीं बढ़े हैं। कुछ जगह बढ़ कर कट गये हैं। पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों के और राज्य भवन के मालियों के कट गये। वे बिलकुल इनफ़ीरियर ग्रेड के मुलाजिम हैं। इस प्रकार एक तरफ तो ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है और दूसरी तरफ उनका सिटी एलाउन्स रोक दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि उनको सिटी एलाउन्स दिया जा रहा है लेकिन मेरी सूचना यह है कि सिटी एलाउन्स के दो रुपये कम कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहां जो हिल एलाउन्स दिया जाता था वह कम कर दिया गया है। तराई भावर एलाउन्स भी रोक दिया गया है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इन्फीरियर कर्मचारियों को जहां आप ने ७ रुपये की बढ़ोत्तरी दी है वहां आप ने उनके १२ रुपये कम कर दिये हैं। इस प्रकार से उनके ५ रुपया और कम हो गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यदि चाहे तो इस संबंध में मैं उनको पूरी सूचना देने को तैयार हूं कि वास्तव में उनके एमाल्यूमेंट्स में कमी हुई है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट के श्वेत पत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें भारत सरकार ने माना है कि इन छोटे कर्मचारियों को कुछ देने की आवश्यकता है और उसका कुछ अंश भारत सरकार भी देगी। उसमें आगे लिखा है कि "किन्तु वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा दिये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जाने वाले अंश के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा"। आगे चल कर उन्होंने लिखा है कि--- "संक्षेप में जिन कर्मचारियों का वेतन १२ रुपये की वृद्धि से १०० रुपये से आगे नहीं बढ़ेगा, उनका वेतन बढ़ाने में केन्द्रीय सरकार राज्यों की सहायता करेगी, वेतन को ६० रुपये तक बढ़ाने में केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त व्यय के २/३ के बराबर और बाकी मामलों में अतिरिक्त व्यय के १/३ के बराबर की सहायता देगी"। इसमें केन्द्रीय सरकार ने १२ रुपये की वेतन वृद्धि देने की सिफारिश की है लेकिन आपने केवल ५ रुपया ही दिया है। उन्होंने जहां १०० रुपया तक देने के लिये कहा है वहां आपने ९५ रुपया तक ही रक्खा है। केन्द्रीय सरकार ने केवल वेतन की बात कही, लेकिन आप ने मंहगाई भत्ता मिला कर ९५ की बात की। इस प्रकार से आप केन्द्रीय सरकार की इच्छा के अनुसार भी नहीं कर पाये। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार ने जो अपने ह्वाइट पेपर में घोषणा की थी उसको राज्य सरकार पूरा नहीं कर पायी। जब और सब बातों में आप १ अप्रैल से इफेक्ट रखते हैं तो फिर उसको आप पहली अगस्त से क्यों कर रहे हैं। उसको अगर पांच महीने की तनख्वाह मिल जायगी तो क्या बुरा हो जायगा। केन्द्रीय सरकार ने भी यही कहा है कि नये फाइनेंशियल ईयर से देंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो भी वृद्धि इस समय राज्य सरकार दे रही है वह १ अप्रैल से दे।

श्रीमन्, समय कम है और मैं चाहता था कि इस संबंध में मैं अपने और विचार व्यक्त करूं लेकिन चूंकि इस सम्बन्ध में माननीय विरोधी दल के नेता भी अपने विचार व्यक्त करेंगे इसलिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सामान्य प्रशासन का मुख्य आधार वह नीति होनी चाहिये जो समाजवादी व्यवस्था को उग्रतर रूप में स्थापित कर सके। मुझे भय है कि माननीय मुख्य मंत्री अकेले ही इस दायित्व को निभा सकेंगे! केवल सरकारी उपकरणों से उनके हाथ मजबूत होने वाले नहीं हैं। इसके लिये तो उनको एक वातावरण बनाना होगा। इसके लिये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी जल्दी-जल्दी मीटिंग्स होनी चाहिये ताकि समाजवाद को बनाने में वह हमें सुझाव दे सके।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)--अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को और इस सदन में इस संबंध में होने वाले भाषणों को काफी गौर से सुना। जहां तक इस अनुदान का ताल्लुक है यह सही है कि पुराने सालों के मुकाबले में इसमें बहुत ज्यादा खर्च की मांग नहीं है। मैं तो यहां तक भी उचित समझता हूं कि एक बढ़ती हुई सोसाइटी में खर्चे की ज्यादा मांग हो तो उसको देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं इस प्रश्न को दूसरे ही नजरिये से देखना चाहता हूं और वह यह है कि जो खर्चा किया जा रहा है, जो शासन का ढांचा हमको मिला है, जिसके जरिये से हम नव-निर्माण की तरफ जा रहे हैं, एक नया सूबा, नया देश और नयी दुनियां हम बनना चाहते हैं, आया उस खर्चे के होने से वह ढांचा उधर बढ़ रहा है या नहीं। इसके लिये एडमिनिस्ट्रेशन भी एक मयार हो सकता है, उसमें भी जनता की वह भावनायें व्यक्त होती हैं। उससे वह काम किये जा सकते हैं जिस काम के लिये वह बनाया गया है। जो ढांचा हमने पहले बनाया था वह ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहलाता था। वह समाजवादी समाज को बनाने के लिये नहीं था बल्कि पुलिस स्टेट को बनाने के लिये वह ढांचा बनाया गया था। उसी तरीके से इसका गठन, था, उसी तरीके से इसकी भावनायें थीं, उसी तरीके से इसके डिसिप्लिनरी रूल्स थे और इसका संचालन एक टॉप हैवी ढांचे का था। जब हमारी सरकार एक नये समाज को लाने का काम कर रही है तो कुदरतन हमारे लिये जरूरी हो जाता है कि हम यह देखें, आया कि जो इसमें दुर्गण थे, जो खराबियां थीं, वे खराबियां हमने दूर की हैं या नहीं।

ब्यूरोक्रेटिक ढांचे में ५ बातें थीं। एक तो यह बड़ा पेचीदा होता है, टॉप हैवी होता है, इसमें ग्लेमर बहुत होता है, इसके जो क्लासेज हैं उनमें आपस में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होती। इसमें देरी बहुत होती ह, इनएफिशिएंसी भी काफी होती है। इस तरह से पांच दुर्गुण ब्यूरोक्रेसी के हैं। तो हमको देखना यह है कि इस १० साल के अन्दर हम इनमें से कितने दुर्गुणों को हटा पाये हैं। इस तरह से जब हम सोचते हैं और देखते हैं कि देरी को कम करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सेक्रेटेरिएट के रिआर्गेनाइजेशन का प्रपोजल बतलाया है उससे हमको काफी सान्त्वना मिली, सान्त्वना इसलिये कि इस तरफ कोशिश है कि किस तरह स देरी को कम किया जाय, जो फजूल में इधर उधर कागज घूमते फिरते हैं उनको कैसे रोका जाय। इस बात की जानकारी होनी चाहिये थी और इस बात की जानकारी है भी लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ कि जरा सी बात को मालूम करने में १० साल का समय लग दिया गया है और १० साल के बाद भी पता लग सका कि देर होन का कारण यह है कि कागज यहां रुकता है। इससे मुझे सान्त्वना नहीं हुई। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिआर्गेनाइजेशन को इस तरीके से प्रोत्साहन देना चाहिये कि उससे कुछ ऐसी चीजें निकल सकें कि यह जो ढांचा ह उसका मूल रूप बदले।

मेरे ख्याल से ऐडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी चीज है कि लेजिस्लेचर की पालिसी को ईमानदारी के साथ व्यक्त करे। अगर मान लीजिये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जिसको लेजिस्लेचर ने लॉ पास कर के दे दिया लेकिन उसको न उसमें विश्वास ह और न उसकी जानकारी ही है, तो चाहे आप अच्छा से अच्छा बिल पास कर क ही क्यों न दे दें लकिन जिन लोगों के लिये वह बिल होगा, जब तक उनकी प्रेरणा व दृष्टिकोण के अनुसार वह नहीं होगा तब तक किसी प्रगतिशील बिल से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये जरूरी है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, उसके हर एक पुर्जे को, जो काम करने वाल हैं उनको सरकार की मूल पालिसी के सम्बन्ध में जानकारी हो। इसके लिये मेरा यह सुझाव है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के सारे पुर्जे की कोई न कोई एक किस्म की आइडिओलाजिकल रिमोल्डिग होनी चाहिये। अगर आइडिओलाजिकल रिमोल्डिग हो जायगी तो उनके कहने में, सोचने में तब्दीली हो जायगी। इसलिये जरूरी है कि जो हमारी पालिसी हो उनके बारे में सरकारी मशीनरी के जो पुर्जे हैं उनको बहुत काफी वाक्फियत हो। अगर सरकार ने जमींदारी खत्म किया तो उसके हर पुर्जे को जमींदारी के बारे में जानकारी होनी चाहिये और उसमें विश्वास होना चाहिये।

ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा दुर्गुण यह है कि वह टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पिछले कई सालों के अन्दर सेक्रेटेरिएट में काम करने वालों की संख्या बहुत काफी बढ़ी है और उस पर काफी खर्च बढ़ गया है। अगर रिआर्गनाइजेशन स्कीम के मातहत काम किया जाय तो आहिस्ता-आहिस्ता जो अब तक काम होता था उसमें भी तेजी आ जायगी और अच्छी बातों को आंकने की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन में इंटेंसिव भी बढ़ेगा।

ब्यूरोक्रेसी का सब से बड़ा दुर्गुण ग्लेमर है। उस ग्लेमर का राजनीतिक पार्टियों पर काफी असर है। इसीलिये यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को क्यों यह कहना पड़ा कि जनता के नजदीक रहने के लिये कई ऐसी चीजें हमको निकालनी पड़ेंगी जिससे लोगों को चिढ़न पैदा होती है, जिससे लोगों को झुंझलाहट पैदा होती है। मैं आपके जरिये बतला देना चाहता हूं कि यू० पी० सरकार ने इस बात को तसलीम किया है जैसे वे छोटी गाड़ियों में, झंडे का न लगाना, सफर में गार्ड वगैरह का न होना, ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन महज इतना ही काफी नहीं है। अगर पोलिटिकल

[श्री गोविन्द सहाय]

लीडरशिप ही चाहे तो इसको कम कर दे और यदि यह जहर सर्विसेज में बना रहा ो इस तरह से यह ग्लेमर दूर नहीं होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को आप के द्वारा बतलाऊंगा कि यह ग्लेमर राजनीतिक लोगों में पहले से नहीं था, उन्होंने तो पकड़ा था इस इन्फेक्शन को सर्विसेज से, जिनमें यह पहले से था। मैं अपनी जानकारी की बुनियाद पर कह सकता हूं कि कई डी० आई० जीज० और ए० आई० जीज० चलते ह तो उनको इस ग्लेमर का शौक और भी ज्यादा बदस्तूर है। इसलिये इसको जहां तक हो ऐडमिनिस्ट्रेशन से कम किया जाय, जरा उसमें सादगी आये और जो हमारा मौजूदा ढांचा है उसमें सिम्पलीसिटी हो।

सदन में कहा गया कि बहुत रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर व्यय होता है लेकिन इसमें कोई खास बात रुपये की नहीं होती ह और हमें रुपए की बात को ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिये। यह जो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह बिलकुल एक घोड़े की तरह से है और यह पोलिटिकल लीडरशिप जाकी की तरह से है। जैसा रूप और ढांचा हमारी सर्विसेज का होता है उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन पर असर होता है। परिवर्तन ऐसा होना चाहिये कि जिससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में सादगी आये, इससे काम नहीं चलेगा कि हम ५०० रुपये तो छोड़ दें और दिलों में वहीं ऊंचा बनने की ख्वाहिश और ग्लमर रहे, इस तरह से कोई लाभ नहीं हो सकता।

अब मैं कुछ शब्द विभागों के बारे में कहूंगा। इस ग्रान्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी रुपए की मांग है। कमीशन का जो तरीका हमें विरासत में मिला है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का वह महत्व नहीं रहा है जैसा कि रहना चाहिये। मेरा माननीय मुख्य मंत्री से सुझाव है कि यह एक ऐसी बाडी है कि जिसके जरिये एक ऐसी सोसाइटी के लिये लोगों को रिक्रूट करता है और एक ऐसी सरकार के लिये लोगों को रिक्रूट कर के भेजता है जो सोशलिज्म की ओर बढ़ना चाहती है, इसलिये उसके मेम्बरान का दिमागी रुख ऐसा होना चाहिये, उनके दिमाग में एक ऐसी ताजगी होनी चाहिये जो ऐसे लोगों को हमें दे सकें जो देश को सोशलिज्म की तरफ बढ़ा सकें। हमारा जो आज का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस को बनाने का वही पुराना रवैया है कि पुराने बुड्ढे रिटायर्ड आदमी हों उनको वहां भेजा जाता है या जो पुरान पोलिटिकल फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं उनको वहां भेजा जाता है, यह चीज अच्छी नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी एक बड़ी भारी एजेंसी है, उसमें नया ताजा ब्लड, नया नजरिया और नये ख्यालात होने चाहिये।

दूसरे जब इस इंस्टीट्यूशन को माना जाता है तो उसकी सिफारिशों के संबन्ध में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, मैं नहीं जानता, लोगों के पास लोग खबरें और आंकड़े भेजते होंगे, मैं उनके बारे में तो जिम्मेदारी से कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि कम्पलेंट्स होती हैं कि कमीशन की रिपोर्ट आई थी और बाद में उसको निकम्मा बता दिया गया, यह बातें नहीं होनी चाहिय। इसस नुक्सान भी होता है और संस्था की प्रतिष्ठा भी कम होती है।

इसी तरह से हमारा जो स्टेटिस्टिक्स विभाग है वह बहुत लाभदायक काम करता है। हमारी जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उस में आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है और उनका बहुत बड़ा स्थान है। उनके बिना प्लानिंग नहीं हो सकता। ठीक आंकड़ों को मालूम करने में जितना आवश्यक खर्च है वह भी हमें करना चाहिये लेकिन इस विभाग की बुनियादी तब्दीली की बहुत जरूरत है। हमारे देश में पहली बात तो यह है कि लोग ठीक आंकड़े नहीं देते ठीक आंकड़े तभी इकट्ठा हो सकते हैं जब हमारी जनता डेटामाइन्डेड (data minded) हो। आज हालत यह है कि हमारे किसान यह भी बताना नहीं चाहत कि उन के यहां कितना अनाज पैदा हुआ है और इस वजह से हमारे स्टेटिस्टिक्स विभाग का काम और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस विभाग में अभीतक कोई सर्विस रूल्स नहीं हैं। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विभाग को स्वयं देखत हैं इसलिये मैं इशारतन कहूंगा कि इस विभाग में काफी तब्दीली की जरूरत है और मेरे पास कुछ सुझाव भी हैं, इस वक्त वक्त कम है वर्ना मैं उनको समझा देता लेकिन मैं अब उनके पास उनको भेज दूंगा।

मुझे एक खास बात यह कहनी है कि हमारी जो सर्विसेज हैं उनका हम मौलिक रूप बदलें और उनमें तरक्की लावें, नजरिये में उनके तब्दीली हो, क्योंकि हम जनता के पास पहुंच सकते हैं अपनी सर्विसेज की सेवाओं के द्वारा। उनमें हमें एक दिमागी तब्दीली लाना है, एक मेलजोल के तरीके से वह काम करें। एक जिले के कलेक्टर की तरक्की का आधार क्या हो? मैं समझता हूं कि एक सोशलिस्ट स्टेट में जिले के कलेक्टर की तरक्की का आधार यह भी होना चाहिये कि वह किस तरह से लोगों में देशभक्ति पैदा करता है, किस तरह से लोगों में सेकुलर आउटलुक पैदा करता है, किस तरह से प्लानिंग की तरफ मोड़ता है, किस तरह से कम्पेन इनीशिएट करता है।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)––आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, प्रशासन पर जितना भी कहा जाय वह थोड़ा ही हो सकता है। प्रशासन की बदौलत आज समाज की जिन्दगी एक खतरनाक जिन्दगी बनी हुई है।

पुलिस का जो ढांचा बना हुआ है उससे समाज को जो आराम पहुंचना चाहिये था उसके एवज में तकलीफें पहुंच रही हैं। यह केवल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ही बुराई नहीं बल्कि हमारे समाज के नेताओं की वजह से हो रहा है। समाज के नेता ऐडमिनिस्ट्रेशन पर नाजायज प्रभाव डालते हैं और ऐडमिनिस्ट्रेशन उनकी आज्ञायें का पालन करने में समाज के साथ अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता है और उसी कारण हमारे देश का काफी मेहनत का पैसा और बड़े परिश्रम की कमाई का पैसा इस ढंग से खर्च हो रहा है, जिससे गरीबों को आराम के साथ रोटी नहीं मिल रही है और उनको रोटी तो रोटी, तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है। बहुत सी जगह भुखमरी फैली हुई है और शासन की तरफ से कोई समुचित प्रबन्ध न होना यह शासन और समाज दोनों के लिये अच्छी बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह मेरी खुशकिस्मती है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बोलने का अवसर मुझे मिला।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर अगर उस समय से हम नजर डालें जिस समय से हमारा देश आजाद हुआ है तो उसमें एक बात खास तौर से देखने में आती है कि उसकी तरफ हमारा व्यय कितना बढ़ा है और हमारी एफीशियन्सी कितनी बढ़ी है। मुझे पिछली दफा भी, एक दफा बोलने का मौका लगा था, उस समय भी यह कहा था कि अपने देश और प्रदेश की गरीबी और आर्थिक दशा को देखते हुये महामहिम राज्यपाल के ऊपर जो प्रदेश के एक्सचेकर से खर्च किया जाता है वह नाकाबिले बरदाश्त है। छः लाख रुपया साल भर में खर्च होता है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि जहां चारों ओर एकानामी की आवाज जारी है, यह कोशिश की जाती है कि एकानामी की जाय वहां हमारे महामान्य राज्यपाल महोदय इस ओर स्वतः ध्यान देंगे।

इसके साथ ही साथ अगर १९४६ और १९५७ के आंकड़ों को देखा जाय तो सेक्रेटेरिएट के ऊपर २७ लाख रुपया ४६ में खर्च होता था और आज वह खर्च बढ़कर एक करोड़ बाइस लाख रुपये के करीब है। कितनी ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेंसी बढ़ी है यह प्रश्न विचारणीय है। मैं यह समझता हूं कि हमारे सेक्रेटेरिएट में माननीय मुख्य मंत्री जी का यह एक बहुत उचित और मुनासिब कदम है कि सेक्रेटरीज डिप्टी सेक्रेटरीज, ज्वाइन्ट सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, असिस्टेंट सेक्रेटरीज, जितने भी हैं उनकी संख्या घटा कर कम की जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

क्योंकि मैं समझता हूं कि उनकी संख्या घटने से एकानामी ही न होगी बल्कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेंसी भी आयेगी।

इसी प्रकार से अगर हम मुख्तलिफ डाइरेक्टोरेट्स की तरफ देखें तो पहले जमाने में डाइरेक्टर था, या डिप्टी डाइरेक्टर और असिस्टेंट डाइरेक्टर। अब डाइरेक्टर है, ऐडीशनल डाइरेक्टर, ज्वाइन्ट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरक्टर और असिस्टेंट डाइरेक्टर हैं। तो यह सारा का सारा टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहां का होता जा रहा है।

जहां तक डिवीजनल कमिश्नर्स का सवाल है, मैं उनकी पोस्ट को इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये बिल्कुल निरर्थक समझता हूं। कितना यूजफुल परपज सर्व कर रहे हैं? क्या उनको ड्यूटीज और फंक्शन्स हैं, आज तक मैं उनका अन्दाजा नहीं लगा सका हूं? हो सकता है कि मेरा तजुर्बा कम हो और मैं यह न समझता होऊं कि कोई ऐसा काम उनके पास है जो मेरे दिमाग में अब तक न आया हो। लेकिन तीन, तीन हजार तनख्वाह इस गरीब प्रदेश के लिये बहुत बड़ा वेतन है? ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि जिलों का सीधा संबंध हमारे यहां प्रदेश से हो और हमारे जो डिवीजन के ऊपर कमिश्नर्स हैं उनको समाप्त किया जाय। साथ ही जब से जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग हुई है मैं यह भी नितांत आवश्यक समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में एकानामी लाने के लिये आवश्यक है कि हमारे एस०डी०एम्स० के पास जहां दफा १०७,१०९, ११० के मुकदमात हैं या कुछ आर्म्स ऐक्ट के हैं उनके पास काम और बढ़ाया जाय। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बड़ी तहसीलों को छोड़कर छोटी छोटी दो तहसीलों पर एक एस०डी०एम० रखा जा सकता है जिससे उनके पास काम भी उनके लायक हो और एकानामी भी ऐडमिनिस्ट्रेशन में की जा सके।

सरकार ने जो ५ रुपये महीने की वृद्धि ९५ रु० तक के मुलाजमीन को दी है, यह सरकार का प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन मैं यह मुनासिब समझता हूं कि अगर किसी योजना के मातहत सेकेंड फाइव ईयर प्लान के अन्त तक हम अपने किसी भी कर्मचारी के वेतन को ७५ रुपये से कम न रहने देंगे, अगर ऐसी एक योजना बनायी जाय और उसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक कोई भी कर्मचारी १०० रुपये से कम वेतन प्राप्त करने वाला प्रदेश में न रहे। दूसरी ओर जिन आदमियों को तीन, तीन हजार वेतन मिल रहा है उनका भी इसी प्रकार योजना के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १ हजार से अधिक वेतन न हो तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में जो बड़ी और छोटी आय में अन्तर है उसमें बड़ी भारी कमी होगी और हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत हद तक सफल हो सकेंगे।

आज अखबार में एक खबर देख कर मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि ५ लाख रुपया कौंसिल हाउस के डेकोरेशन पर व्यय किया जायगा। प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान के गरीब आदमियों की तनख्वाह कैसे बढ़ायी जाय? प्रश्न यह है कि किस तरह से लोगों की आर्थिक दशा को सुधारा जाय? मैं यह कहता हूं कि डेकोरेशन की आवश्यकता है लेकिन उसको पोस्पोन कर सकते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् तक। तब तक हम देश की आर्थिक अवस्था को कुछ सुधार सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं इस पर भी तभी विचार किया जाय।

चारों तरफ से यह अपील की जाती है कि मंत्री महोदय अपनी तनख्वाहों में कमी करें। बहुत कुछ उन्होंने की है। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ वही अपील क्या हमारे कर्मचारियों के कानों तक नहीं पहुंचती जो तीन-तीन हजार वेतन प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनके हृदय में दया नहीं? क्या वह इसमें सहयोग नहीं दे सकते कि प्रदेश में एकानामी हो? क्या वह यह नहीं सोचते कि इस देश में किसी भी आदमी को इससे अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये जो इस देश के लिये एक भार बन सके। मैं उन अपने

सरकारी कर्मचारियों से यह नम्र निवेदन करूंगा, और मुनासिब भी समझता हूं ऐसा कहना कि वे भी स्वतः अपने वेतनों में १० प्रतिशत अथवा उससे अधिक कटौती कर एक आदर्श देश के सामने प्रस्तुत करेंगे कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। हम अपने देश की आर्थिक दशा को कहां तक ले जाने में समर्थ हुये हैं ?

माननीय सदस्यों से भी मैं एक अपील करना चाहता हूं और वह इस रोशनी में कि हम सुबह ११ बजे से शाम के ५ बजे तक बैठते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर दोनों साइड के हमारे माननीय सदस्य और हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें कि बजाय ११ बजे के हम १० बजे से बैठना प्रारम्भ करें। कुछ हमारा समय प्रश्नोत्तर में बढ़ सकेगा और कुछ हम अपने विधान सभा के कार्य को भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे क्योंकि चारों तरफ से जहां ग्रो मोर फूड का प्रश्न है वहां फूड अगर हम अपने खेतों में पैदा करेंगे तो इस असेम्बली फ्लोर पर भी हमें ज्यादा पैदा करने की आवश्यकता है। और वह भी हम ज्यादा पैदा करें कम खर्च में यानी एक घंटा रोजाना हम और अधिक दें। जब कि हमारे सेक्रेटेरिएट में कर्मचारी १० से ५ तक रहते हैं तो हमसे भी अगर यही एक्सपेक्ट किया जाय और यही एक्सपेक्ट किया भी जाना चाहिये और जिस तरह से कि पार्लियामेंट में ११ बजे से शाम के ५ बजे तक नान स्टाप कार्यवाही चलती है उसी तरह से मैं यह भी सुझाव रखना चाहता हूं कि १० बज से ५ बजे तक नान स्टाप हमारा सेशन चले। उसमें बीच का जो पीरियड है दो तीन घंटे का उस पीरियड में हम किसी प्रकार से भी कोई कोरम का प्रश्न न रखें और उसमें वोटिंग और डिवीजन का प्रश्न भी पैदा न हो जिस तरह कि पार्लियामेंट में होता है। यह सारी बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमको विचार करना चाहिये। साथ ही साथ हमें अंग्रेजों के उस सबक को भी छोड़ना है जो उसने सैटरडे और सन्डे की छुट्टी कर रखी है। जब हम अपने कर्मचारियों से चाहते हैं कि वह सैटरडे तक काम करें और हमने सैटरडे के लिये आधे दिन की उनकी छुट्टी की है तो मैं एक यह सुझाव हाउस के सामने भी प्रस्तुत करना मुनासिब समझता हूं कि हम फ्राई डे को जो कि नान आफिशल डे है गवर्नमेंट डे माने जिससे हमारे काम में और भी वृद्धि हो और खर्च कम हो और सैटरडे को हम नान आफिसल डे बना दें। यह मेरे चन्द सुझाव हैं जिनके ऊपर मैं दरख्वास्त करता हूं कि गौर किया जाय।

एक बात और भी कह देना मुनासिब समझता हूं कि जिस समय हमारे यहां जिलों में कोई मीटिंग होती है और अगर जिलाधीश का प्रोग्राम होता है तो जिलाधीश साहब अलग जाते हैं, ए०डी०एम० साहब अलग जाते हैं, डी०पी०ओ०, तहसीलदार, हरिजन सहायक आफिसर, सारे के सारे अफसर वहां मौजूद होते हैं। कलेक्टर साहब ने या किसी और ने एकाध भाषण दिया और मीटिंग समाप्त हो गई और सारे के सारे आफिसर वापस आ गये। तो यह तो उनका टी०ए० बनाने का काम हो गया। इसलिये हमें चहुमुखी एकानामी करने की ओर ध्यान देना चाहिये। इसमें कुछ हमारा पार्ट है जो हमें प्ले करना है, कुछ हमारे कर्मचारियों का पार्ट है जो उन्हें प्ले करना है, कुछ हमारे जिले के अफसरान का पार्ट है जो उन्हें प्ले करना है, कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफिशियेन्सी लाने और करप्शन को समाप्त करने का जो हमारे माननीय मंत्रियों का पार्ट है वह उन्हें प्ले करना है जिससे कि जनता का विश्वास उनमें दिन पर दिन बढ़ता चला जाय और हम तरक्की कर सकें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो खड़ा हुआ हूं माननीय यादव जी ने जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये। मैं श्रीमन्, ऐडमिनिस्ट्रेशन को एक ही कसौटी पर कसकर देखना चाहता था और वह आपके सामने भी और माननीय सदन के सामन भी रखूंगा। किसी देश के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रशन एफिशियन्ट होना चाहिये, रस्पांसिव होना चाहिये और उसका

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

आउटपुट जिस मात्रा में उसके पीछे धन और जन लगे उस मात्रा से अधिक होना चाहिये। परन्तु श्रीमन्, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि जहां तक आउटपुट का प्रश्न है वह घटता जा रहा है। मैं एक उदाहरण श्रीमन्, आपको दूंगा। अभी मैंने देखा कि जौनपुर म्युनिसपैलिटी के चेयरमैन के पास एक परिपत्र सेक्रेटेरिएट के विभाग से गया है जिसमें म्युनिसिपैलिटी में विशेष प्रकार के कौन कौन कर्मचारी रखे जाने है उनके रखने के लिये क्वालीफिकेशन इत्यादि का वर्णन है। उसमें श्रीमन्, एक लाइन लिखी है कि १५ अप्रैल तक चेयरमैन महोदय का इसके ऊपर जो भी विचार हो, जो टिप्पणी हो वह पहुंच जाय। लेकिन श्रीमन्, १५ अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया तब यह परिपत्र पहुंच रहा है। क्या यह एफिशियेंट आउटपुट कहा जायगा? यह तो जैसे मसल मशहूर है "घोंघे की चाल" उससे भी उसकी चाल धीमी हो गयी। तो श्रीमन्, यह एफिशियेंट आउटपुट नहीं कहा जायगा।

मैं बजट में देखता हूं कि सेक्रेटरीज, एडीशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज इत्यादि भगवान जाने कितने सेक्रेटरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। एक कहावत है कि एक बारात गयी। जब द्वार पूजा होने लगी तो समधी ने कहा कि इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने रिक्शे और इक्के हैं। पर बारात को बैठने का स्थान भी नहीं मिला। तो इतने सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है? तो कहना पड़ेगा कि काम कुछ भी नहीं हो रहा है। श्रीमन्, ब्यूरोक्रेसी का यह एक बड़ा लक्षण है कि वह बढ़ती ही जाती है। जिस प्रकार से तालाब में मछलियां स्पान करती हैं, वैसे ही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में वेस्टेड इंटरेस्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। कहा जाता है कि "काम बहुत है, काम बहुत है" लेकिन काम कुछ नहीं है। यह जो ब्यूरोक्रेटिक रूप आज एडमिनिस्ट्रेशन का हो रहा है यह स्वतंत्र देश के लिये एक "रेड सिगनल" है। इस रेड सिगनल को देखकर उसको कंट्रोल करने की दृष्टि से, चेक करने की दृष्टि से यदि प्रयास नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा जबकि इस देश में फ्रांस की तरह जो १७८५ और १७८२ में Ancian रेजीम के विरुद्ध राज्यक्रांति हुई थी उसकी आवृत्ति यहां दुहराई जाय।

जहांतक श्रीमन्, रेस्पांसिवनेस का प्रश्न है आज किसी किस्म के लोगों की कम्पलेंट्स हों, ६-६ महीने, साल-साल भर हो जाता है और कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई प्रश्न हल नहीं होता। जब किसी को परेशानी होती है तो स्वयं आता है, लेकिन भगवान जाने किस किनारे वह दबा रहता है कि कुछ पता नहीं चलता। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों के दिलों में यह भावना होती है कि आज हमारा कोई बचाने वाला नहीं है, हमारे प्रश्नों को हल करने वाला नहीं है। आखिर आदमी कितनी पेशेंस रख सकता है और इन्तजार कर सकता है कि अब मेरा उत्तर आयेगा। ४ महीने, ६ महीने बैठ सकता है, उसके बाद पेशेंस का समय साधारण मनुष्य का समाप्त हो जाता है। तो आज जो ऐडमिनिस्ट्रेशन में आदमियों की बढ़ोत्तरी हो रही है और ऐडमिनिस्ट्रेशन टॉप हैवी होता जा रहा है, ऊपर बढ़ोत्तरी हो रही है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सिविल लिस्ट को मैंने देखा तो अचम्भे में रह गया। जो अफसर ८-१० वर्ष पहले १,६०० और १,७०० पाते थे, जिस समय अंग्रेज गये और उन्होंने जब स्थान प्राप्त किये तो उनको ३-३ हजार मिलने लगा। यह श्रीमन्, आश्चर्यजनक है। या तो स्थान बढ़ सकता है या वेतन बढ़ सकता है, दोनों नहीं बढ़ा करते। अंग्रेजी की कहावत है कि "ए मैन हैड हिज केक ऐंड आलसो ईट इट" केक भी ली और खाया भी। तो आज ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर खर्चा भी बढ़ता जा रहा है और रेस्पांसिवनेस का जो मापदण्ड हुआ करता है उसमें भी भारी कमी आ रही है। चारों ओर जो हल्ला मचा हुआ है भ्रष्टाचार का, मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि जिस प्रकार स मानव भावना लोगों की भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ी हुई है उतना भ्रष्टाचार न हो, लेकिन

जबकि लखनऊ नगर में जब बड़े-बड़े अधिकारियों के बारे में स्पष्ट रूप से विधान परिषद और विधान सभा भवन में कहा जाय तो यह आश्चर्यजनक घटना है कि उसके बारे में जांच कुछ नहीं की जाती।

इसके पश्चात् मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो सेक्रेटरीज के मकानों का झंझट लखनऊ में चल रहा है, जिसके बारे में कई बार दोनों सदनों में कहा गया है, उसके बारे में जांच होने की आवश्यता है कि आखिर वास्तविकता क्या है और मैं तो कहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उसकी जांच के लिये इसी सदन को और विधान परिषद की सदस्यों की एक कमटी बनाकर इंक्वायरी करायें कि आखिर बात क्या है। अगर मान लिया जाय कि मकान बनाने की घटना के पीछे जो बात कही जाती है वह सत्य है तो श्रीमन्, जो छोट आदमी दो चार रुपये पाने वाले हैं, वह यदि ऐसा करें तो उनको आप जेल में बिठा देते हैं, उनके खिलाफ एंटी करप्शन बिठा देते हैं लेकिन जब बड़े आदमी उन्मत्त होकर कोई गलत काम करें और उनको कोई दण्ड न दिया जाय तो जो छोटे-छोटे गरीब आदमी हैं उनके दिलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रीमन्, मैं कहूंगा कि बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्रीमन्, मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार के रोकने की परम आवश्यकता है। यदि इसमें टॉप पर कुछ गड़बड़ी हो तो उनको उचित दंड दिया जाना चाहिये और उस चीज को पब्लिक के सामने लाना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इधर ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी चीज हाउस बिल्डिंग लोन्स के संबंध में है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि लोगों को लोन (loan) मिलना चाहिये लेकिन सवाल देखने का यह है कि किस को मिलना चाहिये? मकान की आवश्यकता छोटे कर्मचारियों को है और बड़े कर्मचारियों को भी है। लेकिन हम रोजमर्रा देखते हैं कि छोटे कर्मचारियों की दरख्वास्तों में एक न एक अड़ंगा लगाकर पड़ी रहती हैं लेकिन बड़े कर्मचारियों के लिये कागज विद्युत गति से दौड़ता है। हनुमान जी की गति मनोज मानी जाती थी। उसी तरह से इन लोगों की गति भी मनोज की तरह से होती है और उसी गति से इनके कागजात दौड़ते हैं। श्रीमन्, इसी तरह की चीजें अगर होती रहीं और छोटे आदमी विचार करने लगें कि शासन हमारी सुविधाओं को देखता नहीं है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता नहीं है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धीमी गति से चलता है, जो ऊंचे अधिकारी शासन केंद्र के निकट हैं, उनके लिये ज्यादा सुविधायें हैं, तो उनके मन में दुर्भावना का निर्माण होगा। आज उसी का परिणाम हो रहा है कि कितनी ही अच्छी योजनायें हों लेकिन जो उसके चलाने वाले फील्ड वरकर्स हैं, छोटे अधिकारी हैं, उनके दिल में उन योजनाओं को सफल बनाने के लिये उल्लास और आत्मीयता नहीं रहती है। इसी कारण हमारी अच्छी से अच्छी योजना भी सफल नहीं हो पाती और इसका परिणाम फ्रस्ट्रेशन के रूप में हमारे सामने खड़ा हो रहा है।

(इस समय ३ बजकर २३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, आज आवश्यकता इस बात की है कि शासन एक दृष्टि से सब कर्मचारियों की आवश्यकता और सुविधा के बारे में देखें। उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। खाली यह कहकर कि हमने छोटे लोगों के वेतन में पांच रुपये बढ़ा दिये, से काम नहीं चल सकता। वैसे आपने उनका वेतन बढ़ाकर बड़ा अच्छा काम किया। आवश्यकता तो आज यह थी कि उनका वेतन १०० रुपये से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिये था उसकी तरफ आपने एक कदम उठाया है और अच्छा उठाया है। लेकिन अगर इसी तरह से चार-चार पांच-पांच रुपये बढ़ाकर बढ़ते रहेंगे तो उन लोगों की समस्याओं को कब तक

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

पूरी कर पायेंगे। क्यों न तीव्र गति से उनकी समस्याओं को हल करनेका प्रयत्न करते हैं। जिनको ३०० रुपये एलाउन्स मिलता है और इतना ज्यादा वेतन भी मिलता है तो उसको कम करके क्यों न गरीब लोगों का वेतन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हिसाब लगाने पर भले ही वह चार आने पड़ता हो। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर उनके उत्थान की ओर कदम बढ़ता है तो यह ज्यादा मूल्यवान है बनिस्बत ४-५ रुपये बढ़ाने के।

श्रीमन्, इसी तरह से हम देखते हैं कि जहां तक कर्मचारियों के उपचार का प्रश्न है उसमें भी भेद खड़ा कर दिया गया है। आप इस बात को विचार करके देखें कि तीन हजार रुपये पाने वाले अधिकारी को भी औषधि मुफ्त मिलती है और २५ रुपये पानेवाले छोटे कर्मचारी को भी औषधि मुफ्त मिलती है। लेकिन यदि व्यवहार में देखा जाय तो यह है कि अगर कोई सेक्रेटरी अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो उनके साथ सारे डाक्टर्स लग जाते हैं और यदि कोई क्लार्क या चपरासी जाता है तो उनका कोई पुरसाहाल नहीं होता। श्रीमन्, मैं एक उदाहरण देता हूं जो मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं रोगी होकर अस्पताल नहीं गया, बल्कि एक मित्र से मिलने गया था। उस समय श्रीमन्, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी के पांच वर्ण हो गये हैं। एक बड़े साहब वहां आये। उनका वहां आना क्या हुआ मानों अस्पताल में एक नवीन जीवन आ गया। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। मानो एक विद्युत् लगी हुई है। कोई मक्खी मारने वाले को लेकर जिसे स्वाट कहते हैं, मक्खी मार रहा है। उसी समय डाक्टर लोग यस सर, नो सर कहते हुये आये और फौरन प्रेसक्रिप्शन लिखकर दवा दे दी गई। उनकी दवा लिख कर फौरन पर्चा दिया और बड़े साहब अपने घर चले गये। उसी समय किसी दफ्तर का बेचारा एक क्लर्क भी बैठा था। जब वह डाक्टर के पास गया तो उन्होंने उसको ऐसी झिड़कियां सुनायीं कि मानो वह कोई मक्कार हो या अंग्रेजी में जिसे लेपर कहते हैं वह उनके पास आया हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। रोग तो बड़े साहब को भी होता है और छोटे बाबू को भी होता है परन्तु रोग के अन्दर भी यह भिन्नता। उस भिन्नता का कारण यह है कि प्रोमोशन की भावना है उनके दिल में, बड़े साहब को ज्यादा एफिशियेन्सी दिखलायें तो सम्भव है कि प्रोमोशन जल्दी हो जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री को इस सम्बन्ध में एक ही सुझाव निवेदन के साथ दूंगा कि ये जितने बड़े साहब लोग हैं और छोटे साहब लोग हैं उनकी औषधि फ्री होने की कोई आवश्यकता नहीं है। औषधि २०० रुपये तक के जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिये फ्री हो और २०० रुपये से ऊपर ५०० रुपये तक के जो कर्मचारी हैं उनसे २५ परसेंट कांट्रीब्यूशन लिया जाय और बाकी ७५ परसेंट सरकार बर्दाश्त करे। उसस ऊपर क लोगों को यों ही इतनी तनख्वाह मिलती है कि गवर्नमट कांट्रीब्यूशन की कोई जरुरत नहीं है।

श्रीमन्, ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ एक और गुण होना चाहिये कि उसमें बराबर नवीन विचार और नवीन जोश का फ्लो (flow) होना चाहिये। इसीलिये मैं समझता हूं कि रिटायरमेंट एज (retirement age) जो ५५ वर्ष रखी गयी थी उस तक पहुंचते-पहुंचते मनुष्य की कुछ धारणायें बन जाती हैं, उसकी एक सीमा बन जाती है, उसका एक दृष्टिकोण बन जाता है और इसी कारण ५५ वर्ष की अवस्था में रिटायर कर देना आवश्यक है। परन्तु हो सकता है कि आज इस उठते हुये देश के लिये कोई खास टेक्निकल परसोनेल का अगर प्रश्न उठता है तो उनको एक्सटेन्शन दिया जा सकता है। परन्तु इस राज्य के अन्दर रिटायरमेंट एज सब के लिये ५५ से बढ़ा कर ५८ वर्ष कर दी गयी है। इसका एक परिणाम यही होगा कि जो पुराने ढांचे में पला हुआ परसोनेल है वही बना रहेगा और शासन के अन्दर नवीन उत्साह नहीं आने पायेगा। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि आज हमारे राज्य के अन्दर स्वास्थ्य की ऐसी अच्छी व्यवस्था हुई है कि लोगों की एवरेज एज बढ़ गयी है। यह सही है कि एवरेज एज बढ़ी है परन्तु जो आज ५५ पर पहुंचे हैं उनकी

क्या एवरेज एज बढ़ी है ? उनके स्वास्थ्य का फारमेशन तो आज से ३०–४० वर्ष पहले हो चुका है। एवरेज एज तो उनकी बढ़ी है जो आज सर्विसेज में आ रहे हैं। अब देर में विवाह होता है यह भी सही है। परन्तु जो ४० वर्ष पहले के बैठे हुये हैं उनका विवाह तो १५–१६ वर्ष की अवस्था में ही हो चुका था। यह तर्क तो जो आज २०–२१ वर्ष में व्याह करके आ रहे हैं उनके लिए ठीक है। इसलिये यह ५८ वर्ष वाली बात अगर ३० वर्ष बाद आती तो ठीक होता। आज इसका सवाल पैदा नहीं होता। इसलिये इस प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी फिर से विचार करें क्योंकि जो आज ५५ पर पहुंच गये हैं उनको कोई उत्साह नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके आगे तो बार लगा हुआ है। टेक्निकल परसोनेल के लिये जरूर कहा जा सकता है लेकिन मैं तो देखता हूं कि हाई कोर्ट में एक रीडर ५५ पर रिटायर होने वाले थे लेकिन ५८ वाले कानून से उनका भी रिटायरमेंट खत्म हो गया। आखिर उस पद के लिये कौन सी विशेष टेक्निकल नालेज की आवश्यकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त हो गया।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को अनुदान संख्या १२ और १३ के लिये बधाई देने को खड़ी हुई हूं। श्रीमन्, गत वर्षों में प्रदेश के अन्दर जो विषम परिस्थितियां पैदा हुईं और प्रशासन को जो भारी भार उठाना पड़ा है वह सर्वविदित है। प्रदेश में अभी अंगविच्छेद के घाव नहीं भर पाये हैं और उसके परिणाम आज भी प्रदेश के अन्दर आम चुनावों के समय दिखलाई पड़े थे। युद्धोत्तर विश्व के अन्दर नैतिक पतन, अराजकता की प्रवृत्ति, उच्छृंखलता, इर्ष्या, द्वेष, परस्पर क्लेश आदि जो आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं उनका प्रभाव हमारे प्रदेश पर भी पड़ा है और हमारा प्रशासन उससे अछूता नहीं रह सका होगा। अराजकता की प्रवृत्ति, बढ़ती हुई जनसंख्या, सार्वजनिक जीवन में नैतिक विधि-विधान का अभाव, दैवी आपत्तियां आदि सब मिल कर हमारे प्रशासन के लिये एक विचित्र पहेली सी बन गई हैं। प्रतिदिन हड़तालों की धमकियां, मांगों के प्रदर्शन, गो स्लो टैक्टिक्स, तथाकथित सत्याग्रह भी प्रदेश के लिये सर-दर्द हैं। हमारे आधुनिक जीवन स्तर की कल्पना ने हमारी आर्थिक व्यवस्था को दबा लिया है। समाज के किसी भी अंग में देखिये तो सर्वत्र असंतोष दिखलाई पड़ता है। इसके लिये कुछ व्यक्तियों को दोषी ठहराना समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा। रोग के चिन्हों को मिटा देना रोग का समूल उन्मूलन नहीं, इन सब का कारण तो गहरा व impersonal है। उन सब कारणों को ढूंढ़ निकाल कर समाज में आमूल परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जिन परिस्थितियों में हमारे प्रशासन ने सुरक्षा और शान्ति की व्यवस्था की थी वह प्रशंसनीय और संतोष की बात है। लेकिन सर्वथा आत्मसंतोष घातक भी सिद्ध हो सकता है। हमें प्रशासन को समाजवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुकूल भी बनाना चाहिये ब्रिटिश-कालीन पुलिस स्टेट के आदर्शों और चरित्रों की संगति हमारे समाजवादी और कल्याणकारी लक्ष्य के साथ नहीं बैठ पाती है।

अब मैं प्रस्तुत बजट के प्रति कुछ कहने की धृष्टता करूंगी। मेरे पूर्व प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र वर्मा ने राज्यपाल महोदय के ऊपर होने वाले व्यय की तरफ संकेत किया है। प्रस्तुत बजट में ५,३५,८०० रुपये का व्यय उन पर रखा गया है। उनके कार्यालय के लिये १,५०,००० रुपये और उनके भत्ते के लिये १,२५,००० रुपये का व्यय रखा गया है। मेरी तुच्छ बुद्धि में यह आधा किया जा सकता है। हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबिले गरीबी में तीसरा नम्बर रखता है। मैं राज्यपाल महोदय से अप्रत्यक्ष रूप से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे प्रदेश की भखी नंगी जनता को देख कर और दरख्तों के नीचे रहने वाले, बरसात, सरदी और गर्मी

[कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री]

में तड़पने वाले बच्चों का ध्यान करते हुये और बापू के उस संदेश और प्रतिज्ञा को याद करते हुये कि नंगों को देखकर उन्होंने अपने तन पर वस्त्र भी धारण करना छोड़ दिया था, उनका अनुशरण करें और मुझे पूर्ण आशा है कि अपने वेतन में से ५० प्रतिशत कटौती कर देना उनके लिये कोई बहुत बड़ी बात न होगी ।

श्रीमन्, हमारी सरकार ने प्रस्तुत बजट में १५,००,००० रुपये की बचत करके एक प्रशंसनीय कदम उठाया है, परन्तु श्रीमन् हमारे सचिवालय में डेवलपमेंट कमिश्नर, रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर, लोकल सेल्फ कमिश्नर, आदि ४ कमिश्नरों की नियुक्तियां हमारे बजट पर भारी बोझ प्रतीत होती हैं । श्रीमन्, हमारे प्रस्तुत बजट में कमिश्नरों के लिये ११,८१,७०० रुपये का व्यय रखा गया है । श्रीमन्, मेरी तुच्छ बुद्धि में ये पुराने आई० सी० एस० आदि सरकार और जिला प्रशासन के बीच लेटर बक्स का काम करते हैं, इस (redirection) से हमारे कार्य में और देरी होती है । अतः श्रीमन्, मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि उनको ३,००० के हिसाब से ३,५०,००० रु० घर बैठे दे दिया जाय और शेष बचत समाज कल्याणकारी कार्यों के लिये लगा दिया जाय ।

श्रीमन्, अनुशासन कार्यवाही जांच समिति ने, जो माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पन्त की अध्यक्षता में हुई थी, अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ४९ पर सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं । उनमें से एक निम्नलिखित सिफारिश है:

"मद्य निषेध, सब नागरिकों के प्रति समानता का बर्ताव, नागरिक सुविधाओं का दुरुपयोग या सावधानता पूर्ण उपयोग न करने तथा जाति-पांति में धार्मिक भेद-भाव न रखने के लिये उपबंध बढ़ा दिये जायं ।"

श्रीमन्, मद्य निषेध हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक मुख्य अंग रहा है जिसके लिये हमारी हजारों माताओं की गोदें सूनी हुई, बहनों का सुहाग सिन्दूर पुछे और बढ़ते हुए बाल-कुसुम कुम्हलाये और हजारों नौजवानों की खिलती हुई जवानी जेल के सीकचों के अन्दर कुम्हला गई । मद्यनिषेध हमारे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी के अन्दर भी आता है । क्या बापू के स्वतंत्र भारत के रामराज्य के स्वप्न का यही स्वरूप था कि उनके अनुयायियों की सरकार की छत्रछाया में सचिवालय के कर्णधार उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे । श्रीमन्, संभव है कि बापू ने ऐसा प्रतिपादन करके भूल की हो तो मैं जानना चाहती हूं कि यह मद्यनिषेध की नीति का आडंबर किस लिये है ?

श्रीमन्, मैं अंत में सरकार से निवेदन करूंगी कि आये दिन हमारी बहुत सी सुविधायें, जिन्हें हमारे दोनों पक्ष के भाई भिन्न-भिन्न रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं, सरकार के सामने विचार के लिये आती हैं । मैंने भी कुछ असुविधाओं का गहराई से महसूस किया । संभवतः वह मेरे किसी कथन में अन्यथा मानी गई हों और उनको अभारतीयता का रूप भी दिया जा चुका हो, लेकिन मैं कहूंगी कि इसी सचिवालय के कर्णधार अनेक भूलें करते हैं और जिले के प्रशासन अधिकारी और जिले के अन्य अधिकारी इतनी धृष्टतायें करते हैं कि हमारी बहिनों की और छोटी-छोटी उम्रवाली बच्चियों की लज्जा अपहरण में भी नहीं सकुचाते । मैंने इस किस्म की बहिनों को आई० जी० के सम्मुख प्रस्तुत किया था । मुझे तो ज्ञान नहीं है, यदि ज्ञान होगा तो उन्हीं को होगा कि उनकी दुर्घटनाओं के विषय में क्या हुआ है । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि जो यहां पर इस किस्म की बातें आती हैं उनके पीछे कुछ लोगों के हृदय में असहनीय घाव व वेदनायें होती हैं और उनको किसी तरह से अन्यथा मानकर हमारे मन में थोड़ी सी ठेस पहुंचाई जाती है । मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगी कि आज हमारे विरोधी पक्ष में भी कुछ नवयुवक भाई हैं और उनकी कुछ भावनाऐं हैं, उन नवयुवकों की उन भावनाओं को अन्यथा न माना जाय ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगी कि प्रशासन के अन्दर कम खर्चे की ओर ध्यान दिया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं और अपनी बात को माननीय बापू के निम्न कथन से समाप्त करती हूं कि :

"The rule of others without the rule of oneself is as deceptive as a painted toy mango, charming to look at but empty and hollow from within."

*श्री त्रिलोकीसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा के लिये अनुगृहीत हूं और बहुत जल्द ही बैठे-बैठे बोलते रहने की इजाजत से फायदा न उठाने का प्रयत्न करूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने विरोधी दल को और विरोधी दल के नेता को किस प्रकार से इस आदरणीय सदन में कार्य करना चाहिये इस ओर कुछ संकेत किया। यह हमारी खुशकिस्मती है और मैं अपनी खुशकिस्मती खास तौर पर समझता हूं कि १५ दिन के विवाद के बाद किसी भी माननीय मन्त्री ने यह मुनासिब समझा कि जो शंका या जो प्रश्न मैंने इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित किये उसके बारे में वह कुछ चर्चा करें। मेरा आज भ्रम दूर हो गया। मैं समझता था कि बातें इतनी थोथी थीं और इतनी जरूरी नहीं थीं कि माननीय मन्त्री उसका नोटिस तक लें। इसलिये मैं विशेष अनुगृहीत हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रियों के वेतन या उनको जो सहूलियत हासिल है उसका हवाला मैंने क्यों आम वाद-विवाद में दिया था। माननीय सदस्यों को याद होगा कि वित्त मन्त्री महोदय ने जिस समय बजट पेश किया था तो उसमें इसका उल्लेख किया कि १०० रुपया माहवार मन्त्रियों ने स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती कर दी है और यह दुर्वेज्ञाना तौर पर फूलपत्ती के तौर पर पेश करते हैं। मुझे नहीं मालूम और न मैंने इस निगाह से किसी बजट स्पीच को पढ़ा कि कोई मन्त्री यदि अपनी स्वेच्छा से कोई कटौती करे तो उसका उल्लेख बजट पेश करते समय हो। विशेषकर श्रीमन्, जबकि १०८ करोड़ रुपये का बजट हो और इस कटौती से .०००१ परसेन्ट का भी अन्तर न पड़ता हो। अगर यह होता कि १ या आध करोड़ का अन्तर हो जाता तो हमें खुशी होती। लेकिन १०-२० हजार रुपये के हेर-फेर से १०८ करोड़ रुपये के बजट पर क्या असर पड़ेगा? यह बात मुझे कुछ जंची नहीं। जब मंत्रियों का पहला कानून पास हुआ था तो मैं भी मौजूद था। ऐसी बात कभी नहीं कही गयी जैसी अबकी बार बजट स्पीच में दुर्वेज्ञाना तौर पर कही गयी। मैंने यह भी देखा कि जितनी तनख्वाह है उतना ही एलाउंस पर है। १ लाख ४९ हजार रुपया ऐसा है और १ लाख ५० हजार मोटरों पर है। मकानों की कैफियत आप जानते हैं। मुझे अफसोस होता है कि महात्मा जी का जिक्र करते हुये यह कहा गया कि जब २६ वर्ष उनके साथ रह कर हमने सादगी नहीं सीखी तो अब क्या सीखेंगे। महात्मा जी जिस आदर्श से रहते थे, जाने दीजिये महात्मा जी की बात, पंडित मदनमोहन मालवीय जिस तरह से रहते थे, वह वाइस-चांसलर थे, लाला लाजपत राय जिस प्रकार रहते थे, बाल गंगाधर तिलक जिस तरह से रहते थे, क्या कभी किसी के घर में ऊनी कालीन जमीन पर बिछा था? किसी के घर में २० हजार रुपये का फर्नीचर था? भारतवर्ष प्लेन लिविंग और हाई थिन्किन्ग के लिये मशहूर है।

मुझे याद है कि एक बार सब से पहले लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदर सर माइकिल कीन ने लखनऊ चारबाग स्टेशन पर पं० मोतीलाल जी नेहरू से पूछा था कि पंडित जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि प्लेन लिविन्ग और हाई थिन्किन्ग (Plain living and high thinking)। अंग्रेज ने कहा कि I still wish you think higher. Christ thought higher unless crucified. तो मैं इतना ऊंचा, तो आने मंत्रियों को नहीं देखना चाहता हूं मगर इतना जरूर देखना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

चाहता हूं कि किसी को उनकी ओर उंगली उठाने का मौका न हो 'Caesar's wife must be above suspicion'। विलायत में जब सन् २४ में पहली लेबर मिनिस्ट्री बनी तो एक मिनिस्टर साहेब ने तनख्वाह पाई और एक ऊंचे दर्जी की दूकान से कपड़े सिलाये और लाबी में आकर बैठे। एक दूसरा शख्स उन्हीं की लेबर पार्टी का कहने लगा कि यह सूट आपने कहां से टेलर कराया है। बस उस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी हैसियत के बाहर, जिस रहन-सहन के हम आदी थे, उससे बढ़कर हमने यह सूट सिलवा लिया है और उसकी नीयत पर जरा सन्देह हुआ, तो उसने इस्तीफा दे दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे वजीर इस नीयत के हों और इस तरह के स्टैंडर्ड का अनुसरण करें। १०० रुपये की कटौती दसवां, बीसवां या चालीसवां हिस्सा भी आकर नहीं बैठती है। मैंने हिसाब लगाकर बताया था कि ४,४०० रुपये से ज्यादा यू० पी० के एक मिनिस्टर पर प्रतिमास सर्फ होता है।

आज इस बजट में हम देखते हैं कि डिप्टी मिनिस्टर्स के मकानों को सजाने के लिये ९५,००० रुपये की रकम रखी गई है। मैं इस सादगी को क्या समझूं? मैं कोई शायर नहीं हूं वरना शेर कह देता। इस सादगी पर क्यों न मर जाये अमीर, आगे का उनसे वास्ता नहीं है क्यों कि उसका तलवार से वास्ता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेहमान आते हैं। इस आदरणीय सदन का स्थान लखनऊ शहर में है। मेहमान हमारी सिर आंखों पर हैं। भारत में अतिथि सत्कार पुकारा जाता है। स्वयं न खाकर अतिथि को खिलाना धर्म है। यह भी मालूम हुआ कि जो वेतन मिलता है उसमें मेहमानों की ठीक से खातिर नहीं हो पाती है। इस बजट में एक कोठी लखनऊ शहर में खरीदी जा रही है १ लाख ४० हजार रुपये की। गत वर्ष खरीदा गया है राजा जगन्नाथबख्श का मकान। मैंने मालूम करने की कोशिश की कि यह कोठी क्यों खरीदी गई है तो मालूम हुआ कि उसमें स्टेट गेस्ट हाउस बनेगा। मंत्री जी से मालूम हुआ कि वह मजबूर होंगे स्टेट गेस्ट हाउस खोलने के लिये। वह खरीदी गई है या लेनदेन हो रहा है और कम से कम गत वर्ष के रिवाइज्ड बजट में मौजूद है। उसका १०० रुपये की कटौती से कोई वास्ता नहीं है। मैं इसे बहुत बदकिस्मत समझता हूं कि मंत्रियों के वेतन का मुकाबला चपरासियों के वेतन से किया जाय। मैंने स्वयं तो कभी नहीं किया मगर मालूम हुआ है कि सन् ४७ में चपरासी का वेतन साढ़े दस रुपये था और मंत्री साहेब पाते थे ५०० रुपया। कास्ट आफ लिविन्ग का इन्डेक्स सन् ३९ का लिया जाता है। बीच का नहीं लिया जाता है। चपरासी के साढ़े १० रुपये से २२ रुपये हुये। मिनिस्टर साहेब के ५०० से बढ़ कर १,५०० हो गये। तीन गुने हो गये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आपकी इनायत से।

श्री त्रिलोकीसिंह—माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मेरी इनायत से। मैं चाहूंगा कि वह मेरी इनायत की ओर भी कभी-कभी देख लिया करें। अगर वह मेरी सलाह को मानेंगे तो उनके काम में सहूलियत होगी। गालिबन उनकी पार्टी की इज्जत बढ़ेगी और सूबे को भी फायदा होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी तनख्वाहों में तीन गुना इजाफा हुआ। यह सही है कि एक समय मुझे भी गौरव प्राप्त था कि माननीय मंत्री जी के दल में होते हुये उनके पीछे बैठता था। यह भी सही है कि मैं कभी जी हुजूरों में नहीं रहा। लेकिन यह भी सही है कि उस समय नया-नया जमाना था, नई हुकूमत थी, अल्हड़पन था। अंग्रेज जा रहे थे, हम आ रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह जानना चाहूंगा कि अल्हड़पन किस उम्र में शुरू होता है।

श्री त्रिलोकीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने अच्छा सवाल किया। लेकिन अल्हड़पन की कोई उम्र नहीं होती है। वह तो जैसी जिस समय मौज आवे। वह तो नया जमाना था। इसलिये वह काबिल माफी भी था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अल्हड़पन का मतलब उनका इमोशनल एज (उम्र) से है, फिजीकल एज (उम्र) से नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह--उन्होंने मेरी बात का सही तौर पर जिक्र कर दिया है। जाहिर बात है कि जहां तक फिजीकल मामला है, मैं और माननीय मुख्य मंत्री दोनों ही जैसे के तैसे हैं, और उसका कोई सवाल नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों या मंत्रियों के वेतन का चपरासी के वेतन से तुलना करना ठीक बात नहीं थी। आज माननीय मुख्य मंत्री के हाथ में सत्ता है। यदि वह कोई बिल लावें जिसमें सदस्यों या मंत्रियों की सहूलियत या वेतन कम करने का जिक्र होगा तो मुझे वह उसका सबसे पहला समर्थक पावेंगे। मैं श्रीमन् की आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इस ग्यारह सौ, बारह सौ की ही बात नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे मुल्क में ऐसा स्थान नहीं है जो गरम हों और लोग गरमी में वहीं रहते हों ? दिल्ली का तापमान यहां की हिद्दत से कहीं ज्यादा है लकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी हिल पर मूव नहीं करती। मैं नम्रतापूर्वक और बड़े दुख के साथ यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां हिल एक्सोडस ऐसा होता है कि राज्यपाल महोदय की ओथ टेकिंग सेरीमनी के लिये सारे अधिकारी एक दिन के लिये नैनीताल से यहां आते हैं और दूसरे दिन वापिस चले जाते हैं। आखिर यह इस प्रकार से करोड़ों रुपया जनता का क्यों फूंका जाता है ? जब आपका बजट डेफीसिट है, आप ज्यादा टैक्स लगा नहीं सकते हैं तो यह फिजूलखर्ची किस बात की ? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अब भी माननीय मंत्री महोदय अपने रहन-सहन में सादगी लायें। वेतन का जहां तक संबंध है उनको वेतन इतना ही न मिले कि वह अपना ही खर्चा चलायें बल्कि अपने बच्चों का भी गुजर-बसर कर सकें लेकिन यह दिखावे का जो खर्चा है वह खत्म होना चाहिये।

मैं बजट पर सामान्य विवाद के समय में जिला मजिस्ट्रेटों का जिक्र कर रहा था। मुझे अफसोस है कि किसी ने उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया। आज जो तरीका जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का हमारे सामने पेश किया गया है उसमें लिखा है कि मौजूदा सेक्रेटेरियट स्टाफ है वह रूढ़िवादी कायदे कानून की पाबन्दी करके चलता है। उसके संबंध में प्रगतिशील विचारों को स्वीकार किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों है ? वह एक मुकदमा नहीं करता लेकिन मेजिस्ट्रेट बना हुआ है। दुनियां भर के काम उसको दिये हुये हैं ? मेरा विचार है कि जितनी बड़ी बाधा यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस प्रांत की प्रगति में पहुंचाता है उतनी रुकावट और कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहा है। हर काम में उसके मशविरे की जरूरत होती है लेकिन उसके पास मशविरा देने के लिये समय नहीं है। जब हमारे हर विभाग के हेड्स मौजूद हैं, उच्च अधिकारी मौजूद हैं तो क्या बात है कि यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीच में आ जाता है ? कोई भी कोआर्डिनेशन के काम हों उनको करने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमेशा नाकामयाब रहा है और मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वह हमेशा नाकामयाब रहेगा। नेशनल एक्स्टेंशन स्कीम के सिलसिले में जो विशेषज्ञ बैठे, आप उनकी राय को देखने की कृपा करें, क्योंकि शायद आपको इधर के लोगों की राय को मानने में कोई कष्ट मालूम होता हो, आपको मालूम होगा कि उन्होंने लिखा है कि बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई सहायता पहुंचाई हो, उसने रुकावट ही डाली है।

सेक्रेटरियट के रिआर्गेनाइजेशन के संबंध में हमको एक साइक्लोस्टाइल्ड कागज मिला है। उससे मालूम होता है कि यहां पर आधे कर्मचारी अस्थायी हैं। यहां जो २ हजार के करीब बाबू लोग हैं उनमें से एक हजार अस्थायी हैं या ९०० होंगे। यह पूरी अल्हड़पन

[श्री त्रिलोकी सिंह]

की मिसाल है। यह तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जहां कहीं इतनी बड़ी तादाद में टैम्पोरेरी स्टाफ रहेगा वहां एफीशियेंसी गिरेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको स्थायी रूप से नियुक्त क्यों नहीं किया गया, इतने दिनों बाद भी उनको स्थायी क्यों नहीं किया गया ? इसी में नेपोटिज्म की बात आ जाती है कुछ अपनेपन को बात आ जाती है। किसी भी संस्था के काम में अच्छाई नहीं आ सकती जब तक कि वहां के कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में अस्थायी रहेंगे। इस प्रदेश की तो यह परंपरा ही रही है। सन् २१-२२ में यहां पब्लिक हेल्थ विभाग कायम हुआ। वहां पर काम करने वाले डिस्ट्रिक्ट मेडीकल आफिसर्स को १२-१४ वर्ष की मुलाजिमत हो जाने पर भी स्थायी नहीं किया गया। जब सरकार से कहा गया तो सरकार ने फौरन ही उनको परमानेंट कर दिया और कबूल किया कि यह चीज गलत थी। लेकिन इसी तरह से एक केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कायम है जिसके सारे अधिकारी गालिबन टेंपोरेरी हैं। यह बात अच्छी नहीं है। साथ ही यदि यह माना जाय कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के दफ्तर में यहां से कुछ क्लर्क चले जायेंगे या चीफ इंजीनियर इर्रीगेशन के दफ्तर में कुछ चले जायगे, तो ये वहां जाकर क्या काम करेंगे ? क्या माननीय मुख्य मंत्री यह समझते हैं कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन का दफ्तर अन्डर स्टाफ्ड है ? वहां पर कर्मचारियों की कमी है ? अगर वहां पर कर्मचारियों की कमी नहीं है तो ये २०,३० आदमी जो यहां से वहां भेजे जायंगे वे जाकर क्या काम करेंगे ? मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि हर आदमी का एक टेम्परामेंट होता है, एक एनवाइरनमेंट होता है, एक माहौल या वायुमंडल होता है। सेक्रेटेरियेट का असिस्टेंट जो १५ वर्ष से इस बात का आदी रहा है कि वह डिपार्टमेंटल हेड्स की बातों की नुक्ताचीनी करे, अगर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन कोई कागज उस के पास भेजे तो ऐसा न हो कि वह डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के कागज में ही कोई नोट लगा दे जिससे उसकी नौकरी पर हर्फ आ जायगी। क्योंकि वह ऐसे अपब्रोडिंग में रहा है, इस तरह का काम उसके सुपुर्द रहा है।

जहां तक दूसरे देशों का संबंध है, यह सभी को मालूम है और मैं अभी इंगलिस्तान की एक किताब को उलट-पलट कर देख रहा था, वहां कोई डिपार्टमेंटल हेड नहीं होता है। वहा सारा काम सेंट्रल सेक्रेटेरियट के द्वारा ही होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी जरा इस डुप्लीकेशन को देखें कि यहां सेक्रेटेरियट के सेक्रेटरी भी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंटल हेड्स भी होंगे। जो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे वे बड़े सीनियर आफिसर हैं। फिर आप क्यों इन सीनियर आफिसर्स को रिटेन करते हैं। सेक्रेटेरियट का सिलसिला इस तरह से है कि सेक्रेटरी भी हैं, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी भी है, अन्डर सेक्रेटरी भी, हैं इस तरह से तमाम ओहदेदार भी भरे पड़े हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिये जिस सरकार का काम कई हिस्से में विभाजित हो, जैसा कि यहां की सरकार का है, फाइनेन्स, इर्रीगेशन, पी०डब्लू०डी०, एजूकेशन वगैरह-वगैरह जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उनके सेक्रेटेरियट का स्टाफ जो होना चाहिये वह परमानेंट हो नहीं होना चाहिये बल्कि जो आदमी उसमें रहे, वह २५ या ३० साल तक यानी सारी मुलाजिमत की मुद्दत तक वह उसमें रहे। क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जब तक सेक्रेटेरियट वेल एविवप्ड नहीं होगा तब तक हमेशा इस बात का अन्देशा रहेगा कि कि वे भटक जायेंगे। इंगलिस्तान में जो पद्धति है वह यह है कि जहां सेक्रेटेरियट स्टाफ होता है वहां एक परमानेंट सेक्रेटरी भी होता है। वहां पर कोई डिपार्टमेंटल हेड नहीं होता है। डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ, डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर होता है, वहां डिपार्टमेंटल हेड कोई नहीं होता है परमानेंट सेक्रेटरी ही उसका सेक्रेटरी होता है। यह पद्धति जो अपनायी गयी है इससे जिस तेजी से काम होना चाहिये उस तेजी से काम होने वाला नहीं है बल्कि उससे सुस्ती ही आयेगी।

इस संबंध में एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह स्कीम जब अच्छी है तो क्यों तीन विभागों में ही इस पर अमल किया जा रहा है? आप इसको फैलाइये और कहिये कि पहले तीन विभाग में किया है, फिर ६ विभाग में करेंगे या साल भर के अन्दर या डेढ़ साल के अन्दर तमाम विभागों में इस स्कीम को लागू कर देंगे। बंगाल का जिक्र किया गया है। मालूम नहीं कि बंगाल ने कोई कमेटी एप्वाइन्ट की थी तो खुद उसने क्यों नहीं अमल किया? यह कहना कि वे इतने बेखबर थे कि जब हमने अपने यहां कार्य शुरू किया तब बंगाल के लोग इस तरफ विचार करने के लिये झपटे। मैं कम से कम बंगाल के लोगों को और लोगों से कम बुद्धिमान नहीं समझता कि जब तक आपने अपने यहां काम शुरू नहीं किया तब तक उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात पर पुनः विचार करने की कृपा करें।

जहां तक मंहगाई भत्ते का सम्बन्ध है, मेरे माननीय और लायक दोस्त श्री नारायणदत्त जी ने उस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच की तरफ ध्यान दिलाया, जिस हिस्से को मैं देख नहीं सका था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर तैयार थी कि १२ रुपये की बढ़ोत्तरी की जाय तो क्या कारण है कि प्रदेश की सरकार ५ ही रुपए पर कनात करना चाहती है? मैं तो उन लोगों में से हूं जो इस बात को मानते हैं कि जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वे बन्द कर दिये जायं और मैं नहीं चाहता कि दस आदमी और सरकारी नौकरियों में रखे जायं। मैं तो इस राय का हूं कि जो आज हमारे छोटे सरकारी कर्मचारी हैं उनको भर पेट खाना मिले और उनको इतने रुपए वेतन में मिलें जिससे वे जीवन निर्वाह की सुविधायें हासिल कर सकें। मैं आप के द्वारा श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की बड़ी आकांक्षायें और अभिलाषायें हैं और वह उनके कार्य से वाबस्ता हैं उनके अन्दाजने की जो यार्डस्टिक है वह वही है जो उन्होंने स्वयं बना रखा है। मैं नहीं चाहता कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या दूसरी पार्टियों की राय से उनके काम को नापा जाय, उनके मेजर से ही उनको लिविंग वेज देना बहुत लाजमी है और उनके जरूरी कर्त्तव्यों में से है। अब हमें देखना है कि उसकी पूर्ति किस तरह से होती है। अन्त में मैं श्रीमन् का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे साधारण समय से अधिक समय देकर भाषण करने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष––(श्री रामस्वरूप वर्मा से) अभी आपकी पार्टी के केवल एक सदस्य बोले हैं और उन्होंने २ मिनट ही लिये हैं इसलिये मैं आप को दस मिनट दिये देता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया ताकि मैं भी अपनी बात कह सकूं। सौभाग्य की बात है कि जिस अनुदान को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है और जैसा कि बजट की स्पीच में कहा गया था कि यह बजट सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी यानी समाजवादी प्रगति की ओर ले जाता है। मुझे बहुत खुशी थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं समाजवाद के अच्छे लेखक हैं और उनका वह दृष्टिकोण इन अनुदानों में प्रतिविम्बित होगा, लेकिन मुझे उससे निराशा हुई और इसीलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समाजवाद का दृष्टिकोण केवल वेतन कम करने से ही नहीं होता वह तो केवल उसका एक जरिया है, एक सामाजिक भावना की जरूरत है, लोगों में समता की भावना आये, वह जब तक नहीं आती तब तक इन वेतनों से तमाम गड़बड़ी होती है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की बातों से स्पष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि खर्च इतना अधिक है मेम्बरान के ऊपर या उनके मेहमानों और

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

रिश्तेदारों के ऊपर जिसके कारण इतने खर्च में काम करना कठिन है लेकिन फिर भी उसमें कटौती की गई। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि समाजवाद के सिद्धान्त के अनुसार क्या यह जरूरी नहीं है कि हमारा सबके लिये बराबरी का दृष्टिकोण हो? हमारे गरीब प्रदेश का साधारण आदमी किस तरह से रहता है, कैसे अपने मेहमानों की वह मेहमाननवाजी करता है, कैसे वह खाता पीता है और किस तरह से यहां के शासक खाते पीते हैं उसमें हमें एक समन्वय लाना आवश्यक है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट न कर के केवल इस समय की कठिनाइयों को ही देखा और उनमें अब भी ज्यादातर वही भाव भरे हैं जिनको ग्रेन्डयोर (grandeur) या विशेष प्रकार की मदहोशी कहना चाहिये, यानी शासन के ऊपर आकर उसी पुराने चले चलाये तरीके पर, उसी घिसे घिसाये तरीके पर कुछ मान्यताएं स्थापित करना और ऐसे रहना चाहिये आदि। इनमें इतना मेल है?

मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब अध्यापकों की हड़ताल चली तो उन दिनों उन्होंने कहा था कि अध्यापकों को हिन्दुस्तान के आदर्श के रूप में होना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि उनके प्राचीन अध्यापक जो थे, देश के जो शिक्षक थे वह कैसे थे? मुझे खुशी हुई थी और मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बारे में स्वयं सोचेंगे कि हमारे देश के अध्यापकों का जब आदर्श था तो देश के मंत्रियों का भी एक आदर्श था। मंत्रियों और अध्यापकों का आदर्श हमें एक साथ चाणक्य से मिलता है। एक विदेशी, एक आदमी, मंत्री से मिलने आया। उसने सारे पाटलिपुत्र में ढूंढ़ा लेकिन वह नहीं मिले तो उसने लोगों से पूछा कि मंत्री कहां रहते हैं। लोगों ने बताया कि वह गंगा के किनारे कुटिया में रहते हैं। उसने जा कर देखा कि समस्त भारत का महामन्त्री बच्चों को पढ़ा रहा था। उसे मालूम हुआ कि वह राज्य से कोई पैसा नहीं लेते हैं बल्कि बच्चों को पढ़ाने के परिश्रम से खाते पीते हैं। इसी प्रकार से उदाहरण इतिहास में है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस प्रकार का उदाहरण दूसरों को दें तो मैं समझता था कि इस बजट में, यद्यपि बहुत देर हो गयी है, उस पर पालन करेंगे। लेकिन बजट को देख कर दोनों ओर से निराशा हुई। चाहे प्राचीनता को लेकर, एक आदर्श बनाने की भावना को लेकर वह बातें रखते, चाहे नवीनता को लेकर समाजवाद स्थापित करने के लिए समता की भावना को लेकर चलते, दोनों के अन्दर यह बात होनी चाहिए थी कि चाहे महामहिम राज्यपाल हों या मंत्री लोग हों उनकी तनख्वाह मय भत्ते के एक हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। इस गरीब मुल्क के लिए एक और दस का फर्क, जैसा गांधी जी ने कहा था बहुत आवश्यक है, वह समता लाने के लिए, समाजवाद के लिए अपेक्षित है।

साथ ही साथ एक बात और कहनी है। वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस खर्च के कारण पैसा इकट्ठा नहीं होता। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव दूंगा कि जिनकी आमदनी इतनी नहीं कि भत्ता और तनख्वाह मिलाकर एक हजार हो जाय, सचमुच उस चाणक्य के आदर्श को लेकर समाजवादी व्यवस्था को लाने की कोशिश करें, समता की भावना को जागृत करें। तो इस के लिये यह भी जरूरी होगा कि अगर हमारी आमदनी, व्यापार द्वारा, रोजगार द्वारा या किसी अन्य साधन से होती है और एक हजार रुपये से ज्यादा होती है तो उसको एक पैसा तनख्वाह का नहीं लेना चाहिये, चाहे वह मंत्री हो या राज्यपाल क्योंकि देश सेवा का प्रश्न है। अगर वह आदर्श उपस्थित न करेंगे तो सामान्य प्रशासन में जो लोग लगे हुये हैं, जो उनका अनुकरण करते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? यह सोचने की बात है। इसलिये यह जो तनख्वाहों में १०० रुपये की कटौती की बात आयी मैं समझता हूं जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा इस कटौती का कोई महत्व नहीं और वह इस काबिल भी नहीं कि इसका इस सदन में जिक्र किया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सुझाव को स्वीकार करके जरूर इस सम्बन्ध में कहेंगे कि, वह जो आदर्श और समाजवादी व्यवस्था का

ढांचा बनाने की बात करते हैं, इन दोनों को लेकर वह इस सीमा पर आते हैं। इस बजट में वह तमाम खर्च जिन की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित कराया है उन को मैं दोहराना नहीं चाहता परन्तु उन खर्चों को देख कर ताज्जुब होता है। यह रियासत भी दो बड़े भागों में बंटी हुई है। अगर एक तरफ भीषण भुखमरी, दाने दाने को तरसने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ पूंजीभूत सम्पत्ति और खर्चों का आलम है। यह समाजवादी व्यवस्था नहीं हो सकती बल्कि मैं समझता हूं कि यह उस का निगेशन है। मैंने खर्चा कम करने की ओर ध्यान आकर्षित किया।

दूसरी बात मैं भत्ते के सम्बन्ध में कहूंगा। हमारे मंत्री महोदय खासतौर से सूचना के बाद जाते हैं। तमाम अफसरान इकट्ठा होते हैं। उन पर काफी खर्चा होता है। उनका और मंत्री जी का खर्चा मिला कर एक्सचेकर पर जो बड़ा भारी बोझ पड़ता है उसको देखकर आदमी हैरत में आ जाता है। इस देश के सभी लोग इस प्रकार के खर्चों को देख कर परेशान हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि कि आखिर रोज आदर्श की बात कहनेवाले, रोज समाजवादी व्यवस्था को कायम करने की बात कहने वाले यह सब लोग इस तरह से इतना खर्चा क्यों करते जा रहे हैं ? इसलिये मंत्री प्रतीक स्वरूप विक्रमादित्य की तरह काम कर, सरप्राइज विजिट कर और उद्घाटन वगैरह न किया करें, इस काम को तो यूनिवर्सिटीज के विद्वानों और अन्य प्रतिष्ठित आदमियों पर ही छोड़ दें तो अच्छा हो।

जहां तक जिले के प्रशासन का सवाल है उस में फजूल खर्ची भी बढ़ी है और आफिसर्स की वृद्धि भी हुई है लेकिन एफीशियेंसी कम हुई है। सन् १९४६ में ५२ जिलों के कलेक्टर व अतिरिक्त कलेक्टर, २६६ डिप्टी कलेक्टर थे, ११५ रेवेन्यू आफ़िसर्स थे। और अब ६४ कलेक्टर और एडीशनल कलेक्टर हैं, ४,४०९ डिप्टी कलेक्टर हैं, २३० जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं और साथ ही साथ उनके सेवक वगैरह भी अनुपात से बाहर बढ़े हैं। पहले २,१६१ कलर्क्स और एप्रेन्टिस थे अब ४,०६८ हैं। चपरासी वगैरह पहले १,१०० थे लेकिन अब ३,७१२ हैं। तो इस कदर दुगना, तिगुना खर्चा बढ़ गया है और ऐफ़ीशियेंसी कुछ नहीं है। कलेक्टर महोदय तो जिले का अनक्राउन्ड किंग हैं। पहले जमाने में तो ये लोग कचहरी किया करते थे लेकिन अब तो बैठे-बैठे बंगले पर मुलाकात किया करते हैं वैसे ही जैसे पहले कोई राजा काम करता था। डिप्टी कलेक्टरान शहर में रहते हैं। देहात के आदमी पैसा खर्च कर के मुकदमें लड़ने आते हैं तो उन का देहात के बारे में कुछ वाकफ़ियत नहीं है और न किसान ही आसानी से फ़ैसला पाते हैं, पैसा उन का काफी खर्च होता है।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन ठीक करना है और यही प्रशासन आपको चलाना है तो ऐफ़ीशियेन्सी लाने के लिये यह जरूरी है कि डिप्टी कलेक्टर को तहसीलों में पोस्ट किया जाय, जुडिशियरी अलग की जाय। और मुख्य मंत्री जी क्यों कि उस विचार के हैं जो समाजवादी विचारधारा लाना चाहते हैं तो उन से यह निवेदन करूंगा कि कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स की पोस्ट को खतम करके प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करें। जिला बोर्डों के चेयरमैन्स को जिले का प्रशासन चलाने अधिकार दें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा प्रशासन रहेगा। इसका मैं संक्षेप में एक ही प्रमाण दूंगा, वह इस को चाहे अभी तजुर्बा करके देखें कि इस सूबे में और दूसरे सूबों में भी खास तौर से कलेक्टर्स और मैजिस्ट्रेटस द्वारा जितनी बार जनता पर गोली चलवायी गई उतनी कभी किसी चुने हुये आदमी द्वारा नहीं। कभी किसी मिनिस्टर ने आदेश दिया गोली चलाने का ? लेकिन आयेदिन गोली चलायी जाती है मैजिस्ट्रेट साहब की जरा सी नाराजी पर। अगर चौखम्भा राज्य के सिद्धान्त को स्वीकार करके जिला बोर्ड्स के चेयरमैन को शासन अधिकार सौंप दें तो काफी अच्छा होगा।

तीसरी बात यह है कि इस शासन व्यवस्था के जो आफ़िसर्स हैं उनका आउटलुक भी बदलना चाहिये। आज हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वह चुनाव करने में भी कुछ सहूलियत से काम ले। ऐसे आदमियों को वह चुने जिन्हें जनता

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

के साथ हमदर्दी हो। मैं समझता हूं ऐसे आदमियों को जो खुद किसान हैं उन के बच्चों को तरजीह दी जाय तो उन के पास जब अधिकार आयेंगे तो उन में हमदर्दी होगी। जो दून कालेज या और इसी तरह के कालेज हैं उन में पढ़कर के अपने को शासक समझ करके शासन में पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों को शासन से हटा कर किसान के बच्चों को चुना जाय तो उन का आउटलुक बदलेगा, क्योंकि उनका स्वयं का जीवन बदला हुआ है और उन में ग्रैन्डयोर नहीं होगा उनमें कोई मदहोशी नहीं होगी जिस की वजह से वह जनता के दुख दर्द को न समझ वह उन के निकट के लोग होंगे और उन के दुख-सुख को अपने दुख-सुख की तरह समझ कर काम सकें। करेंगे। इस तरह से खर्चा भी कम हो जायगा और इतनी जो जोर जबर्दस्ती होती है, वह भी नहीं होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---मैं पहले तो उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने जो मैंने सवाल उठाये थे कि इस सरकार के ऊपर नौकरशाही का रंग है वह दिन पर दिन गाढ़ा होता जा रहा है, उस का समर्थन किया और जिस प्रकार से सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, उसका भी एक राय से पूरे सदन ने समर्थन किया।

मैं इस पांच मिनट के समय में थोड़े से सुझाव देना चाहूंगा। राज्यपाल के ऊपर जो बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है, मेरी निश्चित राय है कि हमारे प्रदेश से ही नहीं बल्कि हर प्रदेश से राज्यपाल का पद समाप्त होना चाहिये। हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रकार की सिफारिश करनी चाहिये कि राज्यपाल का पद समाप्त किया जाय। वह महज एक कांस्टीट्यूशनल हेड होता है। शोभा और मर्यादा के नाम पर जो इतना रुपया खर्च किया जा रहा है वह समाप्त हो।

दूसरी बात यह है कि बहुत पहले से हमारे कांस्टीट्यूशन की भी यही मंशा रही है कि दूसरा सदन जो बना हुआ है--विधान परिषद्, उसके सम्बन्ध में इस बात की व्यवस्था थी कि जो प्रदेश चाहें, वहां दूसरा सदन हो, जो न चाहे वहां न हो। तो अब तक का जो अनुभव है उसके आधार पर दूसरे सदन की कोई उपयुक्तता नहीं है। आश्चर्य की बात है कि हमारे प्रदेश में उसकी संख्या ५० प्रतिशत और बढ़ाने का विचार हो रहा है और सिफारिश भी गई है। अखबारों से मालूम हुआ है कि उसके लिए एक अलग भवन भी बनेगा जिस पर करीब ३० लाख रुपया खर्च होगा। सदस्य बढ़ेंगे, खर्चा और बढ़ेगा। यह मेरी निश्चित राय है और निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि यह दूसरा सदन जो है इसको समाप्त होना चाहिए।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इस सदन का फैसला है। मैं इस पर क्या गौर कर सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। यह इस सदन का अधिकार है कि वह जब चाहे दूसरे सदन को समाप्त कर दे।

श्री चन्द्रजीत यादव---हां, लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सदन के नेता हैं इसलिए मैं उनसे प्रर्थना कर रहा हूं कि वह इस पर गौर करें।

तीसरी बात, जो कमिश्नर्स का पद है, जैसा कि तमाम वक्ताओं ने भी कहा है कि यह पद जो बीच में है बिलकुल अनुपयुक्त है और दिन पर दिन इस की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसे समाप्त होना चाहिये।

चौथी बात, जो दस प्रतिशत कटौती की कही गई और स्वेच्छा से करने को कहा गया, यह स्वेच्छा की बात बिलकुल समझ में नहीं आती। यह कोई दया की बात नहीं है। निश्चित रूप से इस सदन में इस तरह का एक बिल आना चाहिये कि किसी भी मिनिस्टर की तनख्वाह ५०० रुपये से अधिक न हो। यह कोई हमारे प्रदेश पर दया की जा रही हो ऐसी बात नहीं है

पांचवी बात यह है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि रेड टेपिज्म जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और जिस गोशे पर नजर पड़ती है वहां यही दिखाई देता है उसे दूर करने की जरूरत है। मैं अपने आजमगढ़ जिले की एक मिसाल बताऊं। आजकल वहां भुखमरी है। एक गांव के चार आदमियों ने दरख्वास्त दी कि दो आदमी यहां भूख से मर रहे हैं, उन के लिये खाना नहीं है। गांव के प्रधान ने भी उन की सिफारिश की। वह दरख्वास्त कलेक्टर के पास गई। उन्होंने उसे आफिसर के पास भेजा। उन्होंने फिर किसी के पास भेजा। इस तरह से १५ दिन से वह दरख्वास्त घूम रही है और वह इसी तरह से घूमती रहेगी। जब वह आदमी भूखों मर जायेंगे तो सरकार कोई बहाना ढूंढ लेगी कि भूख से नहीं मरा। तो यह रेड टैपिज्म की एक मिसाल है, इस तरह से रेड टैपिज्म चलता है।

छटी बात यह है कि भाषा के सम्बन्ध में इस सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है लेकिन उस को जो दिन पर दिन दुरूह बनाया जा रहा है और वह संस्कृत के निकट होती चली जा रही है, इस तरह से वह सर्वसाधारण की भाषा नहीं रह जायगी। उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

उर्दू भी हमारे प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से की भाषा है। हिन्दी भाषा-भाषी भी इस बात को मानते हैं कि वह भी हमारे प्रांत की भाषा है। उर्दू के सम्बन्ध में भी सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए और उर्दू को बढ़ाने के लिये भी सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिये।

मैं अभी मुख्य मंत्री जी की समाजवाद पुस्तक पढ रहा था। मुख्यमंत्री हमार समाजवाद के एक माने जाने विद्वान हैं। उनको हमारे प्रदेश में एक नये समाज की रचना करने के लिये अवसर मिला है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि वह नये ढंग से सोचें और जो नौकरशाही की चाल है उसको समाप्त करें।

साथ ही इस में सामूहिक विकास और सामूहिक खेती की बात कही गयी है और उस पर जोर दिया है तो उस प्रकार की खेती प्रदेश में लागू की जाय। तनख्वाहों में जो बहुत बड़ी डिस्पेरिटी है, उसको खत्म किया जाय। किसी की तनख्वाह एक हजार रुपये से ज्यादा और सौ से कम नहीं होनी चाहिये।

मुख्य मंत्री जी के सामने जब यह प्रश्न उठा कि यहां के जो मिनिस्टीरियल स्टाफ के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय तो उन्होंने कहा कि अगर हम कोई समय निर्धारित करते हैं और यहां की तनख्वाह कम या ज्यादा करते हैं और केन्द्र की वही रहती हैं तो इस से डिस्पैरिटी होगी और उससे एफिशियेंसी कम होगी। वह सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर तनख्वाहों में कमी होगी तो उस से असंतोष होगा और काम करने की शक्ति कम होगी। अगर प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाह कम है तो एक डिस्पैरिटी मौजूद है और इस की वजह से मुख्य मंत्री महोदय भी स्वीकार करते हैं कि एफिशियेंसी में कमी होगी। तो इस डिस्पैरिटी को खत्म करना चाहिये। एक पे कमीशन केन्द्रीय सरकार ने बनाया है उस से फायदा उठाना चाहिये।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो अपने समाज में वह नेकनीयती से काम करता ही होगा, लेकिन उस का काम कहां तक अच्छा है, कहां तक बुरा है, उस के काम में क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या गलतियां हैं, उन का ठीक ठीक अन्दाजा स्वयं नहीं हो सकता। कोई भी ऐक्टर अपनी ऐक्टिंग के सम्बन्ध में राय नहीं दे सकता, इस लिये मेरे जैसे व्यक्ति आलोचना का सदैव स्वागत करते हैं। पर आलोचना तो काफी नहीं होती। जो आलोचक होता है उस का यह कर्तव्य होता है कि वह यह बतलाये कि जो काम किया जा रहा है उस को किस ढंग से किया जाय कि परिणाम और अच्छा हो। इसी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सुझाव कहते हैं और जब हम आलोचना का स्वागत करते हैं तो निश्चय ही हम सुझाव का भी स्वागत करते हैं ।

आज दिन भर जो वाद-विवाद हुआ उस में आलोचना काफी हुई, मैं समझता हूं सुझाव भी दिये ही गये होंगे , उन में से कुछ पर हमें गौर करना है और कुछ को गौर करने के लिये रख छोड़ना है । निश्चय ही हम इस वाद-विवाद से जहां तक सम्भव होगा लाभ उठाने की कोशिश करेंग ।

कुछ तो साधारण सी बातें हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा करके मैं कुछ उन गम्भीर बातों की तरफ भी आना चाहता हूं जिन की तरफ कि कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है । जैसे कि वेतन की बात थी उस को दोहराने की जरूरत नहीं । मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा, उस को विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने भी समझ लिया और जो उन्होंने कहा वह मेरे लिये भी शिरोधार्य है । मेरे लिये कोई गलतफहमी नहीं है । उन की बात से मालूम होता है कि जो बजट है उस में कहीं ट्रेवलिंग अलावेंस का जिक्र है । और इस मद में डेढ लाख रूपया लिखा है । अगर इस का मतलब यह होता है कि मिनिस्टरों को एलाउंस मिलता है तो मैं कहता हूं कि एक पैसा नहीं मिलता, खर्च होता है, कहीं ज्यादा होता है , कहीं कम होता है । किसी जिले की मांग होती है हमारे यहां आइये । इस तरह से खर्चा ज्यादा कम होता है । लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि एलाउंस शब्द बड़े धोखे का है । लोगों को गलतफहमी न हो जाय । यह शब्द एकाउटेंट जेनरल के यहां का है । उत्तर प्रदेश में मिनिस्टरों को एक पैसा भी एलाउंस का नहीं मिलता है न रेल का और न मोटर का ।

हिल ऐक्सोडस का भी सवाल आया । मुझे डर यह है कि कहीं माननीय त्रिलोकीसिंह जी के परिवार में सिविल वार न होजाय । उन के दल में ही दो तीन माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन से मेरी बातचीत हुई थी । मैं उनके नाम नहीं बतलाना चाहता हूं । वह बड़े जोरदार इसके समर्थक हैं । उन्होंने कहा था कि अगर मौका मिलेगा तो वह उस का समर्थन करेंगे ।

श्री त्रिलोकीसिंह---संगत का असर रहा होगा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे खुशी है कि मेरा इतना असर लोगों पर पड़ा है । मैं आशा करता हूं कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी उन के ऊपर भी दया करेंगे । अच्छा हो कभी-कभी वह वहां जाकर उन लोगों की समस्याओं को देखें और सोचें कि वह कैसे हल की जा सकती हैं । हिल एक्सोडस तो होता नहीं है । इस के माने तो यह हैं कि गवर्नमेंट जाय, कौंसिल जाय और असेम्बली जाय । यह तो कई साल से नहीं हो रहा है । मैं कुछ ज्यादा नहीं कहता हूं लेकिन अगर इस सवाल को लिया जाय तो उनकी पार्टी में ही अच्छे समर्थक मिल जायंगे ।

दो तीन बातों का जिक्र किया गया। एक सज्जन जो सबसे पहले बोले उन्होंने शायद कहा कि एकोनोमिक और स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है । मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार का अर्थ यह होता है कि रिश्वत ली जाय, अगर कोई दूसरा अर्थ होता हो तो वह मैं नहीं जानता । मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहली बात तो यह है कि रिश्वत लेने की बात वहीं होती है जहां रिश्वत लेकर किसी का भला किया जा सकता हो या पैसा न मिलने पर नुक्सान किया जा सकता हो । मुझे मालूम नहीं है कि वह विभाग किस को फायदा या नुक्सान पहुंचा सकता है लेकिन फिर भी जिक्र किया गया है इस लिये मैं उन सज्जन का कृतज्ञ होऊंगा अगर वह बतलायेंगे कि किस आदमी ने हैड क्वाटर्स पर या जिले में रिश्वत ली है । किसी आदमी ने कभी भी असेम्बली में या बाहर इस के बारे में नहीं कहा । चाहे और कमियां हों और दोष हों पर ।

एक बात यह है कि इस सम्बन्ध में जरूर लोगों को भ्रम हो गया है । यहां चर्चा भी हुई है । पार्लियामेंट में हाल में ही प्रधान मंत्री जी ने कुछ आंकड़ों को लोगों के सामने रखा है जिस का यह भाव निकलता है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की पर कैपिटा इन्कम कम होती गई ।

इसका जिक्र भी हुआ है और कुछ अखबारों में धूमधाम से यह चीज छपी भी थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सदन के माननीय सदस्यों से छिपी हुई हो। मेरा खयाल यह है कि प्रधान मंत्री जी के सामने पूरी चीज नहीं रखी गई, उन के सामने आधी चीज आई, अगर उन की रिपोर्ट सही है। इस वजह से जरूर कुछ भ्रामक नतीजे निकले हैं। कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि हमारे यहां के जो स्टैटिसटिक्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, वह गलत होते हैं। अगर सब गलत हैं तो वे आंकड़े भी गलत हैं जिन के आधार पर यह बात कही जाती है और अगर सही है तो दूसरे भी आंकड़े सही हैं। इस पुस्तिका को शायद सभी माननीय सदस्य देखते होंगे, "मन्थली बुलेटिन आफ़ स्टेटिसटिक्स"। इसका जनवरी के महीने का अंक है। आज की नहीं, कोई ७ महीने पहले की बात है। इस में ११० वें पेज पर "प्राविजनल एस्टीमेट्स आफ़ इन्कम पर कैपिटा फ़ार उत्तर प्रदेश" टेबिल है। इस में पहले कालम में वे आंकड़े दिये हुये हैं जिन को कहा जाता है कि प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंट में पढ़ा होगा। मैं डेसिमल को छोड़ कर पढ़ता हूं। उस के हिसाब से १९४८-४९ में २४९, १९४९-५० में २५१, १९५०-५१ में २५९, १९५१-५२ में २४४, १९५२-५३ में २४४, १९५३-५४ में २३३ और १९५४-५५ में २१२ पर कैपिटा इन्कम लिखी हुई है। इस को देखने से निश्चय ही यह बात निकलती है कि पिछले तीन चार वर्षों में आमदनी घटती गई। लेकिन इस के बगल में एक और कालम है वह महत्व का है। उस में, मैं डेसिमल छोड़कर पढ़ता हूं, २४९, २५५, २५९, २५४, २५९, २५७, २७६ यह सन् १९४८-४९ के भावों के आधार पर दिया हुआ है। १९५४-५५ के पहले कालम में २१२ हैं उस के सामने उसी साल इस हिसाब से २७६ हैं? दोनों में फ़र्क क्या है? उदाहरण के लिये दो आदमियों की ऊंचाई का आप मुकाबला करना चाहें और कहें कि एक आदमी की ऊंचाई ६ फ़िट और दूसरे की ३ फ़ीट। तो इस वाक्य के साथ कोई अर्थ उस वक्त हो सकते हैं जब कि दोनों आदमियों को आप एक ही गज से नापें। अगर आप अलग अलग गज से नापते हैं तो इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है कि एक ६ फ़िट का है और दूसरा ३ फ़िट का है। इसलिये जब तुलना करना हो तो एक चीज से कम्पेयर करना चाहिये।

पहले हमारे देश में सन् १९३९ के फीगर्स माने जाते थे लेकिन अब सारे देश में सन् ४८–४९ के फीगर्स मान लिये गये हैं। दूसरे कालम के फीगर्स सन् ४८–४९ के आधार पर हैं। इसी आधार पर एक साल की फीगर को दूसरे साल की फीगर से तुलना की जा सकती है, हर साल की फीगर से तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसा मालूम होता है कि प्रधान मंत्री जी के सामने दूसरे कालम की फीगर्स नहीं थी नहीं तो कम से कम इतना जरूर उन्होंने किया होता कि इन दोनों को पढ़ लिया होता और फिर लोगों पर छोड़ दिया होता कि जैसा चाहें अर्थ लगायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी––नेशनल पर कैपिटा इन्कम करेन्ट प्राइसेज के आधार पर होती है या ४८–४९ के आधार पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––सारे देश की फीगर्स इस वक्त मेरे पास नहीं है। यहां इस बात का सवाल है कि उत्तर प्रदेश की इन्कम घटी है या बढ़ी है।

कई और महत्व के सवाल हैं जिनकी तरफ ध्यान दिलाया गया। जैसे माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि जब हम अपने यहां सोशलिस्ट व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का उसमें क्या स्थान है और फाइनेन्स मिनिस्टर के पास कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेन्ट नहीं होना चाहिये। रिआर्गेनाइजेशन के सिलसिले में भी कुछ मित्रों ने कहा, माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने भी कहा। अब फाइनेन्स मिनिस्टर के पास कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेन्ट नहीं होना चाहिये, यह तभी हो सकता है जब उसके पास कई और तरह के डिपार्टमेन्ट्स होते हैं, जैसे सेंटर में है कि कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेन्ट नहीं होता लेकिन इनलैन्ड बोर्ड आफ रेवेन्यू एक्साइज, कस्टमस और न जाने क्या-क्या इतना ज्यादा ऐडमिनिस्ट्रेटिव

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

काम रहता है कि बगैर किसी स्पेंडिंग डिपार्टमेंट के ही एक बड़ा भारी काम होता है। स्टेट्स में उस तरह की कोई चीज नहीं है। अगर हम एक आदमी को फाइनेन्स मिनिस्टर मुकर्रर कर दें और उसके पास कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेंट न रखें तो उसके पास बहुत कम काम होगा। इसलिये जहां तक स्टेट्स का सम्बन्ध है सब जगह फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई न कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेंट्स रखना ही पड़ता है नहीं तो उसके पास काफी काम नहीं रहेगा। इस सवाल पर कई दफा विचार हो चुका है। अगर हमारे पास उनके लिये काफी काम हो सकता तो हम कोई स्पेंडिंग डिपार्टमेंटस उनके पास न रखते।

अब कमिश्नरों और कलेक्टरों का जहां तक प्रश्न है, यह बिलकुल सही है कि शायद आगे चलकर हमारे देश में शासन का जो ढांचा हो उसमें कलेक्टर का कोई स्थान न हो। किन्हीं जरूरतों की वजह से अंग्रेजों ने यह संस्था कायम की। वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी था और कलेक्टर आफ रेवेन्यू भी था। आज कई बातों में वह सिर्फ कलेक्टर आफ रेवेन्यू रह गया है और जुडीशियरी के सेपरेशन हो जाने की वजह से तो वह और भी कम रह गया है, लेकिन यह सोचने की बात हो सकती है कि कहां तक इसमें परिवर्तन हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल हमारे सामने बहुत जोरों से है और हमें इस पर आगे चलकर जल्द गौर करना होगा। कल मैं विस्तार के साथ प्लानिंग के सिलसिले में निवेदन करूंगा हो सकता है कि जिस तरह से आज प्लानिंग चल रही है आगे चल कर वैसी न हो और उस तरह का प्लानिंग डिपार्टमेन्ट्स का भी न हो, फिर भी सोचने की बात होगी कि किस तरह से हो। अगर प्रोग्रेस की आवश्यकता है तो फिर प्लाण्ड तरीके से प्रोग्रेस होनी चाहिये। उधर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी हमारे यहां काम कर रहे हैं और भी कई तरह की संस्थाएं हैं। आगे चलकर हमें प्लानिंग का ठीक तरह से स्वरूप निश्चित करना होगा और जब वह निश्चित होगा तो उस शासन सूत्र में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये कोई स्थान होगा या नहीं होगा यह सोचने की बात है। लेकिन आज तो वह बात ऐसी है जैसे जापानी एक ड्रामा निकला था जिसमें कई किस्म के अधिकारियों का जिक्र था और उसमें एक अधिकारी था जिसका नाम था Lord high every thing else जो किसी का विभाग न हो वह विभाग उसके पास। इसी तरह से जो किसी के पास काम नहीं है वह उनके पास है। इतने डिपार्टमेंट और इतनी चीजे उसके पास हैं कि वह कलेक्टर कम्बख्त यह जान भी नहीं सकता कि उसके क्या अधिकार हैं और उसके क्या कर्त्तव्य हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन सबको समझने की कोशिश भी करे तो वह पागल हो जायगा। जाहिर बात है कि कितनी ही दिक्कतें पड़ जाती हैं तब चाहे उसको पता चल जाय या उसका जवाब तलब हो जाय कि तुमने यह काम क्यों नहीं किया तो उसे पता चलता है कि उसका यह कर्त्तव्य भी था। सही बात है कि अगर किसी आदमी के कंधे पर इतना बोझ लाद दिया जाय तो इस तरीके से काम चल नहीं सकता, लेकिन हां, कोई न कोई अधिकारी होगा जिसे यह सब काम करने होंगे। आप देखें कि योरोप के कंटिनेंट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो प्रबंध है उसका कोई मेअर है, कोई प्रिफेक्ट है ऐसा अधिकारी होता है, जिसको कहा जा सकता है कि "He should be able to represent the whole Government." यहां पर भी है जैसे सभी मंत्री मिलकर एक साथ काम करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर सारी कैबिनेट का हेड होता है, और चीफ सेक्रेटरी जैसे समझिये सेक्रेटेरिएट लेविल पर गवर्नमेन्ट का हेड होता है। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कोई अधिकारी इस तरह का होना चाहिये। इस वक्त सूरत यही है कि कलेक्टर आज सारी गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधित्व जिले के लेविल पर करता है। आगे चल कर किसके सुपुर्द यह काम किया जाय यह सोचने की बात है। इंटरनेशनल ला के मुताबिक भी आप देखें कि अगर एक फौज आती है किसी देश में वहां पर कब्जा करने के लिये तो जो वहां का प्रिफेक्ट होता है उसी से वह बात करती है। उसको सारी गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधि मानकर बातें करती है।

अब इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेविल पर गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधि क्या हो, कैसा हो यह हमारे सामने प्रश्न है। आगे चल कर जब पयूवर ऐडमिनिस्ट्रेशन की सूरत बनेगी तो निश्चय ही हमको इसे देखना होगा। हमारा देश बहुत बड़ा है और देश तो बहुत बड़ी चीज है हमारा प्रदेश ही बहुत बड़ा है। यहां करोड़ों आदमी बसते हैं। इतनी समस्याएं हैं कि हम थोड़े से आदमी मिनिस्टर और सेक्रेटरी बैठकर कितने ही भले आदमी क्यों न हों यहां लखनऊ में बैठकर काम कर सकें यह असम्भव बात है। जब तक लार्ज स्केल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक यह काम नहीं हो सकता। हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात सोच रहे हैं। इस तरह से बहुत से अधिकार लोकल सेल्फ संस्थाओं के हाथ में देने होंगे। यह डिसेंट्रलाइजेशन की पूरी एक तस्वीर हमारे सामने बन जाय तो उसके बाद हम विचार कर सकेंगे कि यह डी० एम० फिफथ कालोमिनिएट्स हैं अथवा यह बाकई में कोई काम करते हैं और उसी समय हमको और आप को यह भी सोचना चाहिये कि अगर यह हट जायं तो उनकी जगह कौन ले।

कमिश्नरों का जिक्र आया। यह भी अस्थायी बात है। हमारे पुराने सदस्यों को याद होगा, पिछले जमाने में जब यहां सर एलेक्जेन्डर मूडीमैन थे, उन से एक सवाल पूछा गया था कि सरकार इन कमिश्नरों को हटाने के लिये कब से विचार कर रही है, तो उन्होंने जवाब दिया था—"फार दि लास्ट एट्टी इयर्स"। पहले यह सवाल था कि इन पोस्टों को तोड़ दिया जाय। अगर एकदम से नहीं तोड़ दी गई, तो उनको कम जरूर कर दिया गया। कई जगहें तोड़ दी गईं, लेकिन हम को बीच में ऐसा अनुभव हुआ कि उनके रहने की जरूरत है। हम को कुछ अनुभवी आदमियों की जरूरत है। हमने कमिश्नरों को डाकखाना नहीं बना रखा है। जैसे पहले पोस्ट आफिसर का काम वह करते थे आज वह वैसे नहीं हैं। कई मामलों में आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सरकार से सीधे डील करता है। कई मामले उनके हाथ से निकल गये हैं। लेकिन दो-तीन मामलों में हमने उनको माना है। प्लानिंग का काम है, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने जिले में करता है, लेकिन कमिश्नर ४,५ जिलों में घूम कर उस काम को देखता है और एक से दूसरे जिले में जाता है। उन सब की प्रगति पर वह एक निगाह रख सकता है और इस तरह से वह उस काम को अच्छी तरह से करा सकता है। वह एक आदमी है कि जो उस काम से अलग है, लेकिन उस को देख कर एक की सलाह दूसरे को पहुंचा सकता है। हम उस को बुला लेते हैं और बता सकते हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए। काम ठीक होता है या नहीं यह हम नहीं कह सकते, लेकिन यह एक प्रयोग है कि जिसे हम कर रहे हैं।

दूसरी बात यह कि पहले जमाने में जो काफी सीनियर होते थे, काफी अनुभवी होते थे वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो पाते थे। लेकिन इधर तो ऐसा रहा नहीं। फौज में भी ऐसे कर्नल और जनरल हैं कि जो इतनी जल्दी इस पोस्ट पर कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। स्वतंत्रता के कारण रैपिड प्रमोशन्स हुये। बहुत से नये आदमी अफसर बन गये। यह ठीक है कि वह मेहनती और उत्साही हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं है और इसलिये हम ने यह जरूरी समझा कि अगर उनकी सलाह के लिये, उनकी मदद के लिये कुछ आदमी अनुभवी रहें तो अच्छा है। लेकिन सवाल तो हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही हटाने का है, तो जब सलाह लेने वाला ही नहीं रहेगा तो सलाह देने वाले का सवाल नहीं उठता, लेकिन इन कुछ दिनों में इसकी जरूरत हमने महसूस की और इसलिये इस प्रयोग को हम कर रहे हैं।

एक सवाल अपने यहां के आदमियों की तनख्वाह के सिलसिले में हुआ। माननीय नारायणदत्त जी ने एक सुझाव दिया कि हम अपनी एक पे कमेटी मुकर्रर कर दें। उनका यह खयाल है। उनका कहना कठी है। उनका यह भी कहना ठीक है कि हम अकेले इस काम को ठीक से नहीं कर सकते बिना गवर्नमन्ट

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आफ इंडिया की मदद के। मगर उनका ऐसा खयाल है कि हम एक पे कमेटी मुकर्रर करें। उसकी जो सिफारिशें होंगी वे अच्छी होंगी इसमें संदेह नहीं, क्योंकि चाहे इधर के लोग हों या उधर के, इसमें किसी की कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे आदमियों की तनख्वाह कम है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि १०० रुपये तक कम से कम तनख्वाह लाई जाय। हम यह नहीं कह सकते कि हमने जो किया है वह कहां तक ठीक है। हमने यह कर दिया है कि जो हमारे अहलकार हैं उन में से जो १०० रुपये से कम पाते हैं उनके डियरनेस एलाउन्स का आधा हमने उनकी तनख्वाह में जोड़ दिया है। जो भी तनख्वाह वह पाता है उसमें उसके डियरनेस का आधा जोड़ दिया जाय। उदाहरण के लिए अगर वह २५ रुपये पाता है और २५ उसको मंहगाई भत्ता मिलता है तो पेंशन या टी० ए० के लिये उसकी तनख्वाह साढ़े ३७ रुपये लगाई जायगी। इससे बहुत सी बातों में उसको फायदा होगा, लेकिन चीज यह है कि हमारे आदमियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये और उस नियम से भी बढ़नी चाहिये कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदमी उसी तरह के काम के लिये अधिक तनख्वाह पाते हैं हमारे यहां के आदमियों के मुकाबिले में। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के दफ्तरों में काम बहुत कम होता है। हमारे आदमियों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिये उनको उस काम के लिये तनख्वाह कम मिले, यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर हम पे कमेटी मुकर्रर करे तो पे कमेटी की सिफारिश क्या होगी। उस कमेटी में कोई भी रखा जाय निश्चय ही उनकी सिफारिश यह होगी कि तनख्वाह बढ़नी चाहिये। अब आप सोचिये कि उसके बाद हम क्या करें। यह भी उसका परिणाम होगा कि जो हमारे आदमी हैं उनकी उम्मीद बढ़ेगी। इस तरह से कमेटी के बिठाने का मतलब है अपने लोगों की उम्मीद को बढ़ाना, जिसको हम किसी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं। इस भरोसे पर हम कमेटी बिठावें कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया हमको रुपया दे देगी तो यह दूर की उम्मीद है। अगर वह कुछ देना चाहेंगे तो इस वक्त भी दे सकते हैं और इस वक्त भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो कमेटी बिठायी गयी है उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स में यह कहा गया है कि वह इस बात का खयाल रखेगी कि स्टेट्स की तनख्वाह क्या हैं, लेकिन हम यह समझते हैं कि अपनी पूरी शक्ति को समझते हुए पे कमेटी का बिठाना गलत चीज हो जायगी। हमारे आदमियों को गलत आशा पैदा हो जायगी, जिसको पूरा करना हमारी शक्ति के बाहर होगा। हम उसको किसी तरह से कर सकते अगर हमारे हाथ प्लानिंग के साथ बंधे हुये न होते, लेकिन इस वक्त हम मजबूर हैं।

तिवारी जी ने एक बात का जिक्र किया कि सन् ४७ के बाद कुछ ऐसे अहलकार हैं, जिनकी तनख्वाह १२ रुपया घट गई हैं। वह कहते हैं उनका कहना ठीक होगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझे दुख है कि उनका बढ़ना तो दूर रहा हमने उनकी पे घटा दी। यह घोर पाप हो गया।

कुछ बातों का नैतिक स्तर पर जिक्र हुआ। अब उन बातों का मैं क्या जिक्र करूं। शराब पीने का जिक्र हुआ। मैं पीता नहीं हूं। मैं जानता नहीं कि शराब में क्या सुख होता है। पीने वाले जानते होंगे। यह जरूर है और यह सुन रखा है कि यह बात गलत है कि किसी बुद्धिमान् आदमी को शराब बदनाम करती है, बल्कि अगर गलत आदमी पीता है तो उससे शराब बदनाम होती है। यह ठीक है कि अगर ऐसी बातें हैं तो वे नहीं होनी चाहिये और यह अफसोस की बात है। जिस किस्म की बातों का जिक्र किया गया मैं उनके लिये उनका कृतज्ञ हूं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यह उचित भी है, लेकिन यह अफसोस की बात है। हम कायदे कानून से उनको कुछ कह नहीं सकते। अगर कोई ऐसे लोग हैं तो हम उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे। इससे हमारे प्रदेश की बदनामी होती है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बदनामी होती है और उनकी खुद बदनामी होती है।

हाउस बिल्डिंग स्कैंडल का जिक्र किया गया । जनरल डिबेट के अवसर पर भी इसका जिक्र हुआ था । आज भी कुछ दबे शब्दों में इसकी चर्चा हुई । जैसा मैंने पहले कहा था कि यह शिकायत मेरे कानों तक पहुंची है । कोई अगर एक बहुत गरीब आदमी है जो कि मोहताज है, अगर वह गलत काम कर बैठता है तो उसको हम बक्स दें तो कुछ हर्ज नहीं, लेकिन जो ऊंचे दर्जे का अफसर है वह अगर गलत काम से छूट जाय तो यह अच्छी बात नहीं है । मैंने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है । अगर सचमुच इस बात का प्रमाण मिलता है कि बहुत गलत कार्यवाही हुई जो नहीं होनी चाहिये और जो शोभा नहीं देती और इसके आगे अगर लीगल कार्यवाही करने की गुंजाइश हुई तो हम उसको करेंगे ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं जैसा पहले कहा था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई विकास का विभाग नहीं है, लेकिन यह जाहिर बात है कि जितने विकास के विभाग हैं उनकी सफलता इस विभाग के ऊपर निर्भर करती है । मैं अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं कि मैंने इस बात का दावा नहीं किया है कि हम सर्व सम्पन्न हैं या हमसे कोई काम गलत नहीं होता । बाज दफा ऐसा होता है कि काम करने के बाद भी यह पता नहीं लगता कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हां इतना मैं अवश्य समझता हूं कि चाहे हम किसी तरफ के भी बैठने वाले हों, चाहे इधर के हों या उधर के, हमारे एक ही उद्देश्य हैं और वह यह कि उत्तर प्रदेश की तरक्की हो । हम आज यहां पर बैठे हैं, कल नहीं हो सकते, लेकिन जब भी हम यहां से हटें, उत्तर प्रदेश को पहले से संपन्न और उन्नत पायें । इस मामले में कोई संदेह नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा, कि मैं इस बात को मानता हूं कि सरकारी अहलकारों से हमें सहयोग मिलेगा । अगर मैं चाहूंगा और सहयोग मांगूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हरगिज भी कोई माननीय सदस्य इससे इंकार नहीं कर सकेगा । हम चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन उत्तर प्रदेश हम सब से बड़ा है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस भाषण को समाप्त करता हूं । मैंने जो मांग की है वह खुद ही बहुत थोड़ी सी है, इसलिये उसमें एक रुपये की कटौती करके क्या करेंगे । आप उस एक रुपये की कटौती को वापिस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय" के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,८४,२२,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन के व्यय में एक रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३–कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय—लखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,०६,४८,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष-दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। हमारी स्पीकर्स गैलेरी में ३३ सीटें हैं। हर माननीय सदस्य अपने अतिथियों के लिए यही कोशिश करता है कि उनको स्पीकर्स गैलरी का पास मिले। इसमें सचिवालय को कठिनाई हो जाती है, क्योंकि इनमें से ११ सीटें कौंसिल के लिए हैं, ११ स्पीकर की इजाजत से और ११ सचिव विधान मंडल की इजाजत से दी जाती हैं। यदि भविष्य में माननीय सदस्य इस बारे में ध्यान रखेंगे तो यह कठिनाई दूर हो सकती है।

श्री त्रिलोकीसिंह---विधान परिषद् वाले तो दूसरी तरफ बैठते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---कभी-कभी जब इधर जगह नहीं मिलती है और उनको खड़ा रहना पड़ता है तो उधर बैठ जाते हैं।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१२ अगस्त, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर)

सिविल सर्जन की रिपोर्ट का सारांश

जिलाधीश बदायूं जब जून माह में शेरपुर क्षेत्र में निरीक्षणार्थ गये तो उन्होंने यह देखा कि कई ग्रामीणों के दोनों पैरो में लकवा था और वह बिना किसी छड़ी के सहारे चल फिर नहीं सकत थे। उन्होंने यह भी सूचना पायी कि यह रोग शेरपुर के निकटवर्ती ग्रामों में भी प्रसरित हो रहा है इनमें से एक रोगी जिला चिकित्सालय परीक्षणार्थ भेजा गया। उसे कुछ दिन वहां रक्खा गया और उस की परीक्षा करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि वह रोगी लैथिरिज्म का है। इस सम्बन्ध में अग्रिम परीक्षा के हेतु जिला अधिकारी कृषि, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन वहां पर गये ।

इस क्षेत्र का क्षेत्रफल १४ हजार एकड़ है। इस में १३ ग्राम सम्मिलित हैं तथा ये रामगंगा की दो धाराओं के बीच में स्थित हैं इनमें वर्षा ऋतु में अत्यधिक पानी भर जाता है, जो अन्य मौसमों में भी कठिनाई से सूखता है। इसके कारण इस स्थान तक पहुंचना वर्षा ऋतु में दुष्कर हो जाता है। जब यहां बाढ़ आती है उस समय क्षेत्र में आदमी डुबान पानी हो जाता है। यहां पिछले तीन वर्षों से सदा ही बाढ़ आती है जिस के फलस्वरूप वहां की खरीफ की फसल लगभग नष्ट प्रायः हो जाती है और पशु तथा अपार जन धन की हानि के साथ-साथ अनेक ग्राम भी नष्ट हो जाते हैं ।

बाढ़ का , कसारी दाल (कस्सी) तथा अकरा जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, इनकी उपज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, अपितु वह प्रभूत मात्रा में उत्पन्न होते हैं। कांस के अधिक उत्पन्न होने से रवी की शेष फसलें चना, मटर, गेंहूं आदि अति न्यून मात्रा में उत्पन्न होते हैं जिसके फलस्वरूप लोगों को बेझड़ का आटा, जिसमें अकरा और कस्सी अधिक, चना, मटर कम होता है प्रयोग में लाना पड़ता हैं ।

शेरपुर क्षेत्र में २२ रोगियों का पता लगा था परन्तु परीक्षणार्थ केवल १५ रोगी ही आ सके इनसे हाल पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि इन में से कुछ लोग सन् ५४ की बाढ के समय से ही इस रोग से ग्रसित थे। इन सब के पैर में लकवा तथा पुट्ठों में सख्ती थीं। इनमें से कुछ ऐसे रोगी थे जो कि बाढ़ के बाद रोग-ग्रस्त हुये इन में सर्वप्रथम कमर में दर्द हुआ तदुपरान्त पैरों के पुट्ठों में सख्ती तथा लकवा हुआ इस के अतिरिक्त यहां निरीक्षण के समय कुछ अन्य लोगों में भी यह रोग प्रारम्भ होता मालूम हुआ। इसका संपूर्ण विवरण तभी ज्ञात हो सकता है जब कि प्रत्येक घर पर रोगियों का निरीक्षण किया जाय। प्रायः स्त्री पुरुष, युवा किशोर, बाल तथा वृद्धों में यह रोग पाया जाता है। इस रोग की एक प्रमुख विशेषता यह है कि लकवा होते हुए भी इस के रोगी के अंगों में कोई विशेष दुर्बलता तथा शारीरिक निर्जीवता (सुन्न होना) नहीं उत्पन्न हुई। ये रोगी पैरों को फैला कर पैरों को घसीटते हुये चलते हैं ।

यह रोग कसारी दाल और अकरा तथा कुछ अन्य दालों के अधिक प्रयोग से होता है। अकरा में एक ऐसा विषेयक पदार्थ होता है जिस से सुषुम्ना (spinal cord) की धमनियां (arteries) तनाव के कारण छोटी पड़ जाती है और रक्त जम जाने से रक्त संचार कम हो जाता है फिर धीरे-धीरे सुषुम्ना (spinal cord) में स्क्लेरोंसिस उत्पन्न हो जाती है जिस के कारण लैथेरिज्म का रोग उत्पन्न होता है ।

शेरपुर ग्राम के २२ रोगी ८ परिवारो में विभक्त थे जिनके पास कम जमीने थी यानी दो परिवारों में तो कोई जमीनें जोतने बोने के लिये नहीं थीं, एक परिवार में पांच बीघा तथा एक के पास बीस और एक के पास ५० तथा दो परिवारों में दो-दो बीघा जमीन थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह रोग निर्धन जनता में अधिक प्रसरित हुआ।

अब प्रश्न यह उठता ह कि यह रोग १९५४ से पहले क्यों नहीं फैला तथा बाद में ही क्यों फैला। इस का एक मात्र कारण यह है कि वहां पर बाढ़ के कारण निर्धनता का प्रकोप अधिक होता गया और जनता बेझड़ा का अनाज जिस में ७५ फीसदी अकरा तथा शेष कस्सी, मटर, चना था। जीवन निर्वाह हेतु खाने पर बाध्य हुई। यह भी देखा गया कि जिन परिवारों की आर्थिक दशा अच्छी थी और वे गेहूं का प्रयोग करते थे, उनमें यह रोग नहीं हो पाया। इस रोग से बचाव तथा चिकित्सा सम्बन्धी निम्न सुझाव सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला अधिकारी कृषि ने दिये हैं।

(अ) चिकित्सा सम्बन्धी साधनों में सुधार तथा हेल्थ प्रोपेगन्डे को प्रयोग म लाना।

(ब) बाढ़ पीड़ितों की सुविधा से साधन।

(स) कृषि का आधुनिक योजनानुसार होना जिस से अकरा तथा कस्सी की उपज धीरे-धीरे बन्द हो जाये।

(द) जन साधारण की आर्थिक दशा में उत्थान होना।

यह क्षेत्र रामगंगा के दो धाराओं के बीच में स्थित है, जिसके कारण यह अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं। यहां केवल दांतागंज चिकित्सालय ही है जो वहां से १५ मील दूर है। इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन का यह सुझाव है कि यहां एक चिकित्सालय खोल दिया जाय, ताकि जनता की चिकित्सा सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो सकें।

बाढ़ के कारण अन्न के अभाव को दूर करने के लिये वहां सरकारी राशन की दुकानें खोल दी जायं ताकि जनता केसारी दाल और अकरा का कम प्रयोग कर सकें। कृषकों को आधुनिक योजनानुसार वहां की जनता के उपर्युक्त बनाने हेतु तथा अकरा और केसारी दाल की उपज बन्द करने के लिये जिला कृषि अधिकारी प्रयत्नशील है जिसकी रिपोर्ट वे अलग से जिलाधीश को देंगे। वहां की जनता की आर्थिक दशा को सुधारने हेतु प्रयत्नों की आवश्यकता है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४० पर)

राजभवन, विधान भवन, विधायक निवास एवं मंत्रियों के निवासों पर नियुक्त विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन का नक्शा

कर्मचारियों की श्रेणी	वेतन रुपयों में
वर्क सुपरवाइजर	११०—१३५
वर्क एजेन्ट	६५—६०
मिस्त्री	८०—६५
वायरमैन	७५—१४०
मैसन	७५—८०
कारपेण्टर	७५—६०
पेंटर	६०—७५
प्लम्बर	६७—८०
स्विच बियरर	८०
पम्प अटेण्डेण्ट	४७—७०
चौकीदार	४०—४८
लिफ्ट मैन	५२
ब्लैक स्मिथ	५५
स्वीपर	३१—४८
भिस्ती	४५
मलेरिया कुली	४०—४५
बेलदार	३२—४०
खलासी, फर्राश, कुली, मेट	३५—५०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—६ एल० ए०—१६५७—७६६ ।